2009

जिला मानव विकास प्रतिवेदन, जिला-सिरोही

सिरोही जिला

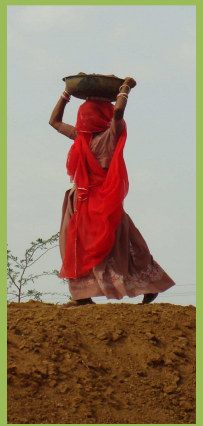

प्रस्तुतकर्ता :-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

सौजन्य–

भारत सरकार -: यू.एन.डी.पी. परियोजना, 'मानव विकास दृष्टिकोण से राज्य प्लान को सम्बल प्रदान करना''

बाबु लाल नागर
(प्रभारी मंत्री)
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
राजस्थान सरकार

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय हैं कि जिला सिरोही का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा हैं। यह प्रतिवेदन दुरस्त ग्राम में बैठे हुए पिछडे नागरिक को सामान्य जीवन स्तर जीने के लिये आवश्यक योजनाएं बनाने में उनका क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा।

वैसे तो भारत सरकार एवं राज्य सरकारे इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिये प्रयासरत हैं, लेकिन संविधान की भावना के अनुरूप योजनाओं का गठन ग्राम स्तर से हो तथा योजना के गठन के समय ही विशेषज्ञों से ग्राम वासियों की सार्थक चर्चा हो तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों की पूर्व में ही पहचान कर ली जावें तो, तैयार की जाने वाली योजनाएं मानव के त्वरित विकास में सकारात्मक भूमिका निभायेंगे।

प्रतिवेदन तैयार करने वाले समूह का तथा जिले के निवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ।

शुभेच्छु

(बाबूलाल नागर)

ओ.पी.सैनी, I.A.S.
(प्रभारी सचिव)
प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग,
राजस्थान सरकार

संदेश

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने हेतु योजना आयोग, भारत सरकार ने विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं। जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय असन्तुलन (जिला व खण्ड स्तरीय) का विश्लेषण करने हेतु मानव विकास रिपोर्ट अति आवश्यक हैं। यह दस्तावेज क्षेत्रीय असन्तुलन का आंकलन कर अन्तर्वेशीय विकास की बात करता हैं। यह प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तथा योजना आयोग, भारत सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा हैं, जो हर्ष का विषय हैं।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार राष्ट्र के समस्त पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले जिलों के अन्तर्गत क्षेत्रीय असन्तुलन को ध्यान में रखकर प्रभावी योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शिका के तौर पर मानव विकास परिदृश्य तैयार किया जाना हैं। वैसे तो राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं, लेकिन जिला स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया जाना प्रारम्भिक स्तर पर हैं। भविष्य में यह प्रतिवेदन शेष समस्त जिलों के लिये भी तैयार किये जावेंगे।

मानव विकास परिदृश्य एक ऐसा दस्तावेज हैं जिससे जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों व उपवर्जन क्षेत्र, समुदाय तथा जाति विशेष को चिन्हित कर क्षेत्र की क्षमता व कठिनाइयों से अवगत करवाता हैं। इस दस्तावेज का उपयोग जिले के समस्त विकास कार्यो, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के सफल नियोजन, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में अहम् भूमिका निभाता हैं।

जिला कार्य योजनाओं के नियोजन स्तर पर अगर इस दस्तावेज का उपयोग जिला स्तरीय, खण्ड स्तरीय अधिकारी वं पंचायती राज के प्रतिनिधिगण करते हैं तो निश्चय ही जिला कार्य योजना अपने समस्त लक्ष्यों सहित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

अन्त में जिला सिरोही के नागरिकों तथा उनको सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।

भवदीय

(ओ.पी. सैनी)

श्रीमती शिल्पा, I.A.S.
जिला कलेक्टर, सिरोही

संदेश

जिले की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को जिले की आवश्यकता के अनुसार विक्रेन्द्रीकृत किया गया हैं। जिसमें संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के निर्देशानुसार जिला आयोजना समिति का गठन कर समय–समय पर वार्षिक कार्य योजना व अन्य योजनाओं का अनुमोदन कर पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की नियोजन, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण अन्तर्गत भागीदारी सुनिश्चित की जाती रही हैं। मानव विकास प्रतिवेदन जिले के उपखण्ड स्तर व क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में आवश्यकतानुसार बजट आवंटन तथा प्रभावी नियोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं।

वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत जिले में संचालित समस्त योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को एकीकृत कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक समुदाय एवं मानव विकास प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीतियों व अभिनवीकरण को सम्मिलित कर अनूठा प्रयास किया गया हैं।

मानव विकास केवल आर्थिक से संभव नहीं हैं अपितु सम्पूर्ण विकास हेतु आर्थिक विकास के साथ–साथ अन्य चाहत व आवश्यकता के अनुरूप समस्त सेवाओं के उचित उपभोग व पहूँच के साथ विकास में उनकी भागीदारी से सम्बन्धित हैं। सम्पूर्ण मानव विकास हेतु हमें आर्थिक के साथ–साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी एकीकृत किया जाना अति आवश्यक हैं। मानव विकास सूचकांक को प्राप्त करने के लिये आर्थिक विकास हेतु सकल घरेलु उत्पाद, शिक्षा में सकल नामांकन दर, साक्षरता दर एवं स्वास्थ्य के जीवन प्रत्याक्षा सूचकांको को समान अंक प्रदान करते हुये प्रशासनिक स्तर पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया हैं।

जिला मानव विकास प्रतिवेदन एक संवेदनशील दस्तावेज हैं जिसे तैयार करने हेतु जिले के प्राथमिक, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर मानव विकास सूचकांक सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर विश्लेषण किया जाता हैं। इस क्रम में उन क्षैत्रो की पहचान सुनिश्चित हो जाती हैं जहॉ बजट की आवश्यकता किन–किन परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा योजनाओं में किया जावे, तथा कौन–कौन से क्षैत्र व उपवर्जन समुदाय व जातियाँ किन कार्यक्रमों व योजनाओं से वंचित रह जाते है जिन्हें आगामी योजनाओं में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित हो जावें।

अत: मैं जिले के समस्त अधिकारी एवं पंचायती राज एवं शहरी निकायो के प्रतिनिधिगणों से अपील करती हूँ कि आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के नियोजन में उपवर्जन क्षैत्र, समुदाय एवं जातियों को मद्देनजर रखते हुये प्रभावी नियोजन करें जिसे समय–समय पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण व आवश्यक रणनीतियों के समावेश से जिला सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कर सकें।

भवदीय

(शिल्पा)

चन्दन सिंह देवडा

(जिला प्रमुख)
अध्यक्ष, जिला आयोजना समिति,
जिला सिरोही

संदेश

भारत वर्ष में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चितता का कार्य नियोजन, क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरूआत हुई थी लेकिन, पंचायती राज प्रतिनिधियों की अहम् भूमिका 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद विकास कार्यो के सफल नियोजन, क्रियान्वयन व समीक्षा हेतु जिला आयोजना की परिकल्पना की गई। जिसे संविधान के 243ZD अनुच्छेद अनुसार समस्त जिलो पर जिला आयोजना समिति का गठन कर विकास कार्यो को पंचायती राज द्वारा गति प्रदान की गई हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत पंचायती राज प्रतिनिधियों की भागीदारी जिले में संचालित समस्त योजनाओं, परियोजना एवं कार्यक्रम के विकेन्द्रीकृत योजना में ग्राम स्तर पर गतिविधियों की पहचान व प्राथमिकता निर्धारण में अहम् भूमिका अदा करते हैं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला आयोजना समिति में समय–समय पर अनुमोदन कर किये गये कार्यो की समीक्षा की जाती रही हैं।

जिला मानव विकास परिदृश्य जिला स्तर पर तैयार किया गया आवश्यक दस्तावेज हैं जिसके अध्ययन से पंचायती राज प्रतिनिधियों को पता चलता हैं कि जिले में उपलब्ध संसाधनों का मानव विकास हेतु किस प्रकार उपयोग किया जाये। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2015 तक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकें तथा क्षेत्रो की क्षमता व अभाव को ध्यान में रखकर संसाधनों व बजट का आवंटन किया जा सकें।

मानव विकास परिदृश्य में ग्राम व वार्ड स्तर की सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण कर विकास सूचकांक की गणना की गई हैं। अत: जिले में किस कार्यक्रम अन्तर्गत कौन सा क्षेत्र वंचित हैं तथा कहाँ किन कारणों से प्रगति नहीं हो पा रही हैं इसे बखुबी दर्शाता हैं।

राज्य स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत चयनित जिलों का मानव विकास परिदृश्य तैयार किया जाता हैं। जिससे समस्त उपलब्ध राशि व संसाधन का वितरण उपखण्ड स्तर पर क्षेत्रीय असन्तुलन को ध्यान में रखकर इसका उपयोग कर समस्त पंचायती राज प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान करेंगे एवं उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर सकेंगे।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ हार्दिक शुभकामनाएँ।

शुभेच्छु

(चन्दन सिंह देवड़ा)

मानव विकास परिदृश्य
जिला – सिरोही

भारत सरकार एवं आयोजना विभाग के संयुक्त तत्वाधान के तहत् संचालित कार्यक्रम अन्तर्गत यू.एन.डी.पी. के सौजन्य से निर्मित परिदृश्य।

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही
2009-10

प्रस्तावना

मानव विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया हैं, जो मानव में अच्छा जीवन जीने की जिज्ञासा का परिणाम हैं। मानव विकास के मुख्यत: तीन संकेतक रहे हैं, जो कि आजीविका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हैं। जिला सिरोही का मानव विकास प्रतिवेदन जिले में निवास करने वाले सभी नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के लिये आवश्यक योजनाएं बनाने की ओर एक सार्थक कदम हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार राष्ट्र के समस्त जिलों की मानव विकास रिपोर्ट तैयार किये जाने की सिफारिश की गई हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजना ***"मानव विकास के लिये राज्य योजनाओ का सुदृढ़ीकरण"*** के अन्तर्गत 56 जिलों के मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किये जाने हैं। राजस्थान में समस्त बी.आर.जी.एफ. जिलों का मानव विकास प्रतिवेदन प्रारम्भिक स्तर पर तैयार किया गया हैं।

सर्व प्रथम हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आभारी हैं, कि उनके द्वारा यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिये आवश्यक राशि की व्यवस्था की गई हैं। साथ ही साथ योजना आयोग, भारत सरकार तथा आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा जिला सिरोही का यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिये चयन किया तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित योजनाओं के प्रभाव तथा पूर्व के वर्षो में जिले के नागरिकों की स्थिति से सम्बन्धित आवश्यक सॉख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिये तथा उनका विश्लेषण करने के लिये सम्बन्धित कार्यसमूहों के अध्यक्ष सर्व श्री ए.के. सक्सेना, संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही, श्री दिनेश्वर पुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही, डॉ संजीव टॉक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, डॉ एस.के. परमार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सिरोही, श्रीमती कमला शर्मा, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिरोही, श्री डी.के.माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिरोही एवं श्री उपेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, आबूपर्वत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ हम उनके समूहों के अन्य सदस्यों विशेषकर कुछ सदस्यों द्वारा अपनी कार्यावधि से अतिरिक्त समय निकालकर परिकल्पना पत्र तैयार करने में विशेष योगदान दिया हैं, के प्रति आभारी हैं।

अन्त में हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में सहयोग देने वाले डॉ बी.एस. बारड़ एवं भाषायी संकलन के लिये डॉ संध्या दूबे, डॉ शची सिंह एवं श्री शंकरलाल मीणा का। साथ ही टंकण कार्य के लिए श्री वेद प्रकाश आर्य का सहयोग सराहनीय रहा हैं।

जिला आयोजना प्रकोष्ठ,
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही

जिला आयोजना प्रकोष्ठ :– वी.के.जैन – मुख्य आयोजना अधिकारी,
नीरज झा – जिला कन्वर्जेंस फेसिलिटेटर (यूनिसैफ), मनीष गुप्ता – जिला सहायक अधिकारी (यूएनडीपी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	खण्ड़	विषय	पेज संख्या
अध्याय–1	1	जिले का परिदृश्य	**10**
	1.1	परिकल्पना	**10**
	1.2	जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया	**12**
	1.3	जिला मानव विकास परिदृश्य का उपयोग	**13**
अध्याय–2	2	जिले का परिचयात्मक विवरण	**14**
	2.1	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	**14**
	2.2	भौगोलिक स्थिति	**14**
	2.3	धार्मिक स्थिति	**15**
	2.4	धरातल	**15**
	2.5	जलवायु	**15**
	2.6	प्रशासनिक संरचना	**16**
	2.7	मानव (एक दृष्टि में)	**17**
	2.8	ब्लॉकवार जनसंख्या का विवरण	**18**
	2.9	आधारभूत स्थिति	**19**
	2.10	पशुधन	**20**
	2.11	जिले में बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति	**20**
अध्याय–3	3	आजीविका	**22**
	3.1	श्रेणीवार कार्यशील आबादी	**22**
	3.2	कृषि	**23**
	3.3	जल संसाधन	**27**
	3.3.1	भू–जल स्थिति	**27**
	3.3.2	जल संसाधन खण्ड की भूमिका	**31**
	3.3.3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही	**33**
	3.3.4	सुझाव	**34**
	3.4	पशुपालन	**35**
	3.5	जिले का वन परिदृश्य	**40**
	3.6	औद्योगिक परिदृश्य	**40**
	3.7	महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	**43**
	3.8	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार येाजना	**45**
	3.9	परिवहन	**46**
	3.10	खनिज	**48**
अध्याय–4	4	शिक्षा	**51**
	4.1	परिदृश्य	**51**
	4.2	जिले की साक्षरता स्थिति	**51**
	4.3	सामाजिक श्रेणीवार साक्षरता स्थिति	**52**
	4.4	राज्य के अन्य जिलों से तुलनात्मक स्थिति	**53**
	4.5	उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	**54**
	4.6	पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र आंगनवाडी	**55**
	4.7	सर्व शिक्षा अभियान	**56**
	4.8	राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम	**57**
	4.9	जनजातीय क्षेत्र की शैक्षणिक स्थिति	**57**
	4.10	विभिन्न भाषा जाति व धर्म के मध्य साक्षरता की स्थिति	**58**

	4.11	मदरसा संस्थाएं	**60**
	4.12	संस्कृत शिक्षा	**61**
	4.13	स्टाफ की स्थिति और स्कूल सुविधाओं का प्रावधान	**63**
	4.14	प्रारम्भिक शिक्षा	**64**
	4.15	माध्यमिक शिक्षा	**64**
	4.16	लिंगानुपात	**65**
	4.17	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	**65**
	4.18	स्थल जहां शिक्षण संस्थान उपलब्ध है	**66**
	4.19	नामांकन एवं ठहराव	**67**
	4.20	ड्राप आउट	**68**
	4.21	शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु उद्देश्य एवं लक्ष्य	**70**
	4.22	तकनीकी शिक्षा	**70**
	4.23	दूसरा दशक (गैर सरकारी संस्था) एक पहल	**71**
अध्याय–5	5	महिला/बाल विकास सेवा	**73**
	5.1	बाल विकास सेवाओं के उद्देश्य	**73**
	5.2	आंगनवाडी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाएं	**73**
	5.3	किशोरियों (15–19 वर्ष) में अतिरक्तअल्पता की स्थिति	**77**
	5.4	महिला विकास कार्यक्रम	**77**
	5.5	सुझाव	**78**
अध्याय–6	6	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	**79**
	6.1	परिचय	**79**
	6.2	मुख्य संकेतक	**79**
	6.3	ब्लॉकवार मानव संसाधन	**82**
	6.4	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	**83**
	6.5	विशेष योगदान	**85**
	6.6	ब्लॉकवार परिवार कल्याण के स्थायी साधनों का विवरण	**85**
	6.7	पी.सी.पी.एन.डी.टी.	**86**
	6.8	टीकाकरण स्थिति	**86**
	6.9	पीने का पानी और स्वास्थ्य	**87**
	6.10	बीमारियां	**88**
	6.11	निष्कर्ष	**90**
	6.12	सुझाव	**90**
अध्याय–7	7	पर्यटन	**92**
	7.1	पर्वतीय पर्यटन स्थल पर विगत दस वर्षो के पर्यटक	**92**
	7.2	ऐतिहासिक एंव धार्मिक धरोहर	**93**
	7.3	मुख्य मेंले–त्यौहार	**95**
	7.4	पर्यटन की सम्भावनाऐं	**96**
	7.5	SWOT	**97**
	7.6	रोजगार के अवसर	**100**
अध्याय– 8	8	निष्कर्ष एवं सुझाव	**103**
परिशिष्ठ 1 – *i*			**105**
परिशिष्ठ 3 – *i* से 3 – *xviii*			**107**
परिशिष्ठ 4 – *i* से 4 – *v*			**122**
परिशिष्ठ 6 – *i* से 6 – *vii*			**125**

अध्याय-1

जिले का परिदृश्य

1.1. परिकल्पना :–

मानव विकास केवल आर्थिक विकास नहीं है अपितु मानव विकास आर्थिक विकास के साथ–साथ अन्य कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित आवश्यकता के अनुरूप समस्त सेवाओं के उचित उपभोग व पहुंच के साथ विकास में उनकी भागीदारी से सम्बन्धित हैं। केवल विकास से मानव विकास संभव नहीं जब तक कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय को विकास हेतु एकीकृत किया न जाये। मानव विकास के आकलन हेतु आजीविका के साथ–साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सूचकांको को राज्य स्तरीय, जिला स्तर तथा उपखण्ड स्तर पर देखा जाना अति आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना पूर्व निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 1990 के दौरान प्रथम बार प्रकाशित विश्वस्तरीय मानव विकास परिदृश्य के सम्पादन अन्तर्गत विश्व के समस्त राष्ट्रों के विकास की वरीयता मानव विकास सूचकांक के अनुरूप की गई हैं। जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तर पर तथा आजीविका के क्षेत्र में सकल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी.) को समान अंक प्रदान कर प्रशासनिक स्तर पर मानव विकास सूचकांक की गणना की गई।

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में जिला आयोजना की परिकल्पना की गई हैं एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना समिति के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

मानव विकास प्रतिवेदन का उद्देश्य :–

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार जिले की समस्त आयोजना, क्रियान्वयन व मोनिटरिंग में पंचायतीराज सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जिला मानव विकास परिदृश्य एक विशेष औजार की भूमिका अदा करेगा जो पंचायतीराज सदस्यों को अपने क्षेत्र की विशेष परिस्थिति व प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए क्षेत्रीय विकास हेतु मांग व प्राथमिकता के अनुरूप आयोजना, क्रियान्वयन व मोनिटरिंग में मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा।

विकेन्द्रीकृत योजना में सूचनाएं एवं तथ्य प्राथमिक स्तर यथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम व शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाकर प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर बजट निर्धारित किया जाता है जिससे उपलब्ध संसाधनों का उच्चतम प्रभावी उपयोग किया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के सभी जिलों की DHDRs तैयार करने की सिफारिश की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सिफारिश अनुसार वर्ष **2015 तक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य** को हासिल करना हैं। यहीं इस प्रतिवेदन को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य हैं। जिनके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. **अत्यधिक गरीबी एवं भूखमरी को समाप्त करना।**
    - 50 रू. प्रतिदिन आय से कम वाली जनसंख्या को 2015 तक आधा लाना।
    - महिलाओं एवं पुरूषों को योग्यतानुसार पूर्ण रूपेण रोजगार के समान अवसर प्रदान करना।
    - 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या को आधा करना।

2. **प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण :–**
   - प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को मिले।
   - 15 से 24 वर्ष के प्रत्येक युवक एवं युवतियों को साक्षर करना।
3. **लिंग आधारित समानता तथा महिला सशक्तिकरण को बढावा देना।**
   - लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करते हुए सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना।
   - पंचायती राज संस्थान एवं अन्य स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाना।
4. **शिशु मृत्यु दर को कम करना।**
   - शिशु मृत्यु दर को एक तिहाई के स्तर तक लाना।
   - एक वर्ष तक के प्रत्येक शिशु का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित हों।
5. **सुरक्षित मातृत्व को बढावा देना।**
   - मातृ मृत्युदर को एक तिहाई के स्तर तक लाना।
   - प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी के हाथों संस्थागत प्रसव शत प्रतिशत सुनिश्चित करना।
   - किशोरी मातृत्व को शून्य स्तर पर लाना।
   - परिवार कल्याण की अनापूर्ति मांग की पूर्ति करना।
   - प्रसव पूर्व एवं पश्चात् सेवाएं सुनिश्चित करना।
6. **एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य जानलेवा बीमारियों से संघर्ष करना।**
   - एच.आई.वी. संक्रमण को शून्य करना तथा ग्रसित जनसंख्या का उपचार करना।
   - मलेरिया एवं अन्य जानलेवा बीमारियों का संक्रमण शून्य करना तथा ग्रसित जनसंख्या का उपचार करना।
7. **पर्यावरणीय स्थायित्व प्राप्त करना।**
   - प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए स्थाई विकास के सिद्धान्तों का समावेश देश की नीतियों में करना।
   - जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करना।
   - शुद्ध पेयजल एवं मूलभूत स्वच्छता सुविधाओं की कमी को आधा करना।
   - एक अरब झुग्गी झोंपडी वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
8. **विश्वस्तरीय विकास साझेदारी को विकसित करना।**
   - विश्वस्तर पर नियम बनाकर भेदभाव रहित व्यवसाय एवं वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

सिरोही जिले का मानव विकास सूचकांक वर्ष 1999 में 0.52 का आकलन किया गया था जिसमें राज्य स्तर पर जिला 25 वें स्थान पर था। वर्ष 2007 के अन्तर्गत पुनः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर द्वारा प्रकाशित परिदृश्य के अन्तर्गत मानव विकास सूचकांक 0.645 पर पहुँच कर जिले का राज्य में 14 वां स्थान हैं।

1.2. जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया :–

जिले में मानव विकास परिदृश्य तैयार करने हेतु :–

कोर ग्रुप :– जिला मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार करने के समन्वय के लिए जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। जिसमें श्री वी.के.जैन, मुख्य आयोजना अधिकारी, मुख्य समन्वयक हैं तथा नीरज झा, कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर, डॉ एस.के. परमार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी इनके सह समन्वयक हैं।

सलाहकार समिति – जिला मानव विकास प्रतिवेदन के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति, जिसमें पंचायतीराज के सदस्य, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारी व तृतीय स्तरीय शिक्षा हेतु पॉलिटेक्निक एवं महाविद्यालय द्वारा मनोनीत दो सदस्य, गैर सरकारी संस्थान अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन व दूसरा दशक के प्रतिनिधि, प्रबंधक नाबार्ड व अग्रणी बैंक प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. समय–समय पर अपने विचार एवं अनुभव प्रदान कर मानव विकास परिदृश्य को तैयार करने में अपनी अहम् भूमिका अदा करते रहे है।

कार्य समूह का गठन व कार्य – शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं महिला विकास के साथ सिरोही जिले के आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता जल एवं पर्यटन के कार्यसमूहों का गठन कर मानव विकास परिदृश्य तैयार करने हेतु जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर परिकल्पना पत्र तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान कर एवं समस्त सदस्यगण के गहन चर्चा पश्चात् परिदृश्य की रूपरेखा तैयार की गई।

प्रथम कार्यशाला का आयोजन – जिला मानव विकास प्रतिवेदन की आवश्यकता, तैयार करने की प्रक्रिया, तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रारम्भिक कार्यशाला का आयोजन कर सलाहकार समिति एवं कार्य समूहों के सदस्यों को आयोजना विभाग, जयपुर यू.एन.डी.पी. एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित कर जिला मानव विकास परिदृश्य की रूपरेखा तैयार व अनुमोदित की गईं। जिसके अनुसार कार्य समूहों को अपनी रिपोर्ट तैयार कर परिदृश्य तैयार करने हेतु कोरग्रुप को प्रस्तुत की गई।

सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक – सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक में कार्यसमूहों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। जिसमें सलाहकार समिति के सदस्यों ने प्रत्येक कार्यसमूहों को सुझाव दिये जिसे बैठक के दौरान ही कोर ग्रुप द्वारा रिपोर्ट में संशोधन किया गया।

जिला मानव विकास परिदृश्य का अनुमोदन – जिला मानव विकास प्रतिवेदन का अनुमोदन जिला प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला आयोजना समिति की बैठक दिनांक 08.05.2010 को में किया गया।

1.3 <u>जिला मानव विकास परिदृश्य का उपयोग :–</u> जिला मानव विकास परिदृश्य का उपयोग विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी एवं उनके अन्य अधिकारी जो आयोजना से जुडे हैं वे जिला मानव विकास परिदृश्य के आंकडों व विश्लेषण को ध्यान में रख अपने विभागीय कार्य योजना में उप जिला व ब्लॉक स्तर पर असंतुलन को दूर कर उप जिला व पंचायत समिति के मांग एवं प्राथमिकता अनुसार प्रभावी नियोजन कर जिले के विकास करने में सक्षम हो पायेगें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय येाजना के अनुसार जिले के समस्त आयोजना, क्रियान्वयन व मोनिटरिंग में पंचायतीराज सदस्यों की भागीदारी सूनिश्चित करने में जिला मानव विकास परिदृश्य एक विशेष टूल की भूमिका अदा करेगा जो पंचायतीराज सदस्यों को अपने क्षैत्र की विशेष परिस्थति व प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुये क्षैत्रीय विकास हेतु मांग व प्राथमिकता के अनुरूप आयोजना, क्रियान्वयन व मोनिटरिंग में मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा।

अध्याय-2

जिले का परिचयात्मक विवरण

2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

सिरोही जिले का नाम इसके मुख्यालय सिरोही नगर के कारण पडा है। सिरोही शब्द की उत्पत्ति ''सिरणवा'' से मानी जाती है। सिरणवा पर्वत श्रेणी के नीचे इस शहर के बसने के कारण इसका नाम सिरोही पड़ा, ऐसी मान्यता हैं। एक मान्यता यह भी हैं कि 'शिवपुरी' से सिरोही नाम पड़ा। परन्तु प्रसिद्व साहित्यकार एवं इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचन्द ओझा की मान्यता है कि सिरोही शब्द शिवपुरी के बजाय सिरणवा से अधिक मिलता जूलता है और पुराने साहित्य में सिरोही के स्थान पर सिरणवा शब्द का प्रयोग भी मिलता है। जेम्स टॉड'' का मानना है कि इसका नाम इसकी (भौगोलिक) स्थिति–सिर (शीर्ष) पर रोही (जंगल) होने से सिरोही पड़ा है। सिरोही तलवार को भी कहा जाता है। अतः यह भी माना जाता है कि यहाँ के वीर शासक देवडा चौहानों की तलवार के (शौर्य के) कारण इसका नाम सिरोही पडा है। राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित सीमान्त जिला सिरोही भौगोलिक रूप से विषमता लिए हुए एवं अरावली की मुख्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में विभिन्न जाति वर्ग के लोग निवास करते है। जिले को पांच पंचायत समिति एवं 4 उपखण्डों में विभाजित किया गया है। पिण्डवाडा एवं आबूरोड क्षेत्र की अधिकांश आबादी जन जातीय है तो रेवदर क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग की अधिकता से जाना जाता है।

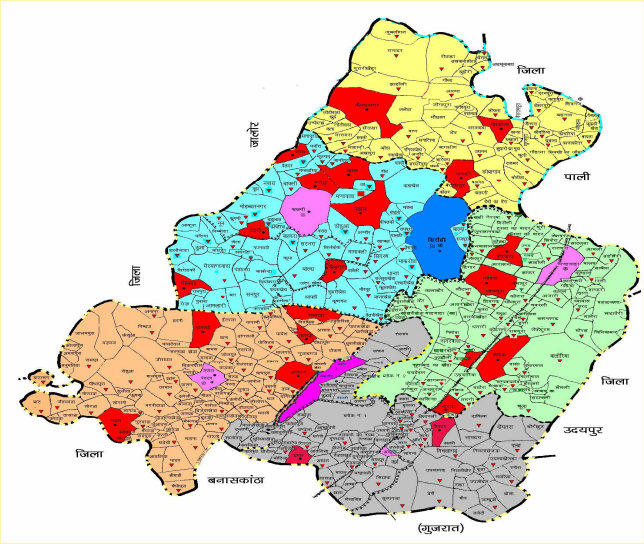

यहॉ के निवासियों की अपनी अलग परम्पराऐं, वेशभूषा एवं जीवनयापन के साधन है। वर्षा की असमानता, पहाडी जन जीवन एवं अर्थिक रूप से पिछडेपन के कारण यह क्षेत्र औसत नजर आता है।

2.2 भौगोलिक स्थिति :–

यह जिला विषमकोणीय आकृति का है जो राजस्थान के दक्षिण–पश्चिमी भाग में उत्तरी अक्षांश 24^0 20′ से 25^0 17′ तथा पूर्वी देशान्तर 72^0 16′ से 73^0 10′ के मध्य एवं 45 सी, 45 डी, 45 जी व 45 एस.जी.टी. सर्वे ऑफ इण्डिया के शीट के अनुसार स्थित हैं। इसके उत्तर–पूर्व में पाली जिला, पूर्व में उदयपुर जिला, उत्तर पश्चिम में जालोर जिला और दक्षिण में गुजरात राज्य का बनासकांठा जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 5,136 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.50 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 8,51,107 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 4,37,949 और स्त्रियों की संख्या 4,13,158 है तथा जिले की ग्रामीण जनसंख्या 700217 और नगरीय जनसंख्या 150890 है।

2.3. धार्मिक स्थिति :–

सिरोही जिला अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एंव सांस्कृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आबू के देलवाड़ा के जैन मन्दिर अपनी स्थापत्य एंव मूर्तीकला के लिए जगत में विख्यात है। सूर्य मन्दिरों की परम्परा तो इसी प्रदेश में रही है जिनमें इस जिले के बसन्तगढ़, पिण्डवाड़ा, मूँगथला, वासा, नितोड़ा, वरमाण, आदि के सूर्य मदिर प्रसिद्ध रहे है। वासा, नितोड़ा एंव करोडीध्वज तथा वरमाण के सूर्य मन्दिर तो सातवीं शताब्दी की देन है एंव भारत भर में प्रसिद्ध है। जैन मन्दिरों एंव वैष्णव मन्दिरों की भी एक समृद्ध परम्परा इस जिले में रही है। जिले के निवासी प्रायः सार्वजनिक स्थानों पर एक विशेष दानपेटी रखते हैं। दानपेटी में आने वाली आय का उपयोग गाय के संरक्षण एवं विकास में किया जाता हैं। यह दर्शाता हैं कि जिले के निवासी गाय के प्रति असीम श्रृद्वा रखते हैं।

2.4. धरातल :–

सिरोही जिला पहाडी, पठारी तथा मैदानी तीन भागो में बंटा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित आबूपर्वत राजस्थान का एक मात्र पर्वतीय स्थल है तथा यहॉ पर स्थित गुरू शिखर, अरावली पर्वत श्रृखंला में ही नहीं अपितु हिमालय एवं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बाद सबसे ऊँचा स्थान है। इसका अधिकांश भाग अर्द्ध रेगिस्तानी है तथा कहीं–कहीं पर पहाड़ियाँ तथा रेत के टीले है। पर्वत मालाओं में सिरोही तहसील में स्थित सबसे ऊँची चोटी 583 मीटर ऊँची है, जो मण्डवाडा ग्राम के पश्चिम में स्थित है। आबूपर्वत एवं पिण्डवाडा उपखण्ड का सम्पूर्ण भाग पहाड़ी इलाका है। जिले को तीन मुख्य बेसिन के अन्तर्गत बांटा गया हैं। पश्चिम बनास बेसिन जो पूर्वीय शहर सिरोही के पहाड़ियों से पश्चिम में पिण्डवाडा शहर तक फैली हुई हैं तथा अरावली पर्वतीय श्रृंखला के पूर्वी छोर सिरोही एवं माउन्ट आबू की पहाड़ियों से दक्षिण पिण्डवाडा शहर के अरावली पर्वतीय श्रृंखलाओं तक बहती हैं। सूकली नदी बेसिन जिले के उत्तर क्षेत्र में लूनी बेसिन तथा पश्चिमी बनास नदी बेसिन के मध्य फैली हुई हैं तथा पश्चिमी बनास नदी बेसिन से उत्तरी पूर्व दिशा में गुजरात राज्य के डीसा शहर के पास मिलती हैं।

शिवगंज तहसील का मैदानी भाग अधिक उपजाऊ है। जिले की दो तहसीलों रेवदर एवं सिरोही के कुछ भाग में पहाड़ियाँ हैं पर अधिकांश भाग समतल एवं रेतीला है। जिले के अरावली पर्वत श्रृंखलाओ में सबसे ऊँची चोटी गुरूशिखर है, जो 5500 फीट ऊॅची है। सिरोही जिले में स्थित अरावली पर्वत से कई छोटी बड़ी नदियाँ निकलती है, इनमें से मुख्य पश्चिमी बनास नदी है, जो पिण्ड़वाडा तहसील क्षेत्र से बहती हुई आबूरोड तहसील से गुजरात राज्य में प्रवेश करती है।

2.5. जलवायु :–

सिरोही जिले की जलवायु ग्रीष्म ऋतु के मई, जून माह में 42 डिग्री सेल्सियस तथा शरद ऋतु के दिसम्बर, जनवरी में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक सामान्यतः रहता हैं तथा माउन्ट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता हैं। जिले में आर्द्रता माह जून से बढ़ना शुरू होकर जुलाई एवं अगस्त माह के दौरान 83 से 85 प्रतिशत हो जाता हैं तथा मानसून के उपरान्त आर्द्रता गिरनी शुरू हो जाती हैं, इसके पश्चात् शरद ऋतु में पुनः आर्द्रता में वृद्धि पायी जाती हैं जो लगभग 40 से 80 प्रतिशत रहती हैं। वहीं ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता 35 से 40 प्रतिशत होती हैं।

सिरोही जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन जून माह के द्वितीय पखवाड़े से माह सितम्बर तक के अन्त तक रहता हैं तथा अनियमित हैं। जिले में वार्षिक औसत वर्षा 635 मी.मी. (माउन्ट आबू को छोड़कर) हैं। गत चार वर्षो से जिला अकाल से जूझ रहा हैं। जिले के 1995 से 2008 तक के वर्षवार औसत वर्षा के अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि वर्ष 2002 में जिले में न्यूनतम औसत वर्षा 233.6 मि.मी. तथा ब्लॉकवार न्यूनतम औसत वर्षा पंचायत समिति सिरोही 192.2 मि.मी. हैं। वहीं वर्ष 2006 के अन्तर्गत जिले में औसत वर्षा 1314.4 मि.मी. तथा ब्लॉकवार अधिकतम औसत वर्षा पिण्डवाडा 1821.0 मि.मी. रिकार्ड की गई। अधिकांश वर्षों में जिले में सूखे के हालात पैदा हुए हैं।

2.6. प्रशासनिक संरचना :–

सिरोही जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर, जो कि सभी विभागों पर नियंत्रण रखते हैं, के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् का पद सृजित हैं। सिरोही जिले में चार उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही, रेवदर, आबूपर्वत एवं पिण्डवाडा में स्थित हैं जहाँ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय हैं। कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो उप अधीक्षक मुख्यालय पर है, जिसमें से एक उप अधीक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिये नियुक्त हैं, और आबूपर्वत व रेवदर में एक–एक उप अधीक्षक है। जिले में कुल 4 उप अधीक्षक व 15 पुलिस थाने हैं।

सिरोही जिले में पांच तहसील सिरोही, शिवगंज, रेवदर, पिण्डवाडा व आबूरोड एवं जिले में पांच पंचायत समितियाँ सिरोही, शिवगंज, रेवदर, पिण्डवाडा एवं आबूरोड तथा पांच ही नगर पालिका (सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड एवं आबूपर्वत) हैं। जिले में 151 ग्राम पंचायतें हैं। जिले में तीन विधान सभा क्षेत्र रेवदर अनुसूचित जाति, पिण्डवाडा–आबू अनुसूचित जनजाति तथा सिरोही–शिवगंज सामान्य विधायक सीट हैं। यह जिला लोकसभा क्षेत्र जालोर–सिरोही का भाग है।

क्र.सं.	नाम	विवरण/संख्या
1.	जिला परिषद्	एक
2.	आबाद ग्राम	455
3.	कुल ग्राम	495 राजस्व ग्राम (गजट नोटिफिकेशन अनुसार)
4.	उपखण्ड	चार – सिरोही, रेवदर,, आबूपर्वत एवं पिण्डवाडा
4.	तहसील	पॉच–सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, रेवदर
5.	उप तहसील	तीन–मण्डार, भावरी एवं कालन्द्री
6.	नगर पालिकायें	पांच–सिरोही, पिण्डवाडा, आबूपर्वत, आबूरोड, शिवगंज
7.	पंचायत समितियाँ	पांच–सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, रेवदर, आबूरोड
8.	ग्राम पंचायतें	151
9.	पटवार हल्के	155
10.	विधानसभा क्षेत्र	तीन– सिरोही–शिवगंज, आबू–पिण्डवाडा एवं रेवदर
11.	लोकसभा क्षेत्र	एक– जालोर–सिरोही का भाग

2.7. मानव (एक दृष्टि) :–

क्र.स.	विवरण	संख्या	
1	मानव विकास सूचकांक (HDI)	0.645	
2	श्रेणी अनुसार राजस्थान में जिले का स्थान	14	
3	कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार)	8,51,107	
4	पुरूष / प्रतिशत	4,37,949	51.46 %
5	स्त्री / प्रतिशत	4,13,158	48.54 %
6	ग्रामीण / प्रतिशत	7,00,217	82.27 %
7	शहरी / प्रतिशत	1,50,890	17.73 %
8	अनुसूचित जाति प्रतिशत	19.15 %	
9	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत	24.8 %	
10	जनसंख्या वृद्धि दर (वर्ष 1991–2001)	30.1 %	
11	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)	166	
12	स्त्री पुरूष अनुपात	943	
13	ग्रामीण स्त्री पुरूष अनुपात	960	
14	शहरी स्त्री पुरूष अनुपात	868	
15	0 से 6 तक स्त्री पुरूष अनुपात	918	
16	स्त्री पुरूष अनुपात (अनुसूचित जाति)	918	
17	स्त्री पुरूष अनुपात (अनुसूचित जनजाति)	953	
18	शादी की औसत आयु	18.7 वर्ष	
19	कुल परिवार	1,63,245	
20	बी.पी.एल. परिवार	32282	
21	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	60.01 वर्ष	
22	जन्म दर	27.16	
23	कुल प्रजनन दर	3.37	
24	शिशु मृत्यु दर	77	
25	कुल साक्षरता दर	53.94 %	
26	पुरूष साक्षरता दर	69.89 %	
27	महिला साक्षरता दर	37.10 %	
28	ग्रामीण साक्षरता दर महिला / पुरूष	31.29 %	65.19 %
29	शहरी साक्षरता दर महिला / पुरूष	64.12 %	89.36 %
30	विद्युत सुविधा वाले परिवार	61.46 %	
31	सुरक्षित पेयजल वाले परिवार	97.57 %	
32	शौचालय सुविधा वाले परिवार	20.25 %	
33	व्यवसायिक कार्यो में कुल कार्यशील जनसंख्या	3,43,905	10.4%

2.8. ब्लॉकवार जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2001 के अनुसार)

क्र. सं.	ब्लॉक	क्षेत्र	जनसंख्या			लिंगानुपात	जनसंख्या	
			व्यक्ति	पुरूष	महिला		अ.जा	अ.ज.जा
1	सिरोही	योग	161133	81156	79977	985	35978	11960
		ग्रामीण	125589	62387	63202	1013	30126	9093
		शहरी	35544	18769	16775	894	5852	2867
2	शिवगंज	योग	124452	63652	60800	955	22363	19455
		ग्रामीण	99663	50744	48919	964	19443	18205
		शहरी	24789	12908	11881	920	2920	1250
3	रेवदर	योग	175344	90145	85199	945	58325	20375
		ग्रामीण	175344	90145	85199	945	58325	20375
4	पिण्डवाडा	योग	205568	105541	100027	948	24172	74496
		ग्रामीण	184803	94576	90227	954	20476	72986
		शहरी	20765	10965	9800	894	3696	1510
5	आबूरोड	योग	184610	97455	87155	894	22146	84477
		ग्रामीण	114818	59326	55492	935	6258	76526
		शहरी	69792	38129	31663	830	15888	7951
	योग	**योग**	**851107**	**437949**	**413158**	**943**	**162984**	**210763**
		ग्रामीण	**700217**	**357178**	**343039**	**960**	**134628**	**197185**
		शहरी	**150890**	**80771**	**70119**	**868**	**28356**	**13578**

स्रोत :–जनगणना 2001

ब्लॉकवार जनसंख्या का प्रतिशत

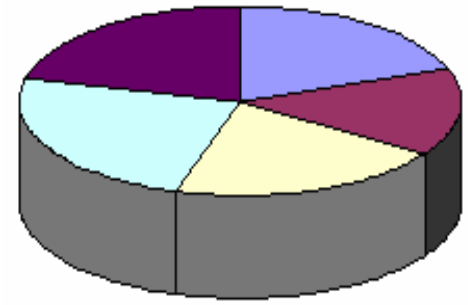

सिरोही	शिवगंज	रेवदर	पिण्डवाडा	आबूरोड
18.93	**14.62**	**20.60**	**24.16**	**21.69**

ब्लॉकवार लिंगानुपात

सिरोही	शिवगंज	रेवदर	पिण्डवाडा	आबूरोड
985	**955**	**945**	**948**	**894**

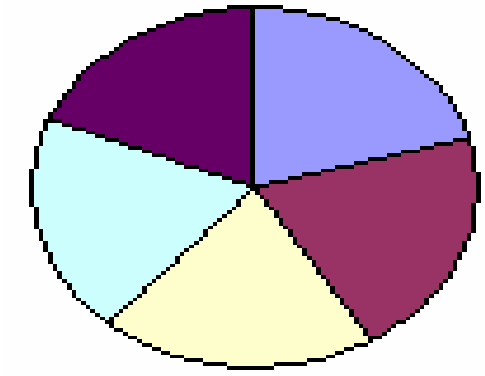

ब्लॉकवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या का वितरण

जाति	सिरोही	शिवगंज	रेवदर	पिण्डवाडा	आबूरोड	योग
एस.सी.	35978	22363	58325	24172	22146	162984
प्रतिशत	**4.23**	**2.63**	**6.85**	**2.84**	**2.60**	**19.15**
एस.टी.	11960	19455	20375	74496	84477	210763
प्रतिशत	**1.41**	**2.29**	**2.39**	**8.75**	**9.93**	**24.76**

स्रोत :–जनगणना 2001

जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति में लिंगानुपात 1991 में क्रमशः 907 एवं 939 था वह सुधरकर 2001 में क्रमशः 918 एवं 953 हो गया हैं।

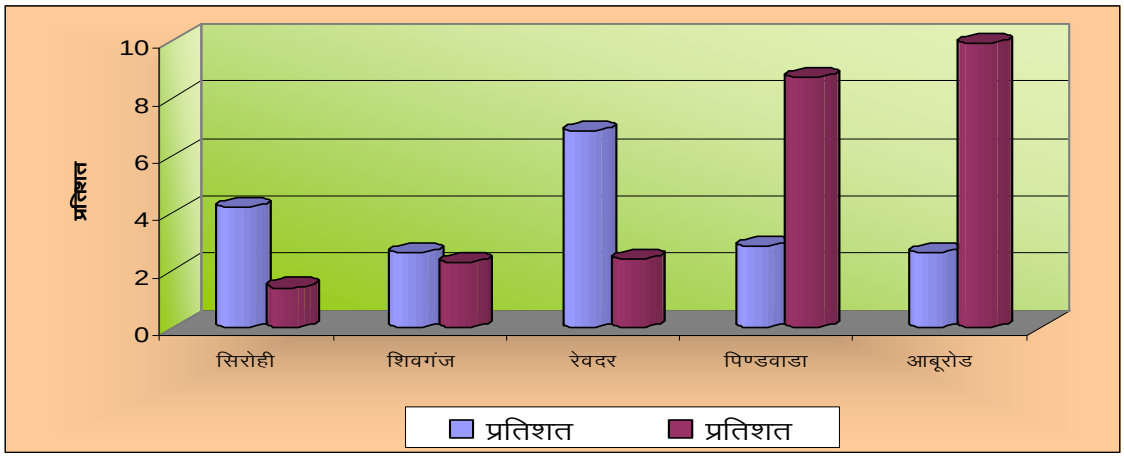

स्रोत :–जनगणना 2001

2.9. आधारभूत स्थिति :–

जनसंख्या घनत्व वर्ष 1991 में 127 प्रति वर्ग कि.मी. से बढ़कर वर्ष 2001 में 166 प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। जिले के घरों में बिजली की उपलब्धता 1991 में 35.90 प्रतिशत थी जो कि बढ़कर वर्ष 2001 में 61.46 प्रतिशत हो गई है तथा वर्तमान में दूर–दूर फैली हुई छोटी–छोटी अनेक ढ़ाणियों को छोड़कर शत प्रतिशत घरों तक पहुँच गई है। सुरक्षित पेयजल 1991 में 74 प्रतिशत घरों तक था जो कि 2001 में बढ़कर 97.75 प्रतिशत हो गया हैं तथा वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से कुछ बस्तियों को छोडकर पहुँचा दिया गया हैं। शौचालय सुविधा 1991 में मात्र 12.8 प्रतिशत घरों तक थी वह बढ़कर 2001 में 20.25 प्रतिशत घरों तक ही पहुँच पायी हैं। वर्तमान में भी इस क्षेत्र में जिला काफी पीछे हैं, विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक हैं।

सिरोही जिले का कुल क्षेत्रफल 1279858 एकड़ हैं। जिसमें से 537000 एकड़ भूमि कृषि योग्य है। इस कृषि योग्य भूमि में से कुल 237000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस सिंचित क्षेत्र में से 68305 एकड़ (27654 हैक्टर) भूमि में सिंचाई सुविधा बांधों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। बांधवार सूचना परिशिष्ठ 3 – x, xi & xii में दर्शायी गई है।

जिले में कुल 66 बांध है। जिनमें से 39 बांध जल संसाधन विभाग के पास है। तथा 300 हैक्टर सिंचाई क्षमता से कम के 27 बांध पंचायती राज संस्थान को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

2.10. पशुधन :–

क्र.स.	विवरण	संख्या
1	कुल पशुधन (2007)	1019279
2	गाय बैल (2007)	201758
3	भैंस (2007)	166892
4	भेड (2007)	251707
5	बकरी (2007)	342738
6	ऊंट (2007)	5533
7	सुअर (2007)	457
8	घोड़े टट्टू (2007)	315
9	गधे (2007)	1495
10	कुक्कुड़ (2007)	48384
11	मत्स्य उत्पाद (2007)	500 m.t.

स्रोत :– पशु गणना 2007

2.11. जिले में बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति :–

पंचायत समिति वार बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति (ग्रामीण)

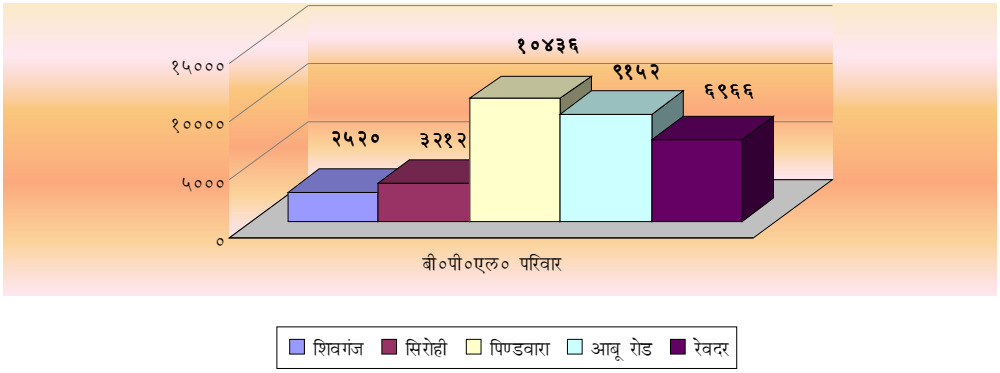

स्त्रोत;– बी0पी0एल0 सर्वे 2002

सिरोही जिले में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या **बी.पी.एल. सर्वे 2002 के अनुसार 32,282 परिवार बी.पी.एल. है** जो कुल 163245 परिवारों का **19.78 प्रतिशत** है। कुल बी.पी.एल. परिवारों में से पंचायत समिति वार आंकलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र पिण्डवाडा एवं आबूरोड पंचायत समितियों में बी.पी.एल. परिवार 32.31 व 28.35 प्रतिशत है। वहीं रेवदर पंचायत समिति जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र प्रतिशत 21.57 के साथ तीसरे स्थान पर है। उपर्युक्त वक्तव्य के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जिले एवं राज्य सरकार स्तर से क्रियान्वित कार्यक्रमों व योजनाओं का नियोजन लाभार्थियों की मांग तथा क्षेत्रिय मांग को नगण्य कर दिया गया है। क्षेत्रिय समुदाय एवं स्थानीय निवासियों की भागीदारी के अभाव में समुदाय द्वारा सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं को पूर्णतया नहीं अपना सकें व लाभों से वंचित रह गये हैं। सिरोही जिला मुख्यालय एवं शिवगंज ब्लाक के निवासियों ने शिक्षा के महत्व को समझा तथा स्वयं का व्यवसाय विकसित कर अपने क्षेत्र का विकास किया हैं।

सिरोही जिले में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों व लाभार्थियों की मांग के अनुसार कार्यक्रमों/योजनाओं में परिवर्तन कर क्रियान्वयन किया जाना चाहिये। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रथम लक्ष्य जो भूखमरी व गरीबी उन्मूलन तथा सभी महिला एवं युवा वर्गों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करवाये जाने की बात करता है, इसके अनुसार जिले में क्रियान्वित कार्यक्रमों तथा योजनाओं को अनुसूचित जाति व जनजाति के मांग अनुसार परिवर्तन कर एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को क्षेत्र के मांग अनुरूप सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

अध्याय-3

आजीविका

संविधान के अनुसार मानव विकास हेतु आवश्यक नीतिगत सिद्धान्तों को राज्य स्तर पर उपयोग में लाना।

1. समस्त पुरूष व स्त्री नागरिक को समानता के आधार पर यथोचित आजीविका का अधिकार।
2. समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का वितरण इस तरह से हो कि इसका उपयोग सर्वोत्तम तथा सभी तक इनकी पहुँच हो। क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का मालिकाना हक व नियन्त्रण समुदाय का हो, जिससे इनके उचित वितरण एवं सभी तक पहुँच को सुनिश्चित किया जावें।
3. जिले में अधिक संस्थाये इस प्रकार कार्यरत हो कि उपलब्ध सम्पदा केवल चन्द लोगों तक सीमित न रह जाऐ एवं आम समुदाय केवल उत्पादक तक सीमित न रहकर अपनी आर्थिक स्थिति को हानि न पहुँचाये।
4. महिलाओं एवं पुरूष को समान रोजगार तथा समान मजदूरी का प्रावधान हो।
5. कम उम्र के बच्चे, श्रमिक, महिला एवं पुरूष, स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के अनुसार उपेक्षित न रहते हुये नागरिक आर्थिक आवश्यकता एवं उप व्यवसाय के अनुसार दबाव रहित रहें।
6. बच्चों को बेहतर अवसर एवं सुविधाऐं प्रदान हो ताकि उनकी बाल्यावस्था तथा युवावस्था शोषण मुक्त, चारित्रिक एवं सामग्री का परित्याग रहित स्वस्थ तरीके से स्वतन्त्र एवं गरिमापूर्ण रूप से विकसित हो सकें।

3.1. श्रेणीवार कार्यशील आबादी

क्र. सं.	श्रेणी	लिंग	राज्य		जिला सिरोही	
			कार्यशील आबादी	प्रतिशत	कार्यशील आबादी	प्रतिशत
1	कृषक	कुल	13140066	55.3	111793	32.5
		पुरूष	7062726	48.1	68932	31.4
		महिला	6077340	67.0	42861	34.5
2	कृषि श्रमिक	कुल	2523719	10.6	62104	18.1
		पुरूष	1055332	7.2	20582	9.4
		महिला	1468387	16.2	41522	33.4
3	गृह उद्योग श्रमिक	कुल	677991	2.9	10159	3.0
		पुरूष	419528	2.9	6144	2.8
		महिला	258463	2.8	4015	3.2
4	अन्य श्रमिक	कुल	7424879	31.2	159849	46.5
		पुरूष	6158216	41.9	123833	56.4
		महिला	1266663	14.0	36016	28.9
5	कुल श्रमिक	**कुल**	**23766655**	**100**	**343905**	**100**
		पुरूष	**14695802**	**100**	**219491**	**100**
		महिला	**9070853**	**100**	**124414**	**100**

स्त्रोत जनगणना –2001

कृषि क्षेत्र में कार्यशील आबादी जिले की कुल कार्यशील आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हैं। यह दर्शाता हैं कि कृषि क्षेत्र जिले में अग्रणी हैं। गृह उद्योग श्रमिकों की आबादी मात्र 3 प्रतिशत होना यह संकेत देता हैं कि जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ हैं।

3.2 कृषि –

भूमि का उपयोग प्रतिमान एवं भूमि जोत क्षेत्र :–

भूमि का उपयोग प्रतिमान एवं भूमि जोत क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

3.2.1. भूमि उपयोगिता :– राजस्थान के वन क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत सिरोही जिले में हैं। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 517947 है0 के एवज में 15439 है0 भूमि वन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। जिले में कुल बोये क्षेत्रफल तकरीबन कुल वन क्षेत्र के समकक्ष हैं। गत तीन वर्षो के आँकड़ों के अवलोकन करने पर पाया गया कि सिरोही जिले के कुल क्षेत्रफल में से अधिकतम 22.69 प्रतिशत क्षेत्र सिरोही पंचायत समिति की है तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला ब्लॉक 17.07 प्रतिशत के साथ आबूरोड़ है। जिले की कुल क्षेत्रफल का 30.01 हिस्सा वनक्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसका 37.55 प्रतिशत आबूरोड़ पंचायत समिति में है। जिले में कुल क्षेत्रफल का 25.74 प्रतिशत भूमि Non Agriculture भूमि है जिसमें से अधिकांश भूमि 26.76 प्रतिशत सिरोही तथा न्यूनतम आबूरोड़ व शिवगंज पंचायत समिति में क्रमश; 9.37 व 16.53 प्रतिशत है। Cultivable Waste भूमि की अगर बात की जाये तो जिले में कुल 2.01 प्रतिशत है जिसमें से अधिकांश भूमि 41.38 प्रतिशत सिरोही पंचायत समिति में है। जिले की 6.44 प्रतिशत भूमि चारागाह है व 0.02 प्रतिशत भूमि का उपयोग बागवानी हेतु किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 4.91 प्रतिशत पड़त भूमि में से अधिकांश 27.62 प्रतिशत पंचायत समिति सिरोही के अन्तर्गत है।

जिले में कुल बुवाई क्षेत्र 151426 है0 में से अधिकतम बुवाई रेवदर तथा सबसे कम आबूरोड़ पंचायत समिति की है। जिले का सकल फसल क्षेत्र कुल 210808 है0 व फसल प्रबलता 136.78 प्रतिशत है जिसमें से अधिकांश योगदान रेवदर ब्लॉक का व न्यूनतम आबूरोड़ का है। अतः उपर्युक्तानुसार जिले की रेवदर पंचायत समिति कृषि विस्तार हेतु सबसे उचित है।

3.2.2. भूमि क्षमता व वर्गीकरण :– सिरोही जिले का अधिकांश क्षेत्र में लिथोसोईल पाई जाती हैं। लिथोसोईल, मृदा बनने की प्रक्रिया में हैं, अतः अधिकांश क्षेत्र की मृदा निम्न गुणवत्ता की है, जिसमें उर्वरा क्षमता काफी कम है तथा मृदा सतह की परत पतली हैं व मृदा सतह के नीचे चट्टान की परत होने के कारण भूमि में पानी का रिसाव काफी कम हैं।

(क्षेत्रफल ;–है0)

पंचायत समिति का नाम	सबसे अच्छी कृषि भूमि	अच्छी कृषि भूमि	सामान्य कृषि भूमि	सामान्य कृषि भूमि अनियमित खेती योग्य	समतल अयोग्य कृषि भूमि (पथरीला)	तीखी ढाल, अधिक भू क्षरण व पतली मृदा सतह	तीखी ढाल, अधिक भू क्षरण के कारण पथरली व उबउ–खाबड मृदा सतह
	Class-I	Class-II	Class-III	Class-IV	Class-V	Class - VI	Class - VII
सिरोही	1857	3342	5941	25994	12649	7589	5060
शिवगंज	1517	2731	4855	21242	8609	5165	3443
रेवदर	2494	4157	6650	28267	10922	6553	4369
पिण्ड़वाड़	1547	2785	4950	21660	3277	1456	2550
आबूरोड़	710	1277	2272	9938	1556	693	1210
योग	**8125**	**14292**	**24668**	**107101**	**37013**	**21456**	**16632**

स्त्रोत कृषि विभाग सिरोही

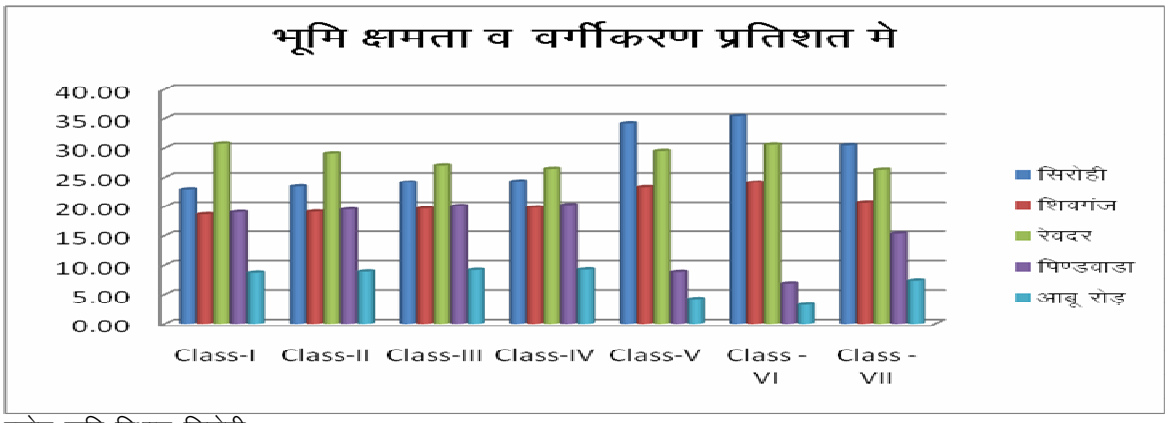

स्त्रोत कृषि विभाग सिरोही

जिले में सबसे अच्छी कृषि योग्य 8125 है0 भूमि है, जिसमें अधिकतम 30.70 प्रतिशत भूमि रेवदर तथा न्यूनतम 8.74 प्रतिशत आबूरोड़ में है। क्लास–2 की अच्छी कृषि भूमि रेवदर पंचायत समिति में 29.09 प्रतिशत व आबूरोड़ में 8.94 प्रतिशत हैं। सामान्य कृषि भूमि क्लास–3 की भूमि सबसे अधिक सिरोही में 24.8 प्रतिशत तथा सबसे कम 9.21 प्रतिशत आबूरोड़ पंचायत समिति में है। आबूरोड़ में कृषि योग्य भूमि की कमी है तथा उपलब्ध भूमि, भूमि–सुधार योग्य भी नहीं है।

3.2.3. भूमि जोत क्षेत्र – जिले में 50 प्रतिशत सीमांत कृषक है एवं इनके बाद लधु कृषकों की संख्या है। जिले के कुल कृषकों का मात्र 6 प्रतिशत बड़े कृषक है।

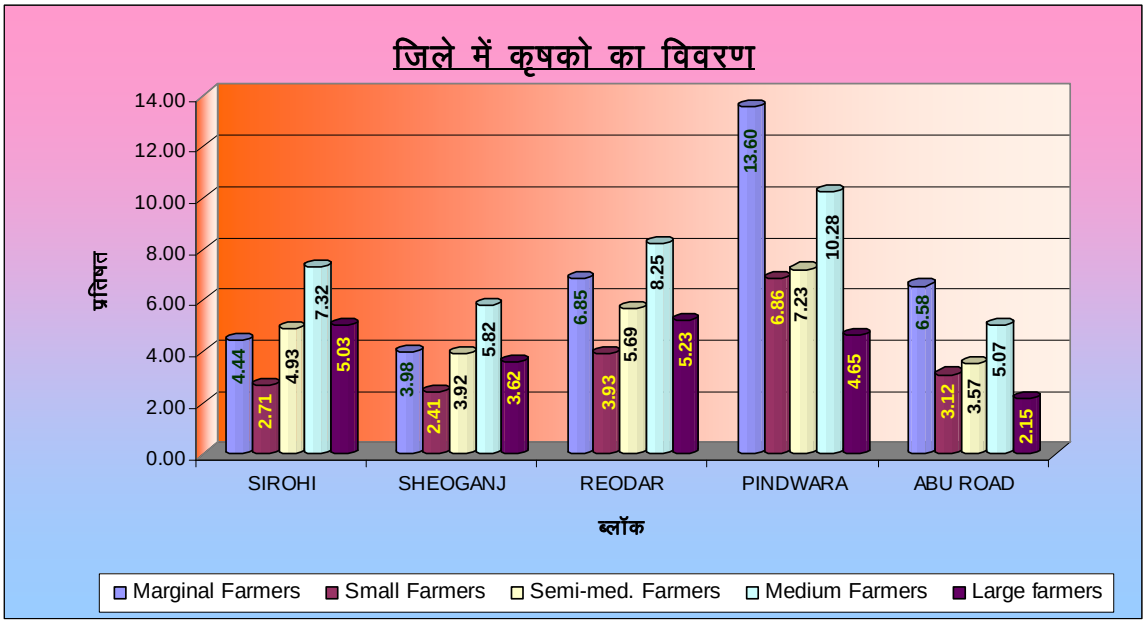

स्त्रोत कृषि विभाग सिरोही

जिले में 76433 कृषक है जिसमें से अधिकांश 35.44 प्रतिशत सीमांत कृषक, 25.34 प्रतिशत लधु कृषक, 20.67 प्रतिशत अर्ध मध्यम कृषक, 14.17 प्रतिशत मध्यम कृषक व 4.10 प्रतिशत बड़े कृषक है। खण्डवार अवलोकन पर पिण्डवाडा पंचायत समिति में अधिकाश सीमांत व लधु कृषक एवं उनके पास कृषि जोत भूमि सबसे अधिक है। अर्ध मध्यम कृषक व मध्यम कृषकों की संख्या रेवदर पंचायत समिति में अधिक है। बड़े कृषकों में से सबसे अधिक कृषक सिरोही ब्लॉक में है।

3.2.4. जिले में कृषि/कृषि अधीनस्थ मुख्य गतिविधियाँ से आय निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	उत्पाद	आय प्रति है0/नं.	औसत क्षेत्र/ कुल पशुधन	कुल आय (लाखों में)	कुल आय का प्रतिशत
1.	अरण्डी	25,000	20281	5070	5.46
2.	मक्का	7,000	27553	1929	2.08
3.	गेहूँ	15,000	29833	4475	4.82
4.	सरसों	11,000	27361	3010	3.24
5.	जीरा	19,000	3412	648	0.70
6.	सौंफ	30,000	3016	905	0.98
7.	टमाटर	1,00,000	12105	12105	13.04
8.	पपीता	3,00,000	6243	18729	20.18
9.	गाय	9,000	187535	16878	18.19
10.	भैंस	20,000	144806	28961	31.21
11.	भेड़	30	294866	88	0.09
जिले की कुल आय				**92798**	**100**

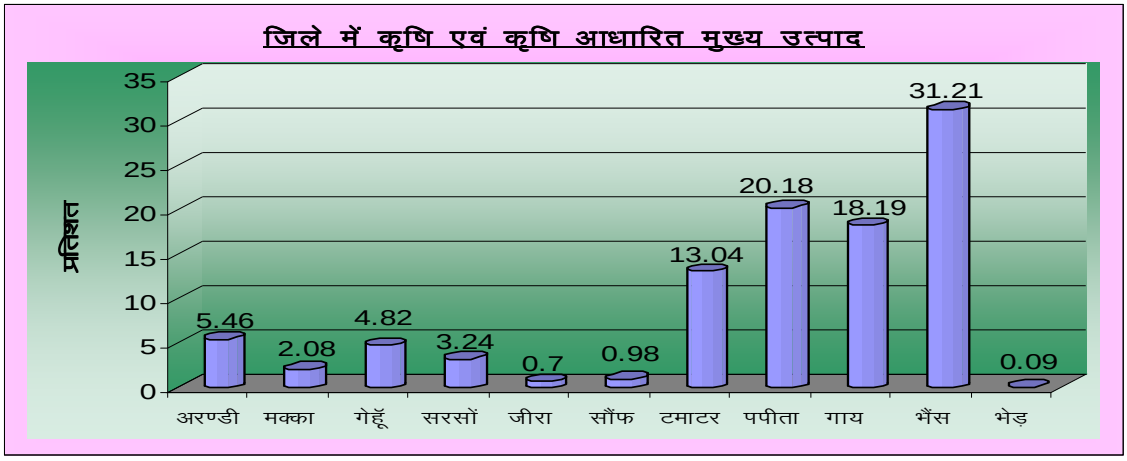

स्त्रोत कृषि विभाग सिरोही

3.2.5. सिंचाई व भू–जल :– जिले में मुख्यतः सिंचाई खुले कुओं के द्वारा की जाती हैं जिसका मुख्य स्त्रोत भूजल हैं। कुल सिंचित क्षेत्र का 55 प्रतिशत खुले कुओं से होता हैं।

Source wise area irrigated (Area in Ha.)

Taluka	Canals (area)	Tanks		Open well		Tube/bore wells		Lift Irrigation		Other Souresa		Total	
		Nos.	Area	Nos.	Area	Nos.	Area	Nos.	Area	Nos	Area	Nos.	Area
SIROHI	5252	14		3707	9561	40	6910	0	0	0	0	3761	16471
SHEOGANJ	2802	7		2606	11476	34	1522	0	0	0	0	2647	12998
REODAR	960	8		7520	33046	33	0	0	0	0	0	7561	33046
PIND¡RA	0	8	3842	3693	10080	1	0	0	0	0	0	3702	13922
ABU ROAD	0	7	1778	2810	5903	25	65	0	0	0	0	2842	7746
TOTAL	**9014**	**44**	**5620**	**20336**	**70066**	**133**	**8497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20513**	**84183**

3.2.6. कृषि क्षेत्र का SWOT विश्लेषण :–

1. **क्षमता** :–
   – वर्षा आधारित कृषि
   - जिले की जलवायु कृषि के परिपेक्ष्य में काफी उत्तम हैं तथा गत दस वर्षों के औसत वर्षा के आंकलन से ज्ञात होता हैं कि जिले की औसत वर्षा कृषि क्षेत्र के लिये उत्तम हैं।
   - जिले में लघु कृषकों एवं सीमान्त कृषकों के पास प्रबन्धकीय कृषि जोत क्षेत्र हैं।
   - जिले में लम्बी अवधि के लिये सूर्य की रोशनी सम्पूर्ण वर्ष में उपलब्ध हैं।
   - प्राकृतिक जैविक खादों का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा हैं
   - वातावरण न्यूनतम प्रदुषित हैं।

   – सिंचित कृषि :–
   - उच्च आय वाले सिंचित उत्पादों के लिये अच्छी जलवायु ।
   - उन्नत जल तकनीक जैसे कि फव्वारा/बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग।
   - प्रबन्धकीय कृषि जोत क्षेत्र।
   - कुछ क्षेत्रों में नहरी जल की उपलब्धता।
   - कृषि संस्थान की उपलब्धता

2. **कमजोरियाँ :–**
   – वर्षा आधारित कृषि
   - अल्प गहरी मृदा।
   - कमजोर मिट्टी की उर्वरा शक्ति।
   - अशिक्षा एवं कृषकों की कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ।
   - खरीफ फसलों में उच्च सघनता के खरपतवार।

   – सिंचित कृषि :–
   - भू–जल की कमी।
   - कमजोर गुणवत्ता वाला भू–जल।
   - बिजली की अनुपलब्धता के कारण महंगी सिंचाई पद्धति।

3. **अवसर :–**
   - गुजरात का सीमान्त जिला होने के कारण कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ा हुआ हैं।
   - उच्च मूल्यों की फसलों के उत्पादन के लिये अच्छी जलवायु की उपलब्धता।
   - उच्च आय एवं रोजगार सृजनात्मक मिश्रित/बाहुल्य फसल का जिले में अत्यधिक अवसरों की उपलब्धता।
   - वर्तमान पद्धति में कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की लाभदायक विविधताओं वाले प्रबल अवसर।
   - प्राकृतिक संसाधनों को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं मानव संसाधन की कार्यक्षमता बनाने के लिये उपलब्ध तकनीक।
   - बाजार की मांग के अनुसार निरन्तर अन्तराल पर फसल की आसान विविधताऐं।

4. सम्भावित समस्याऐं :–

- जिले के पाँच ब्लॉक में से शिवगंज एवं रेवदर ब्लॉक अति दोहित क्षेत्र तथा अन्य तीन ब्लॉक संवेदनशील क्षेत्र हो सकते हैं।
- उत्पादन लागत का दिनप्रतिदिन बढ़ने के कारण आय लागत अनुपात घट रहा हैं।
- कृषकों की कृषि क्षेत्र में निवेश की अयोग्यता।
- कीटनाशक तथा जटिल बीमारियों के कारण घटनाओं में बढ़ोतरी।
- लौह एवं जस्ता जैसे सूक्ष्म धातुओं की भूमि मृदा में कमी।
- दिनप्रतिदिन मिट्टी में पाई जाने वाली फंगस के कारण कृषि सघनता का नुकसान।
- टिड्डी एवं लटों की स्थाई उपस्थिति के कारण शत प्रतिशत फसल उत्पादन नष्ट होने की आशंका।

3.2.7. कृषि क्षेत्र से आय बढ़ाने के सुझाव :–

- संसाधनों का उचित प्रबन्धन।
- फसल प्रबन्धन में कार्यकुशलता।
- फसल कटाई के पूर्व एवं पश्चात् के फसल नुकसान को रोकना।
- बूंद–बूंद एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को लागू करते हुए अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करना।
- मृदा उर्वरा प्रबन्धन में एकीकृत प्रयास।
- मुख्य फसलें जैसे– मक्का, अरण्डी, गेहूँ एवं सरसौं के विकास के लिये विशेष परियोजनाऐं।

3.3 जल संसाधन :–

3.3.1. सिरोही जिले की भू–जल स्थिति

3.3.1.1. प्रस्तावना :– जिले का भू–जल अन्वेषण राज्य के भू–जल विभाग द्वारा किया जाता है। भू–जल संसाधन भारत सरकार द्वारा गठित भू–जल समिति–1997 (G.E.C. 1997) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। भू–जल आकंलन 2008 के अनुसार पंचायत समितिवार भू–जल संसाधन की स्थिति निम्नांनुसार है।

(इकाई मिलियन क्यूबिक मीटर)

क्र. सं.	पंचायत समिति	वार्षिक भू–जल उपलब्धता	वार्षिक भू–जल दोहन	भू–जल विकास स्तर (%)	पंचायत समिति की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	आबूरोड़	24.6268	22.1863	111.00	क्रिटिकल (संवेदनशील)
2	पिण्डवाडा	52.6925	47.5882	110.73	क्रिटिकल (संवेदनशील)
3	रेवदर	61.8943	83.5822	74.05	ओवर एक्सप्लोइटेड (अति दोहित)
4	शिवगंज	56.5342	54.4448	103.84	क्रिटिकल (संवेदनशील)
5	सिरोही	65.7397	68.1247	96.50	ओवर एक्सप्लोइटेड (अति दोहित)
सम्पूर्ण जिला		**261.4872**	**275.9843**	**94.75**	**ओवर एक्सप्लोइटेड (अति दोहित)**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना भू–जल संसाधन विभाग, सिरोही

जिले के अधिकतर क्षेत्रों में सीमित सतही जल भण्डारों के कारण जल मांग की अधिकांश आपूर्ति भू–जल भण्डारों पर निर्भर है, जिले में भू–जल भण्डारों का पुनर्भरण वर्षा द्वारा होता है।

प्राकृतिक रूप से भू–जल भण्डारों का पुनर्भरण तथा उसके सापेक्ष भू–जल भण्डारों के दोहन प्रतिशत को भू–जल विकास स्तर कहा जाता है। भू–जल आकंलन रिपोर्ट 2008 के अनुसार जिले में वर्षा द्वारा कुल भू–जल पुनर्भरण 261.4872 एम.सी.एम. हुआ, जिसके सापेक्ष 275.9843 एम.सी.एम. भू–जल का दोहन कर लिया गया है। प्राकृतिक रूप भू–जल पुनर्भरण से अधिक भू–जल दोहन किया गया है, अतः भू–जल विकास स्तर 94.75 प्रतिशत है, अर्थात् सम्पूर्ण जिला दोहित श्रेणी में आ गया है।

Map Showing resources position

Rainfall and Agro-climatic Regions

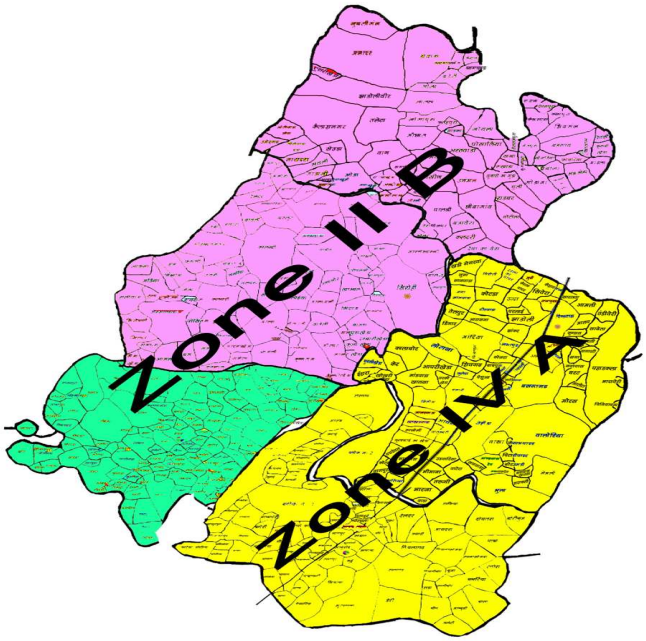

High Rainfall 202013 Ha

Medium Rainfall 108886 Ha

Low Rainfall 207048 Ha

3.3.1.2. भू–जल विज्ञान :–

जिले में अधिकतर भू–भाग चट्टानी गठन के भू–जल स्त्रोत है, जिले में जलोढ़ (एल्यूवियल), फिलाईट/नाईस, शिस्ट/नाईस, ग्रेनाईट प्रकार के जलभृत (ऐक्यूफर) पाये जाते हैं, भू–जल पुनर्भरण का मुख्य स्त्रोत वर्षा हैं, जिले में स्थित विकसित जल प्रवाह तंत्र एवं सीमित मोटाई के जलभृत (ऐक्यूफर) के कारण सीमित पुनर्भरण होता है। जलोढ़ प्रकार (एल्यूवियल) के जलभृत मुख्यतः रेवदर पंचायत समिति में स्थित है।

जिले में 4075.70 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल भू–जल धारक क्षेत्र में आता है। इस भू–जल धारक क्षेत्र का 981.83 वर्ग किमी भू–भाग एल्यूवियल गठन का है, जो कि कुल भू–जल धारक क्षेत्रफल का 24.09 प्रतिशत भाग है, इस प्रकार फिलाईट/शिस्ट गठन का क्षेत्रफल 10117.99 वर्ग किमी है, जो कि कुल भू–जल धारक क्षेत्रफल का 24.98 प्रतिशत भाग है, शिस्ट/नाईस गठन का क्षेत्रफल 525.38 वर्ग किमी है जो कि कुल भू–जल धारक क्षेत्रफल का 12.89 प्रतिशत भाग है इस प्रकार ग्रेनाईट गठन के भू–जल धारक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1550.50 वर्ग किमी. है जो कि कुल भू–जल धारक क्षेत्रफल का 38.04 प्रतिशत भाग है।

जिले को 16 भू–जल धारक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है विभिन्न पंचायत समिति में पायी जाने वाली भू–जल धारक इकाई को नीचे दिये गये नक्शें में दर्शाया गया है।

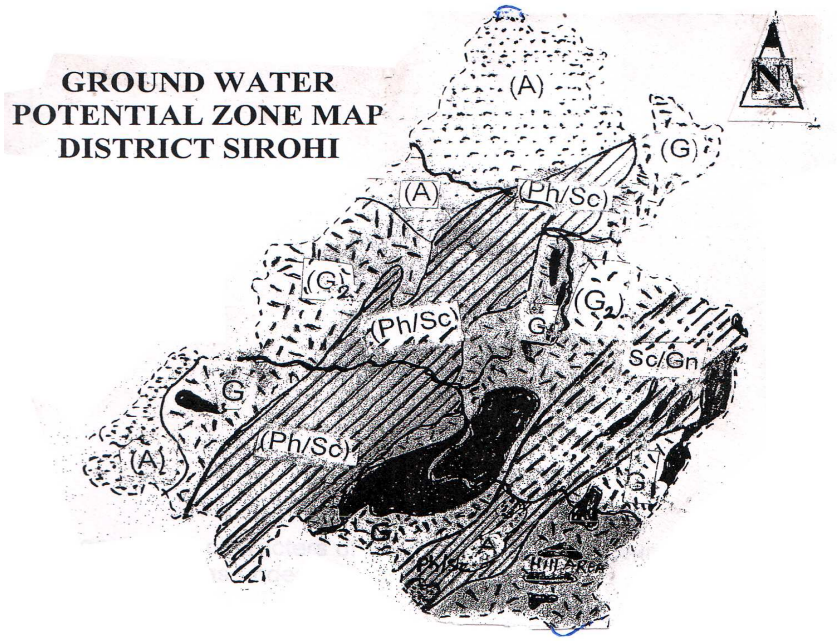

3.3.1.3 पंचायत समितिवार भू–जल स्थिति एवं विवरण

<u>आबूरोड़</u> :– आबूरोड़ ब्लॉक जिले के दक्षिण भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 848.17 वर्ग किमी है, जिसमें से 331.06 वर्ग किमी क्षेत्र भू–जल धारक क्षेत्र में आता है, इस ब्लॉक में एल्यूवियल, फिलाईट/शिस्ट, ग्रेनाईट प्रकार के भू–जल इकाई पाई जाती है, ब्लॉक में भू–जल स्तर 6.58 मी. से 18.15 मी. पाया जाता है तथा कुओं की औसत जलदेय क्षमता 30,000 से 1,00,000 लीटर प्रति दिन है अधिकांश क्षेत्र में भू–जल पेयजल गुणवत्ता का है ब्लॉक में फ्लोराईड की मात्रा 0.20 से 5.80 मिली. ग्राम प्रति लीटर तक पायी जाती है।

पिण्डवाडा :– पिण्डवाड़ा ब्लॉक जिले के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1164.9 वर्ग किमी है जिसमें से 882.90 वर्ग किमी क्षेत्र भू–जल धारक क्षेत्र में आता है, इस ब्लॉक में शिस्ट/नाईस, ग्रेनाईट प्रकार के भू–जल इकाई पाई जाती है, ब्लॉक में भू–जल स्तर 4.16 मी. से 23.40 मी. पाया जाता है तथा कुओं की औसत जलदेय क्षमता 30,000 से 80,000 लीटर प्रति दिन है अधिकांश क्षेत्र में भू–जल पेयजल गुणवत्ता का है ब्लॉक में फ्लोराईड की मात्रा 0.20 से 6.50 मिली. ग्राम प्रति लीटर तक पायी जाती है।

रेवदर :– रेवदर ब्लॉक जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1089.76 वर्ग किमी है जिसमें से 985.80 वर्ग किमी क्षेत्र भू–जल धारक क्षेत्र में आता है, इस ब्लॉक में एल्यूवियल, फिलाईट/शिस्ट, ग्रेनाईट प्रकार के भू–जल इकाई पाई जाती है, ब्लॉक में भू–जल स्तर 9.48 मी. से 29.24 मी. पाया जाता है तथा कुओं की औसत जलदेय क्षमता 30,000 से 1,20,000 लीटर प्रति दिन है अधिकांश क्षेत्र में भू–जल पेयजल गुणवत्ता का है

शिवगंज :– शिवगंज ब्लॉक जिले के उत्तर भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 890.43 वर्ग किमी है जिसमें से 772.89 वर्ग किमी क्षेत्र भू–जल धारक क्षेत्र में आता है, इस ब्लॉक में एल्यूवियल, फिलाईट/शिस्ट, ग्रेनाईट प्रकार के भू–जल इकाई पाई जाती है, ब्लॉक में भू–जल स्तर 11.50 मी. से 45.50 मी. पाया जाता है तथा कुओं की औसत जलदेय क्षमता 30,000 से 90,000 लीटर प्रति दिन है अधिकांश क्षेत्र में भू–जल पेयजल गुणवत्ता का है ब्लॉक में फ्लोराईड की अधिकतम मात्रा ग्राम वाण, सुगालिया, मोछाल क्षेत्र में पायी जाती है। ग्राम आल्पा, गोला, जोगापुरा, मनादर क्षेत्र में नाईट्रेट की मात्रा अधिक पायी जाती है।

सिरोही :– सिरोही ब्लॉक जिले के केन्द्र एवं पश्चिमी भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1168.91 वर्ग किमी है जिसमें से 1103.05 वर्ग किमी क्षेत्र भू–जल धारक क्षेत्र में आता है, इस ब्लॉक में एल्यूवियल, फिलाईट/शिस्ट, ग्रेनाईट प्रकार के भू–जल इकाई पाई जाती है, ब्लॉक में भू–जल स्तर 10.38 मी. से 33.30 मी. पाया जाता है तथा कुओं की औसत जलदेय क्षमता 30,000 से 1,20,000 लीटर प्रति दिन है अधिकांश क्षेत्र में भू–जल पेयजल गुणवत्ता का है ब्लॉक में फ्लोराईड की अधिकतम मात्रा ग्राम माकरोडा एवं मीरपुर क्षेत्र में पायी जाती है।

जिले का भू–जल ट्रेन्ड

जिले में ऊपरी आधारित संरचना तथा अल्प भ्रंश एवं कम घिसाव वाली चट्टानी प्रकृति के भू–जलभृत के कारण एवं अत्यधिक कृषि, औद्योगिक भू–जल उपयोग के कारण भू–जल स्तर में गिरावट आ रही है। साथ ही जिले में पाये जाने वाले भू–जल स्त्रोत गतिज प्रकृति (dynamic nature) के है तथा प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। अतः वर्षा जल का संरक्षण तथा भूमि में भू–जल पुनर्भरण आवश्यक है।

3.3.1.4. जल गुणवत्ता

सिरोही जिले का जल अल्कलाईन मृदा प्रतिक्रिया के अनुसार औसतन 77 प्रतिशत हैं जो कि सामान्य से लगभग 3 गुना हैं, घुलनशील लवण की मात्रा 94.5 प्रतिशत है जो कि सामान्य से लगभग 20 गुना हैं एवं पी.एच. माप 42 प्रतिशत हैं जो कि सामान्य का लगभग दुगुना हैं। ब्लॉक वार विस्तृत जानकारी **परिशिष्ठ 3–*xvii*** में अंकित हैं।

3.3.2. जल संसाधन खण्ड की भूमिका

जल संसाधन विभाग वर्तमान में भू–जल, पेयजल, सिंचाई हेतु जल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल के विकास, परिचालन एवं नियंत्रण की समग्र भूमिका में हैं तथा यह विभाग भू–जल विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं में सामन्जस्य का कार्य कर रहा हैं। अब तक बांधों एवं एनीकटों इत्यादि से रोके गये जल का विवरण बेसिन वार निम्न प्रकार है :–

In Mcft.

क्र. सं.	मुख्य बेसिन	उपलब्ध जल	अब तक उपयोग			प्रस्तावित सिंचाई परियोजना / एनीकट द्वारा	कुल	शेष
			बांधों द्वारा	एनीकटों / गंवाई तालाबों द्वारा	कुल			
1	पश्चिम बनास	9878.00	3235.40	497.00	3732.40	2442.03	6174.43	3703.57
2	सीपू (सूकली)	4822.00	2275.05	195.00	2470.05	294.77	2764.82	2057.18
3	लूनी	6341.00	3170.31	480.00	3650.31	591.50	4241.81	2099.19
	योग	**21041.00**	**8680.76**	**1172.00**	**9852.76**	**3328.30**	**13181.06**	**7859.94**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना भू–जल संसाधन विभाग सिरोही

कमाण्ड क्षेत्र की उपलब्धता सीमित होने के साथ–साथ आरक्षित वन क्षेत्र (जो कि कुल क्षेत्रफल का करीब 24 प्रतिशत है) जल स्त्रोतो के केचमेंट एरिया एवं शेष जल की उपलब्धता गुजरात से सटे हुए भाग में ज्यादा होने से, उपलब्ध जल को सिंचाई परियोजनाओं के साथ–साथ अन्य प्रयोजनार्थ जैसे कि पेयजल, भू–जल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लिया जाना आवश्यक है। शेष पानी हेतु चेक डेम एनीकट, सब सरफेस बेरियर्स का अधिक से अधिक निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

पश्चिम बनास बेसीन का जो जल गुजरात की ओर जाता है। उसे रोकने के लिए भैसासिंह बांध परियोजना द्वारा 239.00 मि.घ.फु., सालगांव बांध द्वारा 155.56 मि.घ.फु. एवं बत्तीसा नाला बांध द्वारा (573.18 मि.घ.फु.), वासा सिंचाई परियोजना द्वारा (161.12 मि.घ.फु.) प्रस्तावित है।

3.3.2.1 भू–जल प्रबधंन

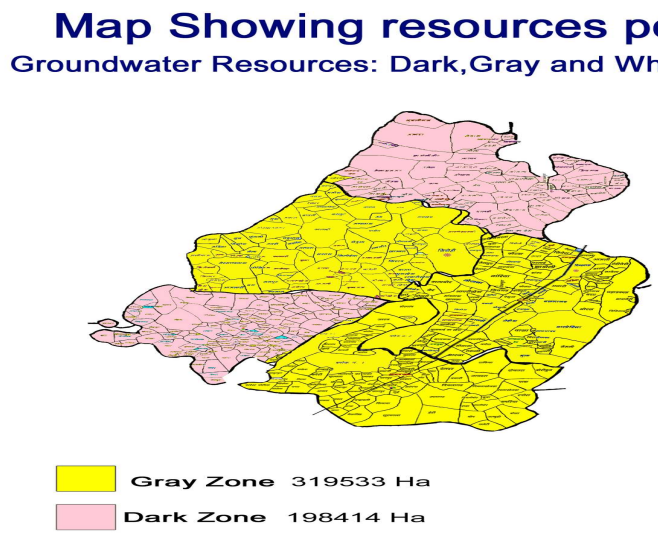

- **घटते भू–जल संसाधन के कारण :–**
  1. बढ़ती हुई जनसंख्या।
  2. भू–जल का मशीनी एवं विद्युत यंत्रों द्वारा अत्यधिक दोहन।
  3. वर्षा की घटती मात्रा एवं वर्ष में वर्षा दिनों का निरतंर घटना।
  4. अधिक जल उपयोग वाली फसलों का उत्पादन।
  5. परम्परागत जल स्त्रोतों का उपयोग नहीं होना।
- **अनियोजित भू–जल दोहन से उत्पन्न समस्याएं :–**
  1. गिरता हुआ भू–जल स्तर एवं भू–जल संसाधनों में निरन्तर कमी।
  2. भू–जल गुणवत्ता में गिरावट।
  3. कुओं की जलदेय क्षमता में कमी।
  4. भू–जल दोहन में ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी।
  5. कम कृषि उत्पादन एवं पेयजल समस्या ।
- **कृषि क्षेत्र में प्रबंधन :–**
  1. कृषि कार्यो में भू–जल दोहन को सीमित करना।
  2. कम पानी से पैदा होने वाली फसलों की बुआई करना।
  3. उन्नत बीजों का उपयोग करना।
  4. बूंद–बूंद सिचांई एवं फव्वारा पद्धति का व्यापक उपयोग करना।
  5. समय सारणीनुसार फसलों की बुआई करना।
  6. समय–समय पर कृषि विशेषज्ञों से फसलों हेतु तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।
  7. रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना जिससे कि भू–जल गुणवत्ता का ह्रास नहीं हो।
- **घरेलू क्षेत्र में प्रबधंन :–**
  1. सार्वजनिक स्थानों पर लगे खुले नलों को बंद करना।
  2. क्षतिग्रस्त पाईप लाईन की मरम्मत हेतु तुरंत सम्बन्धित कर्मचारी को सूचित करना।
  3. औद्योगिक बहिस्त्राव को परिष्कृत कर संयंत्र में जल का पुनः उपयोग करना।
  4. घरेलू उपयोग पश्चात् गन्दे जल को बाग एवं पेड़–पौधों की सिचांई आदि हेतु उपयोग करना।

3.3.2.2. भू–जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु सुझाव :–

जिलें में द्रुतगति से घटते हुए भूमि जल संसाधन के संवर्धन, प्रबधंन व्यवहारिक नियंत्रण एवं जल संरक्षण के लिए वृहत् पैमाने पर कारगर उपाय लागू करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। निम्नांकित सुझाव इस समस्या के समाधान में सार्थक साबित हो सकते है।

1. खेतों में विद्यमान पडत कुओं के द्वारा खेत में बहकर जाने/भरने वाले वर्षा जल द्वारा भू–जल पुनर्भरण करना।
2. नालों से बहने वाले वर्षा जल के ठहराव के लिए नालों में कम ऊचांई की ''झाडियों के बंध, पत्थरों के बंध एवं चिकनी मिट्टी के बंध'' बनाकर भू–जल पुनर्भरण को बढाना।
3. घरों की छतों से बहकर जाने वाले वर्षा जल को घरेलू उपयोग की आवश्यकता के अनुसार टांके में संचित करना। संचित जल ज्यादातर होद–टाँके को भरने के बाद बहने वाले जल को रिचार्ज पिट (गहरा गड्डा) या रिचार्ज खाई में डालने की व्यवस्था की जाये ताकि भू–जल पुनर्भरण हो सके।

4. खेतों के चारों ओर पाल बन्दी करके वर्षा ऋतु के दौरान खेत का पानी खेत में रोकना चाहिए जिससे भू–जल पुनर्भरण की मात्रा बढ़े।
5. क्षेत्र में विद्यमान परम्परागत जल संरक्षण स्त्रोतो तालाब, बावडी, नाडी, टाकों आदि का पुनरोद्वार कर उपयोग में लाना जिससे न केवल पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा अपितु भू–जल पुनर्भरण में भी वृद्धि होगी।

जिले में वर्षा जल के संचयन एवं कृत्रिम भू–जल पुनर्भरण हेतु निम्न संरचना का निर्माण किया जा सकता है।

टाँका निर्माण :– जिले की वे पंचायत समितियाँ जिसमें जलोढ़/कछारी (एल्यूवियल) की गहराई कम हो जैसे की आबूरोड, पिण्डवाडा एवं सिरोही पंचायत समिति का पहाड़ी क्षेत्र में टाँका निर्माण कर भवनों की छतों से वर्षा जल प्राप्त कर टांके में संग्रहित किया जा सकता है। टांकें का निर्माण उन क्षेत्रो में भी किया जा सकता है जहाँ फ्लोराईड की मात्रा अधिक है संचित जल को भूमि जल के साथ विशेष अनुपात में मिलाकर पीने योग्य किया जा सकता है।

चैक बांध/नाला बंड/सबसरफेस बेरियर :– इन संरचनों का निर्माण पूरे जिले में अतिसामान्य ढ़लाने वाली जल धाराओं पर किया जा सकता है संरचना से एकत्रित जल के रिसाव से भू–जल का पुनर्भरण किया जा सकता है।

कूप द्वारा पुनर्भरण :– जिले में चालू व बंद पड़े कुओं को सफाई कर व गादनिस्तारण के पश्चात् पुनर्भरण संरचना के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता हैं। खेत में वर्षा जल को पिट में एकत्रित कर फिल्टर करने के पश्चात् बंद पड़े कुएं में डाल कर भू–जल पुनर्भरण किया जा सकता है।

3.3.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही

3.3.3.1 जिले का पेयजल परिदृश्य :–

नगरीय जल योजनाऐं :– जिले में 6 नगरीय पेयजल योजना क्रमशः सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, भावरी, आबूरोड एवं आबूपर्वत संचालित की जा रही है, जिसके स्त्रोत नलकुप/खुले कुंऐ है। आबूपर्वत हेतु जल स्त्रोत लोअर कोदरा बांध एवं अपर कोदरा बांध व आपात स्थिति में नक्की झील है। जल स्त्रोतों से पानी स्वच्छ जलाशय से एकत्र कर उच्च जलाशयों में भरकर पाईप लाईन के माध्यम से नल कनेक्शनों द्वारा वितरित किया जा रहा है।

क्र. सं.	नगर	जनसंख्या 2001	वर्तमान जनसंख्या	जल स्त्रोत कर प्रकार	कार्यरत हैंडपंपों की सं.	दैनिक मांग (KLD)	दैनिक जल उत्पादन (KLD)	सर्विस लेवल (LPCD)	जल संबंधों की सं.	सार्वजनिक नलों की सं. (PSP)	जलापूर्ति अंतराल
1	सिरोही	35544	42000	9 नलकूप व 11 खुले कुंऐ	290	4200	3000	70	7987	47	एकान्तरें
2	शिवगंज	24789	30000	3 नलकूप व 11 खुले कुंऐ	139	3000	2000	66	5169	43	एकान्तरें
3	पिण्डवाडा	20798	24000	6 नलकूप	138	1680	1000	42	3446	28	एकान्तरें
4	भावरी (सरूपगंज)	12440	15000	3 नलकूप व 3 खुले कुंऐ	34	1050	900	60	2032	09	एकान्तरें
5	आबूरोड	47320	54000	10 नलकूप व 16 खुले कुंऐ	278	5400	4300	80	5237	30	प्रतिदिन
6	आबूपर्वत	22045	37000	2 बांध	122	5000	3600	97	3296	17	एकान्तरें

स्त्रोतः–विभागीय सूचना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिरोही

ग्रामीण जल योजना

2001 की जनगणना के अनुसार जिले में 455 आबाद गांव एवं 537 चिन्हित ढाणियां है। इन सभी ग्राम एवं ढाणियों को विभाग की विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है, योजनावार विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	तहसील	आबाद गांव	योजनाओं की संख्या / लाभान्वित ग्राम					ढाणिया		स्थापित हैंडपंपों की सं.
			पाइप्ड	पनघट	जे.जे.वाई	क्षेत्रीय	हैंडपंप	कुल	लाभान्वित	
1	सिरोही	83	21 / 21	2 / 2	11 / 22	9 / 13	25	21	21	970
2	शिवगंज	69	15 / 15	5 / 5	6 / 6	7 / 26	17	22	22	749
3	पिण्डवाडा	99	7 / 7	5 / 5	13 / 18	1 / 2	67	17	17	1340
4	आबूरोड	78	9 / 9	6 / 6	7 / 7	2 / 12	44	427	411	1220
5	रेवदर	126	13 / 13	2 / 2	26 / 27	3 / 7	77	50	50	1160
	योग	**455**	**65 / 65**	**20 / 20**	**63 / 80**	**22 / 60**	**230**	**537**	**521**	**5439**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिरोही

सारणी से स्पष्ट होता हैं कि आबाद ग्रामों को शत प्रतिशत तथा समस्त ढाणियों में से मात्र 16 ढाणियाँ (3 प्रतिशत) को छोड़कर सभी को पेयजल से जोड़ा जा चुका हैं।

उद्देश्य :

- जिले के निवासियों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- विभागीय मापदण्ड अनुसार योजना का सुधार/विस्तार।
- विभागीय मापदण्ड अनुसार पेयजल की मात्रा सुनिश्चित करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करना।
- जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजना बनाकर स्वच्छ जल की व्यवस्था करना।

3.3.4 सुझाव :

वर्तमान में जिले की शहरी व ग्रामीण जल योजना भू–जल स्त्रोतों एवं आबूपर्वत शहर की जल योजना सतही जल स्त्रोतों से संधारित की जा रही है। जिले में कोई भी नित्य प्रवाह वाली नदी नहीं है। शहरी जल योजना शिवगंज को जवाई बांध से जोडा गया है। भू–जल विभाग के सर्वे के अनुसार जिले की सिरोही, रेवदर एवं आबूरोड तहसीले अतिदोहित क्षेत्र में आती है। जिससे भू–जल स्त्रोतों का निर्माण भी ज्यादा उपयोगी साबित नही होगा।

जिले में प्रतिवर्ष असमान वर्षा होने से भू–जल स्त्रोतों का पर्याप्त पुनर्भरण नहीं हो पाता है। जिस कारण पेयजल की गुणवत्ता एवं मात्रा में लगातार गिरावट उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जिले के सभी बांध सिंचाई परियोजनाओं हेतु बनाये गये है जिनमें वर्तमान में आसपास के क्षेत्र हेतु पेयजल पर्याप्त मात्रा में आरक्षित नहीं है। जिससे जिले के मानव एवं पशुओं को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में कठिनाई रहती है। उपर्युक्त समस्या के स्थाई समाधान हेतु जल स्त्रोतों के पुनर्भरण हेतु छोटे छोटे एनीकटों का निर्माण एवं ऐसी नदियों जिनमें वर्षाकाल में पानी का प्रवाह अधिक मात्रा में होता है किन्तु बांध नहीं होने के कारण व्यर्थ में बह जाता है ऐसी नदियों पर औचित्य पूर्ण क्षमता के बांध बनाये जाने से पेयजल की गुणवत्ता एवं मात्रा की समस्या को कम किया जा सकता है।

3.4. पशुपालन :–

भारत राष्ट्र के विकास का कृषि एवं पशु पालन महत्वपूर्ण अंग है। राजस्थान राज्य के कुल सकल घरेलू आय में पशुपालन का 13 प्रतिशत योगदान है। पूरे देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत योगदान राजस्थान राज्य का है। जबकि पूरे देश की पशुधन संख्या का 07 प्रतिशत हिस्सा ही राजस्थान राज्य में उपलब्ध है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि राजस्थान राज्य का पशुधन अन्य राज्यों से उत्तम किस्म का है ।

सिरोही जिले में पशुपालन विभाग की पशुगणना 2007 के अनुसार निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	विवरण	जिला स्तर
1	गौवंश	201758
2	भैंसवंश	166892
3	भेडवंश	251707
4	बकरीवंश	342738
5	ऊँट	5533

वर्ष 1997, 2003 तथा 2007 की पशुगणना के अनुसार जिले के पशुधन का परिदृश्य निम्न प्रकार हैं :–

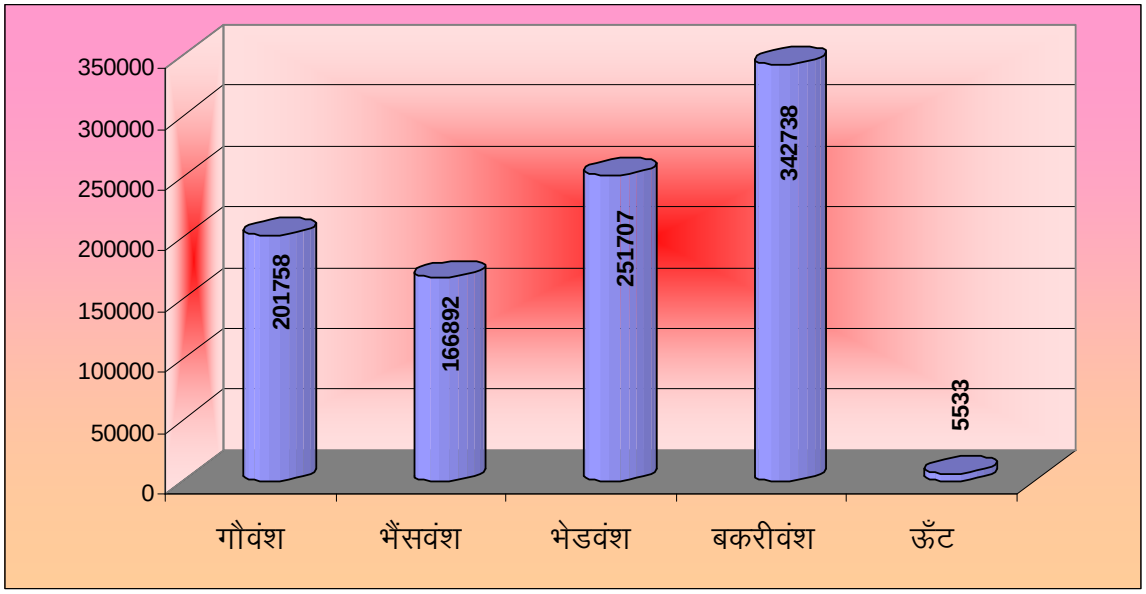

पिछली तीन पशुगणनाओ से यह संकेत मिलता हैं कि भेड की संख्या में लगातार कमी हो रही हैं तथा बकरी की संख्या जिले में बढ रही हैं। वही दुग्ध उत्पादक पशु क्षेत्र में गाय की संख्या में कुछ गिरावट दृष्टिगत हो रही हैं जबकि भैस की संख्या लगातार बढ रही हैं। यह संकेत करता हैं कि जिले के पशुपालक पशु क्षेत्र में अधिक आय वाले पशुधन की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं।

जिले में पशुधन परिदृश्य तहसील अनुसार 18वीं पशुगणना–2007 से निम्नानुसार है:–

तहसील	पशुधन (गाय, बैल,सांड)	भैंस एवं भैंसे	भेड	बकरी	घोडे व टटू	खच्चर
सिरोही	38769	24697	83211	51736	108	-
शिवगंज	23377	21903	76768	76592	44	-
रेवदर	44485	69956	48863	61612	90	-
पिण्डवाडा	56084	31441	35046	86168	43	-
आबूरोड	39043	18895	7819	66630	30	-
योग	**201758**	**166892**	**251707**	**342738**	**315**	**-**

तहसील	गधे	ऊँट	सूअर	कुत्ते कुत्तीया	खरगोश	कुक्कुट	हाथी
सिरोही	539	1654	124	3371	6	2168	–
शिवगंज	423	517	20	760	-	1574	–
रेवदर	390	2112	23	7263	3	2430	–
पिण्डवाडा	97	1216	247	5173	1	15368	–
आबूरोड	46	34	43	11061	-	26844	–
योग	**1495**	**5533**	**457**	**27628**	**10**	**48384**	**–**

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड में अधिक लाभ देने वाली पशु जाति जैसे बकरी की सख्या अन्य प्रकार के पशुधन से काफी अधिक हैं। दुग्ध उत्पाद वाली पशुधन में रेवदर ब्लॉक भैसों की संख्या में अग्रणीय स्थान रखता हैं। रेवदर ब्लॉक में यह देखने में आया हैं कि रानीवाडा डेयरी (राजकीय डेयरी) तथा गुजरात राज्य का क्षेत्र रेवदर ब्लॉक के नजदीक हैं, इस कारण से वहाँ के पशुपालकों को दुग्ध का उचित मूल्य उपलब्ध हो जाता हैं। अतः उनका भैंस पालन की तरफ रूझान बढा हैं।

सिरोही जिलें में विभिन्न पशु उत्पादन का विवरण

विवरण	सिरोही	स्थान	राजस्थान	भारत	स्थान
दुग्ध उत्पादन (000 टन में)	123	25	9375	100869	2
ऊन उत्पादन (कि.ग्रा. में)	1788.81	17	15685	40585	10
मीट उत्पादन (000 टन में)	0.68	28	69	2302	1
अण्डा उत्पादन (लाखों में)	46.45	14	66310	506630	16

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सिरोही जिला राज्य स्तर पे 25वें स्थान पर तथा ऊन उत्पादन के क्षेत्र में 17वें स्थान पर हैं।

विभागीय मापदण्डानुसार उत्तम नस्ल के कांकरेज एवम् मुर्रा साण्डों की आवश्यकता रहेगी। चूँकिं जिले में कोई ब्रीडिंग फार्म नहीं होने से अन्य राज्य एवम् राज्य के अन्य जिलों से उपर्युक्त नस्ल के साण्ड अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा जारी नॉर्म्स के अनुसार 40 प्रतिशत प्रजनन योग्य गाय एवम् भैंसों को प्राकृतिक परिसेवा के अन्तर्गत लाने हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार कांकरेज नस्ल के साण्ड एवम् मुर्रा नस्ल के भैंसा साण्डों की उपलब्धता जिले में नही है।

विभागीय मद से वर्तमान में 15 शिविरों का आयोजन ही किया जाना सम्भव हो पाता है जो कि पशुधन की संख्या के हिसाब से अत्यन्त कम है। अतः जलग्रहण, बी.आर.जी.एफ. या अन्य किसी भी योजना अन्तर्गत राशि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है

जिले के कुल भौगोलिक क्षैत्रफल 5136 वर्ग किलोमीटर में से लगभग एक तिहाई क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। वनों से प्रचुर मात्रा में पशुओं हेतु सूखा एवम् हरा चारा उपलब्ध होता है। जिले में कुल वन क्षेत्रों में 27 घास बीड है जिनसे 36981 क्विण्टल घास प्रतिवर्ष पशुओं हेतु उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त खुले व बन्द वन क्षेत्र सें भी 336076 क्विण्टल चारा उपलब्ध होता है। विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 में ग्वार 350.3 कि.ग्रा. एवं जई 310.5 कि.ग्रा. तथा ज्वार–290.3 कि.ग्रा. कुल–950 कि.ग्रा. के मिनिकिट वितरित किये गये। वर्ष 2009–10 में भी विभागीय मद से इतने ही मिनिकिट वितरित किये जावेंगे, जबकि हरे चारे की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता करवाये जाने हेतु कृषि विभाग से 1000 हरे चारे के मिनिकिट वितरित किये जावेंगे।

भेड़ एवम् बकरियों की संख्या जिले में अत्यधिक है एवम् जिले की दो पंचायत समिति पिण्डवाडा एवम् आबूरोड आदिवासी क्षेत्र में बकरीपालन का व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है अतः भेड़ एवम् बकरियों में रोग निरोधक टीकाकरण, आन्तरिक एवम् बाह्य परिजीवियों हेतू दवा पिलाया जाना एवम् छिड़काव किया जाना अति आवश्यक हैं ।

3.4.1 कृत्रिम गर्भाधान एवम् नस्ल सुधार :–

1. जिले में मुख्यतः गायों में कांकरेज व भैसों में मुर्रा नस्ल की प्रमुखता पाई जाती है एवम् पशुपालकों का रूझान भी इन्ही दो नस्लों में होने से पूर्व में लागू राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत विदेशी नस्ल के सांडो के फ्रोजन सीमन से कृत्रिम गर्भाधान किये जाने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। वर्तमान पशु प्रजनन नीति लागू होने के उपरान्त सिरोही जिले हेतु गायों में कांकरेज एवम् भैसों में मुर्रा नस्ल के फ्रोजन सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाना आवश्यक है। विदेशी नस्ल के सांडों के वीर्य का उपयोग पशुपालक एवम् क्षेत्र विशेष की मांग होने पर ही किया जाना आवश्यक है जिस हेतु पशु चिकित्सा एवम् बाँझपन निवारण शिविर के माध्यम से गोष्ठियों का आयोजन कर पशुपालकों को नई प्रजनन नीति की जानकारी दी जाकर कांकरेज एवम् मुर्रा नस्ल के वीर्य की उपलब्धता से अवगत कराया जाकर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रेरित किया जाकर ही वांछित नतीजे प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से जिले में मादा पशुओं गाय एवम् भैंस को प्राकृतिक परिसेवा हेतु उच्च नस्ल के गाय–साण्ड एवम् भैंसा–साण्ड प्रतिवर्ष 10 निःशुल्क उन्नत पशुपालकों/गौशालाओं को वितरित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। साण्डों के वितरण से उस क्षेत्र में भी अच्छी नस्ल का जर्मप्लाज उपलब्ध हो सकेगा जहाँ कि पशुपालकों द्वारा पशुओं को खुला रखकर पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है।
3. जिले में वर्तमान में 70 राजकीय पशु संस्थाओं एवम् 03 स्थानों पर बायफ संस्था द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। जिले में प्रजनन योग्य गाय एवम् भैंसों की संख्या के अनुसार उपलब्ध कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों एवम् राज्य सरकार की 60 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य के अन्तर्गत लाने की नीति अनुसार तहसीलवार निम्नानुसार अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	नाम तहसील	प्रजनन योग्य गाय भैंसो की संख्या	उपलब्ध कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र		नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की आवश्यकता	विशेष विवरण
			राजकीय	बायफ		
1.	सिरोही	33731	19	—	14	60 प्रतिशत प्रजनन योग्य गाय एवम् भैंसों के अनुसार
2.	शिवगंज	22142	9	—	13	
3.	पिण्डवाडा	40102	14	1	25	
4.	आबूरोड	24340	13	1	11	
5.	रेवदर	56022	15	1	40	

3.4.2. निष्कर्ष :–

1. एक हजार प्रजनन योग्य पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के अनुसार पिण्डवाडा एवम् आबूरोड तहसील में जे.के. ट्रस्ट ग्राम विकास के माध्यम से एवम् सिरोही, रेवदर व शिवगंज तहसील हेतु बायफ (BAIF) संस्था के माध्यम से केन्द्र शुरू करने हेतु प्रस्तावित कर दिये गये है।
2. जिले में राज्य सरकार द्वारा जारी नॉर्म्स अनुसार 40 प्रतिशत प्रजनन योग्य गाय एवम् भैंसों को प्राकृतिक परिसेवा के अन्तर्गत लाने हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार कांकरेज नस्ल के गाय साण्ड एवम् मुर्रा नस्ल के भैंसा साण्डों की उपलब्धता करवाया जाना आवश्यक है। जिस हेतु विभागीय मापदण्डानुसार उत्तम नस्ल के कांकरेज एवम् मुर्रा साण्डों की आवश्यकता रहेगी। जिले में कोई ब्रीडिंग फार्म उपलब्ध न होने से अन्य स्थानो से उपर्युक्त नस्ल के साण्ड उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
3. जिले में ऐसे पशुपालक जिनके पास कांकरेज एवम् मुर्रा नस्ल के उच्च गुणवत्ता के नर बछड़े उपलब्ध हो उनको बछड़ों के पालन पोषण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
4. वर्तमान में जिले में जिला दुग्ध उत्पादक संघ न होने से रानीवाडा–जालोर दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा दूध का संग्रह किया जा रहा है जो कि जिले में कुल 31 समितियों के माध्यम से किया जाता है, जो कि जिले कि मात्र 6.70 प्रतिशत एरिया को ही कवर करता है। अतः सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। जिले में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना के बाद स्थानीय पशुपालकों को उनके दूध की बिक्री हेतु किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी एवम् पशुपालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा साथ ही पशुपालकों का रूझान देखकर, गौ प्रजनन की ओर भी बढाया जाना सम्भव हो सकेगा।
5. वर्तमान में चल रहे 70 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु निम्न सुविधाये उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु सारणी अनुसार राशि की आवश्यकता रहेगी। विभाग को उपर्युक्त सामग्री एवम् वाहन की कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवम् तरल नत्रजन केन्द्रों तक पहुँचाने हेतु आवश्यकता रहेगी। वाहन का संधारण एवम् पी.ओ.एल. की राशि विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

क्र. सं.	नाम मद	मात्रा	अनुमानित दर	कुल लागत
1	टी.ए.–55 जार	पाँच	18000	90000
2	बी.ए.–3 जार	दस	5000	50000
	योग			**140000**

6. जिले में कृत्रिम गर्भाधान एवम् उच्च नस्ल के साण्डों के वितरण से वर्तमान में उत्पादित दुग्ध प्रति गाय प्रति दिन 2.688 कि.ग्रा. एवम् प्रति भैंस प्रतिदिन 4.86 कि. ग्रा. को बढाकर आगामी पाँच वर्षो में प्रति गाय प्रतिदिन चार किलोग्राम प्रति भैंस प्रतिदिन 8 किलोग्राम किया जाना लक्षित है।
7. जिले में वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर 32 प्रतिशत को बढाकर 40 प्रतिशत तक लाया जाना लक्षित है ।

3.4.3. डेयरी विभाग :–

वर्तमान में सिरोही जिले के लिये जालोर–सिरोही दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, रानीवाडा कार्यरत है। जिले में दुग्ध का औसतन उत्पादन 119000 टन वार्षिक होता है। मुख्य डेयरी संयन्त्र की प्रसंस्करण एवम् तरल दुग्ध पैकिंग की क्षमता 50 हजार लीटर प्रतिदिन है।

वर्तमान में रानीवाडा डेयरी संघ के द्वारा सिरोही जिले में दुग्ध उत्पादकों के विकास हेतु शिवगंज पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में गठित दो दुग्ध पथों यथा सारणेश्वर दुग्ध पथ (उथमण–लखमावा) एवं बोबेश्वर दुग्ध पथ (तलेटा–मनादर) के माध्यम से कुल–16 दुग्ध समितियों से लगभग–2000 किलोग्राम दूध प्रतिदिन संकलित कर दुग्ध अवशीतन केन्द्र–जालोर में संग्रहण किया जा रहा है। रेवदर पंचायत समिति के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में गठित दो दुग्ध पथ यथा रामचन्द्रजी दुग्ध पथ (बाँट–निम्बतलाई) एवं मुनीजी दुग्ध पथ (जीरावल–कोलापुरा) के माध्यम से कुल–15 दुग्ध समितियों से लगभग 4000 किलोग्राम दूध प्रतिदिन संकलित कर मुख्य डेयरी संयंत्र रानीवाडा में संग्रहण किया जाता हैं।

इस प्रकार वर्तमान में सिरोही जिले में विद्यमान डेयरी नेटवर्क में कुल–31 दुग्ध समितियों के लगभग 3000 दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से लगभग कुल 6000 किलोग्राम दूध प्रतिदिन की प्राप्ति कर संग्रहण किया जा रहा है।

जिले में 16 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाना है तथा 500 नये दुग्ध उत्पादक सदस्य जोडते हुए कुल समितियों की संख्या–47 एवम् नामांकित सदस्यता 3500 की जानी प्रस्तावित है एवम् औसत दुग्ध संग्रहण 7000 कि.ग्रा. प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या–130, नामांकित सदस्यता 7800 एवं औसत दुग्ध संग्रहण 16000 किलोग्राम प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। तीन नये दुग्ध मार्ग यथा वराडा हनुमानजी, (गुडा–वराडा, जामोतरा, सिरोही) वास्तानजी–सिरोही (ईसरा–बालदा एवम ईश्वरजी–सिरोही (मेंरमाण्डवाडा–मोहब्बतनगर) प्रारम्भ करने प्रस्तावित है ।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सिरोही जिले में कार्यक्षेत्र के विस्तार हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में आधारभूत सुविधा में जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) सिरोही द्वारा स्वीकृत सिरोही डेयरी विकास परियोजना के अन्तर्गत सिरोही जिला मुख्यालय पर किराये की आईस फैक्ट्री में दुग्ध अवशीतन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिले में दुग्ध अवशीतन केन्द्र सिरोही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार सिरोही जिले के वंचित रहे सिरोही एवम् पिण्डवाडा पंचायत समितियों के ग्रामीण क्षेत्र में भी डेयरी नेटवर्क का विस्तार किया जा सकेगा। इसी क्रम में उल्लेख है कि स्वीकृत केन्द्रीय परिवर्तित योजना सघन डेयरी विकास कार्यक्रम चतुर्थ चरण के अन्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना में जिला मुख्यालय सिरोही पर 20 हजार किलोग्राम प्रतिदिन की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का डेयरी संयन्त्र की स्थापना प्रस्तावित है।

3.5. जिले का वन परिदृश्य :–

जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5136 वर्ग किलोमीटर में से लगभग एक तिहाई 1620.5 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कि भारतीय वन नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। वनों से प्रचुरू मात्रा में पशुओं हेतु हरा चारा उपलब्ध होता है। जिले में कुल वन क्षेत्र में 27 घास ब्रीड है जिनसे अनुमानितः 36981 क्विण्टल घास प्रतिवर्ष पशुओं हेतु उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण/बन्द वन क्षेत्र से एवम् खुले वन क्षेत्र से भी पशुओं हेतु चारा उत्पादन होता है जो प्रति वर्ष अनुमानितः निम्नानुसार है :–

घास ब्रीडों से उत्पादन	36981 क्विण्टल
वृक्षारोपण/बन्द वन क्षेत्र से उत्पादन	61050 क्विण्टल
खुले वन क्षेत्र से उत्पादन	275026 क्विण्टल
कुल योग	**373057 क्विण्टल**

3.6. जिले का औद्योगिक परिदृश्य :–

औद्योगिक विकास की दृष्टि से जिले का परिदृश्य संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में जिले में 7 बड़े उद्योग एवम् 12 मध्यम श्रेणी के उद्योग उत्पादनरत है जो मुख्यतः जिले की पिण्डवाडा एवम् आबूरोड तहसील में स्थापित है। जिले की अन्य तीन तहसीलों में कोई बडा या मध्यम श्रेणी का उद्योग स्थापित नहीं है।

3.6.1. राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO)

जिले में रीको द्वारा 12 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं तथा एक क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में हैं। रीको द्वारा विकसित क्षेत्रों में 1685 प्लॉट्स का प्रावधान रखा गया हैं जिसमें से 1332 प्लॉट आवंटित कर दिये गये हैं इनमें से 958 प्लॉट्स पर औद्योगिक ईकाईया उत्पादन कर रही हैं। शेष प्लॉट रिक्त हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले तथा वर्तमान वर्ष में उत्पादक ईकाईयो की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होना दर्शाता हैं कि जिले में औद्योगिक विकास बाधित स्थिति में हैं।

3.6.2. वृहद औद्योगिक ईकाईयाँ

क्र. सं.	इकाई का नाम	उत्पाद	निवेशित राशि (लाखों में)	स्थाई नियोजित श्रमिक संख्या
1	मार्डन इन्सुलेटर आबूरोड	High Tensile insulator	10834	725
2	वोलकेम इण्डिया लिमिटेड, सिरोही रोड	Calcite mineral powder	2955.60	35
3	जे.के.लक्ष्मी सीमेंन्ट, जेकेपुरम	Cement ordinary & pozzolana	134052	104
4	बिनानी सीमेंट, बिनानी ग्राम	Cement	161686.96	61
5	मरूधर यार्न, प्रा.लि. आई.ए., आबूरोड	Synthetic blended yarn	40.78	980
6	भंसाली इंजिनियर्स पॉलीमर्स अम्बाजी इण्डस्ट्री एरिया	ABS Plastic	11986.43	188
कुल योग			**321555.77**	2093

स्त्रोत–जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि तीन प्रमुख उद्योग वोलकेम इण्डिया, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, एवं बिनानी सीमेंट जिसमें की कुल निवेशित राशि का 90 प्रतिशत से अधिक निवेश होने के बावजूद स्थाई रूप से नियोजित श्रमिको की संख्या नगण्य हैं। यह इस बात का संकेत हैं कि ये वृहद उद्योग अपना श्रमिक से सम्बन्धित कार्य संविदा आधार पर करवाते हैं।

3.6.3. औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं :–

जिले में दुग्ध आधारित उद्योग, मार्बल/मिनरल्स आधारित उद्योग, आईल मील, मिनरल वॉटर, खाद्य संस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज आधारित उद्योगो की प्रबल सम्भावना हैं। पिण्डवाडा ब्लॉक में पत्थर तराशने का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा हैं। अतः इसको बढावा देने के लिये जिले में अच्छे कारीगर प्रशिक्षित करने के लिये स्कूल ऑफ स्टोन कारविंग एण्ड आक्रिटेक्चर जैसे विद्यालयों की आवश्यकता हैं। जिले के आबूरोड ब्लॉक में सियावा गांव में टेराकोटा आधारित हस्तशिल्प गुणवत्ता युक्त बनाया जा रहा हैं जिसमें अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हैं। सियावा ग्राम आबूरोड–अम्बाजी मुख्य सडक मार्ग पर स्थित हैं। अतः वहाँ पर टेराकोटा आधारित हस्तशिल्प बाजार (टेराकोटा पार्क) विकसित किया जाना आवश्यक हैं।

3.6.4. खादी एवं ग्रामोद्योग :–

जिले में खादी विकास के लिये पिछले 30 वर्षो से नया समाज मण्डल संस्था कार्यरत हैं। पिछले वर्षो में यह संस्थान कम्बल बुनाई का कार्य भी करता था जो कि वर्तमान में बन्द हैं। इसके कतिन की संख्या में दिन–प्रतिदिन कमी हो रही हैं तथा बुनकरों की संख्या भी घटते हुए 2–3 तक पहुँच गयी हैं। इनके द्वारा उत्पादित सामग्री की मांग एवं उत्पादित सामग्री में आकर्षण नहीं होने के कारण यह पतन की ओर अग्रसर हैं। संस्थान चलाने वाले श्री प्रभाती लाल बुनकर ने बताया हैं कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के माध्यम से यहां के आदिवासियों को खादी उद्योग में प्रशिक्षित किया जाये, छपाई कार्य में गुणवत्ता लाई जाये तथा एक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय सहायता से क्षेत्र में निरन्तर कार्य करें तो खादी को पुनः लाभकारी स्थिति में लाया जा सकता हैं जिससे क्षेत्र के आदिवासियों को लाभान्वित किया जा सकता हैं।

ग्रामोद्योग के रूप में जिले में लगभग 2500 इकाईयाँ कार्यरत हैं जिनमें नमकीन, मार्बल अधारित उत्पाद, साबुन, अगरबत्ती, लोहा, तांबा, पीतल आधारित बर्तन इत्यादि का उत्पादन किया जा रहा हैं। गृह उद्योग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे अनेकों ढ़ाबा संचालित हैं।

<u>टेराकोटा कलस्टर विकास योजना सियावा (आबूरोड)</u>

सुविधा सेवा संस्थान, उदयपुर के श्री हेमचन्द द्वारा क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को टेराकोटा आधारित हस्तशिल्प तैयार करने के लिये स्वयं सहायता समूह बनाये हैं। महिलाओं को प्रशिक्षित किया हैं तथा गुणवत्ता युक्त टेराकोटा हस्तशिल्प का उत्पादन किया हैं। इनके द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों को देश–विदेश (ईवान–इटली) में विक्रय कर जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया हैं। वर्तमान में अर्पण सेवा संस्थान के माध्यम से इनके उत्पादो के मार्केटिंग का कार्य किया जा रहा हैं।

3.6.5. आजीविका आधारित प्रशिक्षण :–

जिले में अनेक संस्थान कार्यरत हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

क्र. सं.	संस्थान का नाम	विषय	लक्ष्य	उपलब्धि	विशेष विवरण
1	पोलिटेक्निक महाविद्यालय, सिरोही	इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर	160 प्रतिवर्ष	160 प्रतिवर्ष	
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिरोही	फीटर, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रीशियन	219 प्रतिवर्ष	133 प्रतिवर्ष	संस्थान द्वारा आ.एम.ओ.एल. के सौजन्य से हाउस होल्ड वायरिंग, प्लम्बर तथा टी.वी., रेडिया, डी.वी. डी. मरम्मत कार्य पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आबूरोड	फीटर, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमेंन, मेंकेनिक डीजल, वैल्डर तथा हिन्दी स्टेनो	261 प्रतिवर्ष	191 प्रतिवर्ष	संस्थान में मेंरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने के कारण जिले के आदिवासी युवकों का प्रवेश लगभग नगण्य हैं। संस्थान द्वारा आ.एम.ओ.एल. के सौजन्य से दोपहिया वाहन रिपेयर, हाउस होल्ड वायरिंग, प्लम्बर तथा टी. वी., रेडिया, डी.वी.डी. मरम्मत कार्य पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवगंज	मेंकेनिक डीजल एवं इलेक्ट्रीशियन	110 प्रतिवर्ष	70 प्रतिवर्ष	संस्थान द्वारा आ.एम.ओ.एल. के सौजन्य से हाउस होल्ड वायरिंग, मोटर मरम्मत एवं रिवाईडिंग एवं ओटो इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
5	जिला परिषद्, सिरोही	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विभिन्न कौशल विकास के प्रशिक्षण			गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को अनुदान एवं ऋण सहायता प्रदान करने के लिये उनके कौशल विकास का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से कराया जायेगा
6	जिला परिषद्, सिरोही	जनजाति विकास विभाग, तथा पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से विभिन्न कौशल प्रशिक्षण			जनजातीय युवक एवं युवतियों को जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से तथा ग्रामीण युवक एवं युवतियों को पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से कौशल विकास के विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।
7	कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही	कृषि एवं उद्यानिकी के आधारित प्रशिक्षण	360	345	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, आर. एम.ओ.एल. एवं राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना के तहत् कृषि एवं उद्यानिकी आधारित विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

8	ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	आरीतारी, जरदोजी, पशुपालन एवं डेरी, कम्प्यूटर लेखा, सिलाई, कम्प्यूटर सॉफ्टरवेयर एवं हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर, फेन एवं कुलर एवं डन्टिंग पेन्टिंग कार्य पर	711 (पिछले तीन वर्षो में)	711 (पिछले तीन वर्षो में)	संस्थान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा प्रायोजित हैं।

3.7. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–

जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे कुल 161442 परिवारों में से 155584 परिवारों का 15, जुलाई 2009 तक योजना में पंजीकरण किया गया हैं तथा समस्त को जोब कार्ड जारी कर दिया गया हैं। वर्ष 2008–09 में जिले में 99272 परिवारों द्वारा रोजगार चाहा गया। इनमें से 21113 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया तथा वर्ष के दौरान 60.61 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। जिले में कुल पंजीकृत परिवारों के विरूद्ध लगभग 65 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही योजना में रोजगार मांगा गया हैं तथा रोजगार पर आये हैं। यह इस बात की और संकेत करता हैं लगभग 35 प्रतिशत परिवारों ने जॉब कार्ड रोजगार की चाहत में नही बनवाये हैं अन्यथा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनवाये हैं। मार्च 2009 तक जिले में कुल 8426 कार्य पूर्ण किये गये जिनमें से 5202 कार्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्गित लाभ के कार्य हैं। इस प्रकार इन परिवारों को योजना से अतिरिक्त लाभ दिया गया हैं।

परियोजना NREGA में अधिकतर महिला मजदूरों की संख्या होती है। अशिक्षित होने से महिलाएँ नरेगा के कानून से अनभिज्ञ है इनका शोषण ना हो तथा इनके द्वारा किये गए कार्यों की उचित मजदूरी मिले। अतः उन्हें प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। इस क्रम मे दूसरा दशक गैर सरकारी संस्था के प्रशिक्षित युवा मेट पैनल में भर्ती होने की प्रक्रिया में है।

ब्लॉक का नाम	वर्ष 2006–07		वर्ष 2007–08		वर्ष 2008–09	
	परिवार जिन्होंने रोजगार चाहा	मानव दिवस सृजन (लाख में)	परिवार जिन्होंने रोजगार चाहा	मानव दिवस सृजन (लाख में)	परिवार जिन्होंने रोजगार चाहा	मानव दिवस सृजन (लाख में)
सिरोही	15310	8.39	21759	10.15	18950	12.44
आबूरोड	20089	12.41	20822	12.89	17949	10.14
पिण्डवाडा	21945	15.05	19527	17.17	24177	13.8
शिवगंज	13567	12.72	14522	8.38	15360	11.75
रेवदर	23087	16.55	23309	12.85	22836	12.70
विभाग द्वारा	0	1.30	0	4.80	0	0
	93998	**66.42**	**99939**	**66.24**	**99272**	**60.83**
वर्ष के दौरान 100 मानव दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	**29249**		**20816**		**21113**	

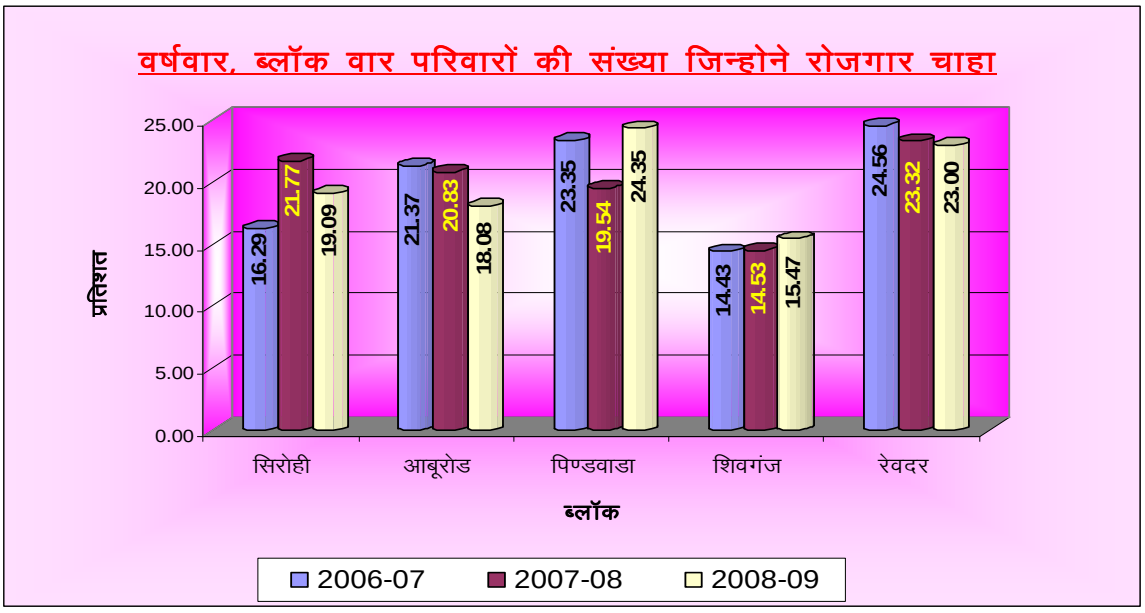

वर्ष 2006–07 से लेकर वर्ष 2008–09 में रोजगार चाहने वाले परिवारों की संख्या में बढोतरी हुई है लेकिन 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही हैं जबकि ग्रामीण परिवारों के समक्ष 100 दिवस तक कार्य करने के पूरे अवसर थे। यह इस बात की और संकेत देता हैं कि 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों के अलावा अन्य परिवारों के पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्राप्त होने वाली दैनिक मजदूरी से अधिक मजदूरी प्राप्त करने के अन्य क्षेत्रो में अवसर थे तथा ऐसे परिवार यह संकेत भी देते हैं कि उनके सामने भुखमरी का कोई संकट नहीं है।

रेवदर ओर आबुरोड ब्लॉक में रोजगार चाहने वालो का प्रतिशत 2006–07 से लेकर 2008–09 में कमी की ओर जा रहा है जबकि पिण्डवाडा एवं सिरोही ब्लॉक के अन्दर बढोतरी की तरफ हैं।

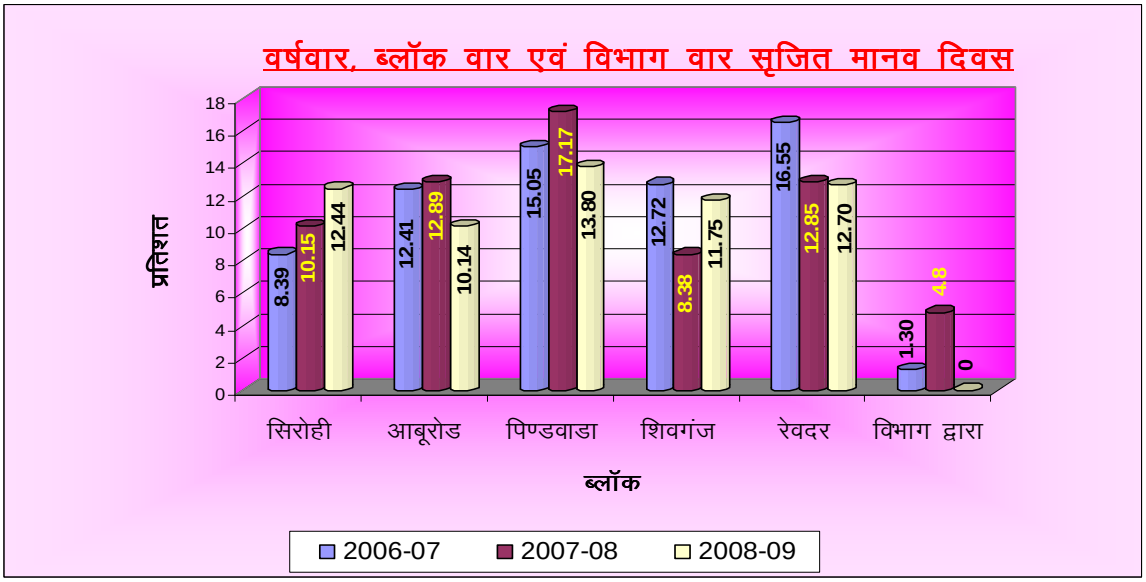

पिण्डवाडा ब्लॉक प्रत्येक वर्ष सृजित मानव दिवस की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा हैं।

3.8. स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना :–

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के प्रथम बिन्दु यथा 2015 तक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या को आधा करने के लिये यह योजना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जिले को स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत् लगभग 400 लाख की राशि से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य वर्ष 2009–10 के लिये हैं। इन लक्ष्यों से वर्षभर में मात्र 1500 परिवार ही लाभान्वित हो पावेंगे तथा इसका भी 70–75 प्रतिशत हिस्सा ही गरीबी की रेखा से उपर आ पायेगा। यह योजना एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का सुधरा हुआ रूप हैं तथा इस योजना में क्षमता विकास के प्रशिक्षण भी सम्मिलित किये हुए हैं जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में यह भाग ट्राईसम उपयोजना का हिस्सा था। अकुशल श्रमिक को गरीबी की रेखा से उपर उठाने के लिये ऐसे व्यवसाय में कुशल बनाया जाना आवश्यक हैं जिससे की उक्त परिवार को अच्छा रोजगार उपलब्ध हो सके, यह सबसे महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान योजना में इस हिस्से को सम्मिलित कर दिये जाने के कारण तथा योजना की मार्गदर्शिका यह कहती हैं कि उन्हीं व्यक्तियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाये जिन्हें कि आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाना हैं। इस कारण से भी 1500 से अधिक परिवार के सदस्यों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव नहीं हैं। जिले की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कुल परिवार 32282 के आधे भाग को वर्ष 2015 तक गरीबी की रेखा से उपर उठाने के लिये योजना में जो वर्तमान लक्ष्य दिये गये हैं वे अपूर्ण प्रतीत होते हैं। जिले में कार्यरत तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश मेरीट के आधार पर होने के कारण गरीब परिवार के युवक/युवतियों को आई.टी.आई. में प्रवेश नही मिल पाता हैं। यदि स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वर्ण रोजगार योजना तथा तकनीकि निदेशालय की आई. टी.आई. समन्वय स्थापित कर ले तथा आई.टी.आई. अधीक्षक को यह अधिकार हो कि उनके पास पाँच अथवा पाँच से अधिक बी.पी.एल. परिवार के युवक/युवतियों का समूह किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आते हैं तो आई.टी.आई. अधीक्षक उक्त व्यवसाय हेतू जिले/राज्य में उपलब्ध तकनिकी दक्ष प्रशिक्षक ,आवश्यक राशि एवं अधारभूत आवश्यकता की पूर्ति जिला परिषद् से एस.जी.एस.वाई. योजना से कर सकते हैं। इसके लिये नीति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता हैं।

जिले में पिछले तीन वर्षो से राज्य सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों का लगभग 60–70 प्रतिशत ही अर्जित किया जा रहा हैं। यह प्रदर्शित करता हैं कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वर्तमान में इस योजना के संचालन हेतू जिला स्तर पर तीन अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं जो बैंक क्रियाकलाप से तथा प्रबन्धन क्षेत्र हैं जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास येाजना में जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारी साँख्यिकी एवं आर्थिक क्षेत्र का हुआ करता था। यदि तीन पद में से एक पद साँख्यिकी एवं आर्थिक क्षेत्र का हो तो इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता हैं।

3.9. *परिवहन :–*

क्र. सं.	वाहन के प्रकार	संख्या					
		मार्च 2005 तक	मार्च 2006 तक	मार्च 2007 तक	मार्च 2008 तक	मार्च 2009 तक	अनुमानित मार्च 2015 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुपहिया	33498	37303	41383	46184	52662	96950
2	जीप	1486	1554	1599	1647	1734	3097
3	कार	1902	2142	2415	2751	3166	5857
4	ट्रेक्टर	4388	4862	5387	5826	6321	11895
5	ट्रोली	1035	1094	1154	1154	1156	2053
6	तीन पहिया ऑटो	1535	1726	2053	2314	2739	5287
7	यात्री टेम्पो	268	386	403	430	434	434
8	बस	623	654	677	690	734	1312
9	टेक्सी / मेंक्सी	1809	1957	2127	2291	2526	4600
10	माल वाहक टेम्पो	279	400	491	600	738	1406
11	ट्रक	1514	1734	1986	2134	2208	4038
12	अन्य	34	51	57	76	134	260
	योग	**48371**	**53863**	**59732**	**66097**	**74552**	**137189**

विभागीय सूचना जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही

जिले में परिवहन क्षेत्र में वर्ष 2005 एवं 2009 की वास्तविक स्थिति एवं 2015 की अनुमानित स्थिति :–

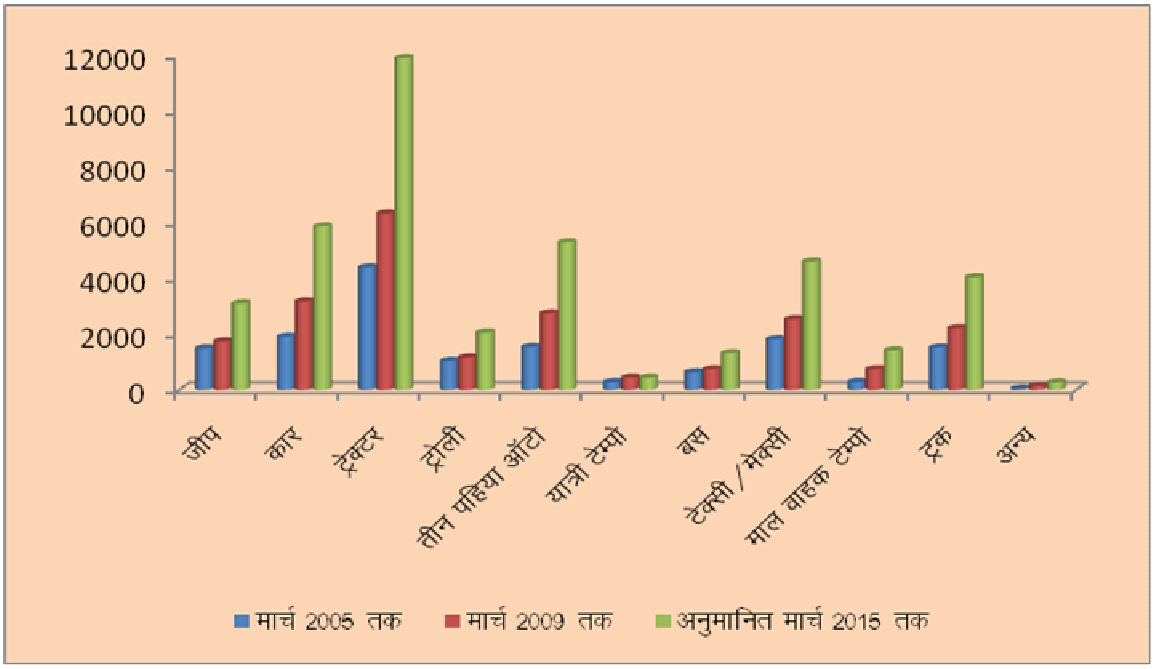

विभागीय सूचना जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही

क्र. सं.	वाहन के प्रकार	आय (लाखों में)					
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	अनुमानित 2014-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुपहिया	0	0	0	0	0	0
2	जीप	1337	1399	1439	1482	1561	2787
3	कार	0	0	0	0	0	0
4	ट्रेक्टर	3510	3890	4310	4661	5057	9516
5	ट्रोली	311	328	346	346	347	616
6	तीन पहिया ऑटो	691	777	924	1041	1233	2379
7	यात्री टेम्पो	201	290	302	323	326	326
8	बस	1869	1962	2031	2070	2202	3937
9	टेक्सी / मेंक्सी	1628	1761	1914	2062	2273	4140
10	माल वाहक टेम्पो	209	300	368	450	554	1055
11	ट्रक	4088	4682	5362	5762	5962	10901
12	अन्य	102	153	171	228	402	779
	योग	**13946**	**15541**	**17167**	**18425**	**19916**	**36436**

विभागीय सूचना जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही

वर्ष 2004–05, वर्ष 2008–09 की वास्तविक तथा वर्ष 2014–15 की अनुमानित आय :–

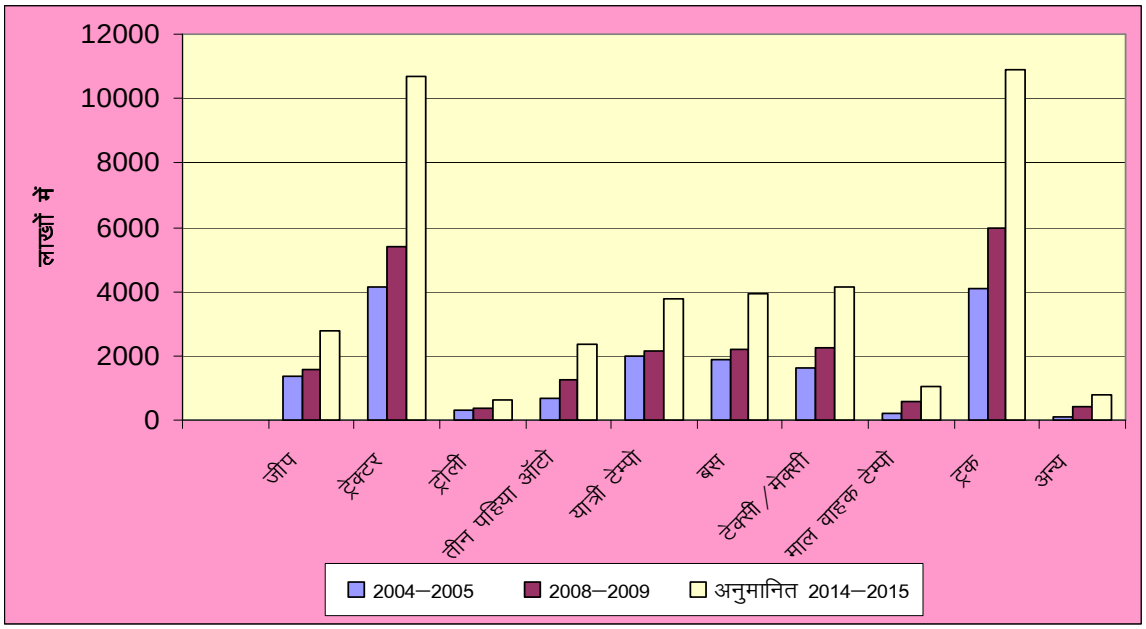

विभागीय सूचना जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही

क्र. सं.	वाहन के प्रकार	कुल मानव रोजगारित				
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
1	2	3	4	5	6	7
1	दुपहिया	0	0	0	0	0
2	जीप	1486	1554	1599	1647	1734
3	कार	1902	2142	2415	2751	3166
4	ट्रेक्टर	8776	9724	10774	11652	12642
5	ट्रोली	2070	2188	2308	2308	2312
6	तीन पहिया ऑटो	1535	1726	2053	2314	2739
7	यात्री टेम्पो	536	772	806	860	868
8	बस	1869	1962	2031	2070	2202
9	टेक्सी / मेंक्सी	1809	1957	2127	2291	2526
10	माल वाहक टेम्पो	558	800	982	1200	1476
11	ट्रक	4542	5202	5958	6402	6624
12	अन्य	102	153	171	228	402
	योग	**25185**	**28180**	**31224**	**33723**	**36691**

विभागीय सूचना जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही

दुपहिया वाहन तथा कार को अउत्पादक मानते हुए शेष वाहनों को उत्पादक वाहन माना गया हैं लेकिन कार रोजगार प्रदान करने में 25 प्रतिशत सहायक माना गया हैं।

वर्तमान में जिले के परिवहन संसाधनों में वृद्धि के रूझान अनुसार ऐसा प्रतीत होता हैं कि परिवहन के संसाधन 2015 तक दुगुने हो जायेंगे तथा परिवहन के संसाधनों से जिले की वर्तमान आय 19916 लाख से बढकर वर्ष 2015 में 36436 लाख हो जाने का अनुमान हैं। वर्तमान में लगभग 37000 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ हैं अतः आजीविका का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

3.10. खनिज :–

जिले में वर्तमान में लाईम स्टोन, मार्बल, ग्रेनाईट, केलसाईट, वोलेस्टानाईट, क्वार्टज, फेल्सपार तथा मेसनरीस्टोन का खनन कार्य किया जा रहा हैं। जिले में प्रधान खनिज के 17 व अप्रधान खनिज के 220 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। वर्ष 2008–09 में रॉयल्टी से 58.13 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया था जो कि वर्ष 2009–10 के लिये 70 करोड़ राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

खनिजवार वर्ष 2008–09 का उत्पादन एवं आय

- **प्रधान खनिज**

क्र.सं.	खनिज	उत्पादन (एम.टी.)	रॉयल्टी आय (लाखों में)
1	लाईमस्टोन (सीमेंन्ट हेतु)	106.11 लाख	4849
2	वोलेस्टोनाईट	1.10 लाख	76.25
3	केलसाईट	0.24 लाख	77.53
4	क्वार्टज	250	1.05
5	लेड, जिंक, कॉपर	–	75

विभागीय सूचना कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही

- **अप्रधान खनिज**

क्र.सं.	खनिज	उत्पादन (एम.टी.)	रॉयल्टी आय (लाखों में)
1	मार्बल	2.91 लाख	2.60
2	ग्रेनाईट	0.47 लाख	40.38
3	लाईमस्टोन	0.05 लाख	3.19
4	लाईमस्टोन (क्रेशर)	3.37 लाख	33.74
5	मेंसनरीस्टोन	8.28 लाख	15.9
6	बजरी	2.91 लाख	37.03

विभागीय सूचना कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही

- **ब्लॉकवार संभावित खान श्रमिको की संख्या वर्ष 2008–2009**

क्र.सं.	ब्लॉक	श्रमिको की संख्या
1	सिरोही	10,000
2	पिण्डवाडा	1500
3	शिवगंज	1000
4	आबूरोड	500
5	रेवदर	600

विभागीय सूचना कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही

- **खनिज उत्पाद से जिले को वर्ष 2008–09 में हुई आय**

क्र. सं.	खनिज	उत्पादन (एम.टी.)	दर प्रति एम.टी. (अनुमानित)	अनुमानित आय (लाखों में)
1	लाईमस्टोन (सीमेंन्ट हेतु)	106.11 लाख	100	10611
2	वोलेस्टोनाईट	1.10 लाख	900	990
3	केलसाईट	0.24 लाख	900	216
4	मार्बल	2.91 लाख	900	2619
5	ग्रेनाईट	0.47 लाख	800	376
6	लाईमस्टोन	0.05 लाख	100	5
7	लाईमस्टोन (क्रेशर)	3.37 लाख	65	219.05
8	मेंसनरीस्टोन	8.28 लाख	65	538.2
9	बजरी	2.91 लाख	65	189.15
कुल योग			**3895**	**15763.40**

विभागीय सूचना कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही

जिले में राज्य सरकार को होने वाली रॉयल्टी की आय तथा जिले को प्राप्त उत्पादकता मुख्य रूप से खनिज उत्पाद लाईमस्टोन (सीमेंन्ट हेतु) से होती हैं, शेष आय लाईमस्टोन (सीमेंन्ट हेतु) के अनुपात नगण्य हैं। वर्तमान में जिले में दो सीमेंन्ट उत्पादक ईकाई कार्यरत है व लेड, कॉपर एवं जिंक का उत्पादन प्रारम्भ हो गया हैं । इसके उत्पादन से सम्बन्धित दो बडे प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन हैं एवं खनिज लाईमस्टोन (सीमेंन्ट ग्रेड) से सम्बन्धित नये प्रोजेक्ट की भी सम्भावित हैं। कॉपर, लेड एवं जिंक परियोजना में भविष्य में लगभग 1500 लोगों को तथा नऐ सीमेंन्ट उद्योगो में भी लगभग 2000 लोगो को रोजगार मिलने की सम्भावना हैं।

खनन क्षेत्रों के विकास में बाधाएं :–

जिले में खनिज का विपुल भण्डार हैं लेकिन काफी बड़ा क्षेत्र, वन क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में आने तथा आबूरोड ब्लॉक क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अधिसूचित (उपयोजना) क्षेत्र होने के कारण जिले में खनन पट्टा आवंटन पर रोक हैं।

अध्याय - 4

शिक्षा

4.1. परिदृश्य :–

राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित सीमान्त जिला सिरोही की विशेष भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि के मद्देनजर महिला साक्षरता वर्ष 2001 में मात्र 37.3 प्रतिशत ही हैं, जबकि जिले में कुल साक्षरता की दृष्टि से वर्ष 1981 में 29.84 प्रतिशत से वर्ष 1991 में 46.24 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 तक 70.58 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की हैं। जिले का शिक्षा के क्षेत्र में सूचकांक 0.695 हैं। यह राज्य में 24 वां स्थान रखता हैं। वर्ष 1991 में साक्षरता का प्रतिशत 31.9 होने से राज्य में 23 वां स्थान था।

यहाँ के निवासियों की अपनी अलग परम्पराऐं, वेशभूषा एवं जीवनयापन के साधन है। पहाड़ी जन जीवन एवं अर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र में शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति औसत नजर आती है।

4.2. जिले की साक्षरता स्थिति :–

जिले की साक्षरता रूपरेखा 2001 की जनसंख्या के आकड़ों पर नजर डाले तो सिरोही जिले की साक्षरता स्थिति इस प्रकार परिलक्षित होती है :–

साक्षरता दर 2001

क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण	65.2	31.3	48.5
शहरी	89.4	64.1	77.6
योग	**69.9**	**37.1**	**53.9**

स्त्रोत जनगणना 2001

विगत दशकों की साक्षरता स्थिति पर गौर करें, तो 1981 के अनुसार अति न्यून साक्षरता प्रतिशत में क्रमिक वृद्धि के संदर्भ में जिले में किये जा रहे प्रयासों की सफलता को दर्शाता हैं परन्तु महिला साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम रही हैं।

साक्षरता प्रतिशत

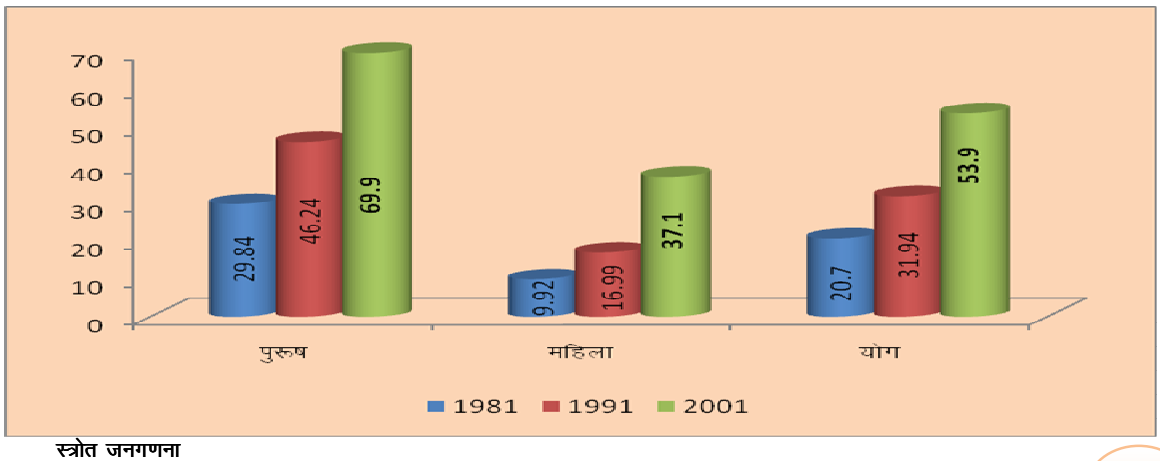

स्त्रोत जनगणना

4.3 सामाजिक श्रेणीवार साक्षरता स्थिति :–

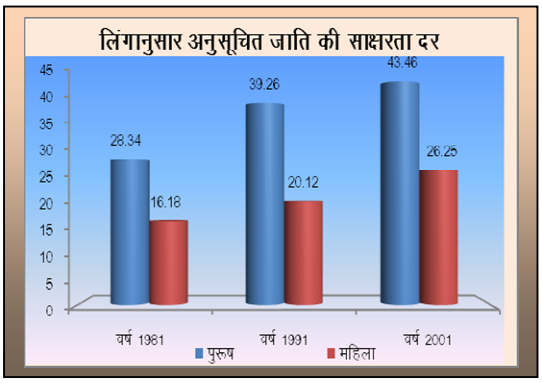

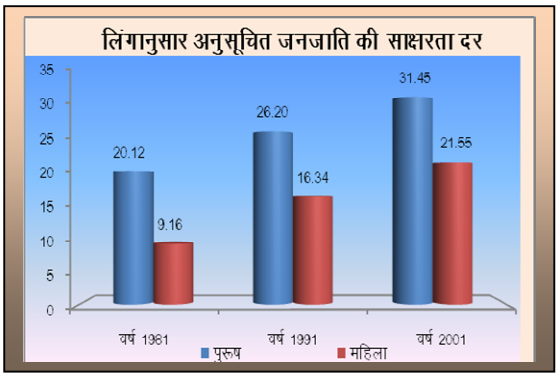

स्त्रोत जनगणना

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सवर्ण जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में साक्षरता के प्रति रूझान लगभग नहीं के बराबर हैं। विशेष रूप से जनजातीय समुदाय क्षेत्र में तो शिक्षा का स्तर अत्यंत ही दयनीय स्थिति में हैं।

ब्लॉकवार, लिंगवार साक्षरता स्थिति वर्ष 2001

ब्लॉक का नाम	पुरूष	स्त्री	योग
सिरोही	72.5	37.45	54.8
शिवगंज	70.8	39.28	55.2
पिण्डवाडा	70.0	37.30	54.1
आबूरोड	71.5	42.30	57.8
रेवदर	65.0	30.24	48.0
औसत	69.9	37.10	53.9

स्त्रोत जनगणना 2001

विभागीय सूचनाएं दर्शाती हैं कि वर्तमान स्थिति तक आते–आते जिले की पुरूष साक्षरता दर लगभग 80% एवं महिला साक्षरता दर 55% है, जो पुरूषों के सन्दर्भ में संतोषजनक है। साक्षरता की औसत स्थिति के कारण जिले में साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग के माध्यम से 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं निरक्षर नागरिकों हेतु सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाए गये, जिससे ऐसे लोगों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता के प्रति रूझान बढ़ा और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के पश्चात् यह स्थिति संतोषजनक रूप में परिलक्षित होने लगी है। लेकिन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के विरुद्व अब भी जिला काफी पीछे है।

जैसा कि विदित है 1980 से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, 1991 से 2000 के मध्य सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम एवं 2001 से वर्तमान तक उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों में महात्मा गांधी पुस्तकालय, असाक्षर महिला शिक्षण शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर, पी.आर.आई. कार्यक्रम संचालित हो रहे है। इन प्रयासों के कारण तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करें तो 1981 से 2001 के मध्य सम्पूर्ण साक्षरता के तहत अपनाए गये इन कार्यक्रमों में दशकवार जो प्रगति नजर आती है वह इस प्रकार है :–

साक्षरता की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

दशक	ग्रामीण			शहरी			योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1981	21.93	4.84	13.47	64.29	34.54	50.36	29.84	9.92	20.07
1991	36.57	9.23	20.03	83.78	49.72	67.33	46.24	16.99	31.94
2001	65.94	31.47	48.97	89.76	64.44	77.96	70.58	37.37	54.39

स्त्रोत जनगणना 2001

वर्तमान में शिक्षा के प्रति जन सामान्य का रूझान बढ़ाने के लिए एवं पढ़ाई को सतत् जारी रखने हेतु साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग द्वारा **"महात्मा गॉधी (पुस्तकालयों)"** मय सतत् शिक्षा केन्द्रों की ग्रामवार स्थापना कर साक्षरता के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है – जिले में ब्लॉकवार निम्नानुसार सतत शिक्षा केन्द्रों पर प्रेरक व सहप्रेरक कार्य कर रहे है।

सतत् शिक्षा केन्द्र

क्र.सं	खण्ड	सतत् शिक्षा केन्द संख्या	प्रेरक	सहप्रेरक
1	सिरोही	50	50	50
2	शिवगंज	46	46	46
3	पिण्डवाडा	88	88	88
4	आबूरोड	63	63	63
5	रेवदर	63	63	63
योग		**310**	**310**	**310**

स्त्रोत :– विभागीय सूचना 2008–09

इनके अतिरिक्त 2008 में 240 असाक्षर महिला शिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें 25 महिलाऐं प्रति शिविर लाभान्वित हुई एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के **10** शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रति शिविर 50 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। यह इस प्रकार के शिविरों की उपादेयता को दर्शाता है, तथा संकेत देता है कि इस प्रकार के शिविर जिले की जनसंख्या को देखते हुए हजारों की संख्या में आयोजित होने चाहिए।

4.4. राज्य के अन्य जिलों से तुलनात्मक स्थिति :–

राज्य स्तर पर साक्षरता की तुलना करने पर सिरोही जिले की स्थिति इतने प्रयासों के उपरान्त भी अन्य जिलों की तुलना में **24 वें** स्थान पर है।

राजस्थान के जिलों की साक्षरता दर

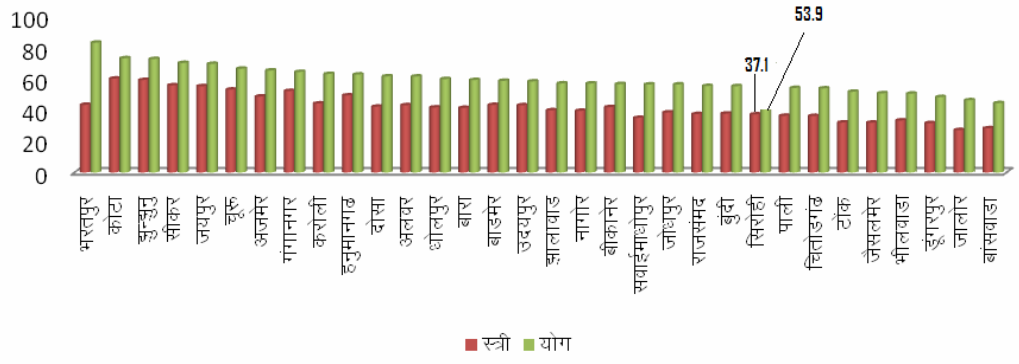

स्त्रोत जनगणना 2001

4.5. उत्तर साक्षरता कार्यक्रम :–

साक्षर एवं शिक्षित अभिभावक शिक्षा के प्रति असाक्षरों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम है और अधिकतर नागरिक कृषि या मजदूरी पर आश्रित है। जिससे प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तरीय शिक्षण के प्रति विशेषकर ग्रामीण व जनजाति क्षेत्रीय वर्ग के लोग उदासीन रहते है। उनकी प्राथमिकता जीविकोपार्जन व पारिवारिक कार्यो की पूर्ति होने के कारण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के इच्छित लक्ष्यों की अपेक्षित उपलब्धि में बाधा उत्पन्न होती है।

ऐसे नव–साक्षर जो हस्ताक्षर करना सीखे, वे अपने दैनिक हिसाब किताब एवं आवश्यकताओं के चयन में शिक्षा का उपयोग करने लगे तथा उनकी शिक्षा को स्थायीत्व प्रदान करने व क्रमबद्वता रखने के उद्देश्य से वर्तमान में साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं।

यहाँ साक्षरता के क्षेत्र में भावी प्रयासों के संदर्भ में निम्न सार्थक कदम बढ़ाने की आवश्यकता नजर आ रही है।

1. उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की गतिविधियाँ यथा–महात्मा गाँधी पुस्तकालय, असाक्षर महिला शिक्षण शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर, पी.आर.आई कार्यक्रम सहित आठवीं कक्षा तक योग्य नव साक्षरों हेतु समतुल्य शिक्षा परीक्षा का आयोजन जारी रखा जाये।
2. ऐसे असाक्षर जो पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के कारण इन कार्यक्रमों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसे परिवारों के आय के स्त्रोत की सम्भावना तलाशना आवश्यक हैं, जिससे विशेष कर जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्र के असाक्षरो को साक्षरता कार्यक्रमों से जोड़ने का मार्ग सुगम हो सके।
3. ऐसे नव साक्षरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर जिले में अकुशल श्रमिकों की संख्या में कमी करते हुए कुशल कामगारों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
4. नरेगा जैसी योजना में दैनिक टॉस्क दिया जाता है। उनको दिए गये कार्य की पूर्णता पर खाली समय का सदुपयोग करने हेतु एक आखर सेवी की कार्यस्थान पर नियुक्ति कर साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा सकते है।
5. ऐसे नवसाक्षर जो समतुल्य शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षा की मूल धारा से जुड़े हैं, उनको विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में वरीयता से लाभान्वित किया जा सकता है।
6. नव साक्षरों को विशेषकर महिलाओं को मजदूरी भुगतान/चुनाव/राशन सामग्री वितरण जैसे अवसरों पर हस्ताक्षर करने वालों को प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए। प्रोत्साहन यह भी हो सकता हैं कि ऐसे व्यक्तियों को **पंक्तिबद्ध खड़ा करते समय प्राथमिकता** दी जाये।

विशेषकर जनजातीय क्षेत्र **पिण्डवाडा एवं आबूरोड** में कृषि एवं मजदूरी पर आश्रित परिवारों की अधिकता है। जिससे उनका साक्षरता स्तर भी न्यून है और उनमें अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों की औपचारिक शिक्षा के प्रति भी गंभीरता नजर नहीं आती है।

वर्तमान में साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के माध्यम से उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों यथा – असाक्षर महिला शिक्षण शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर एवं सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष लाभान्वित महिलाओं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में वरीयता प्रदान की जा रही हैं।

यदि उक्त शिक्षण कार्यक्रमों को कक्षा 8 के समकक्ष समतुल्यता प्रदान की जाये तो सम्भव हैं कि 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी महिलाऐं जो शिक्षा के प्रति गंभीर हैं, उन्हें निश्चित रूप से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा।

4.6. पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र (आंगनवाडी) :–

क्र.स.	ब्लॉक	केन्द्रों की संख्या
1	सिरोही	124
2	शिवगंज	83
3	पिण्डवाडा	184
4	आबूरोड	209
5	रेवदर	155
	योग	**755**

स्त्रोत – आई.सी.डी.एस. 2008

यदि हम देखें तो जनगणना 2001 की जनसंख्या के आधार पर 0 से 6 वर्ष आयुवर्ग की संख्या 88082 बालक व 80903 बालिकाएं थी। 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्वि का औसत 30 प्रतिशत लगभग है। यदि हम 2009 तक इस आँकडे को 27 प्रतिशत लगभग बढाकर देखें तो 2008 के अन्त तक आते–आते 0–6 वर्ष आयुवर्ग के लगभग 111870 बालक एवं 102750 बालिकाएं कुल 214620 वर्तमान में जिले में है, जो कुल जनसंख्या 10,80,900 (27 प्रतिशत बढाने पर) का 20 प्रतिशत हैं।

इन बच्चों की शाला पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है। 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जाँच/पोषाहार एवं अक्षर ज्ञान की व्यवस्था उक्त विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन महिला एवं बाल विकास की रिपोर्ट के अनुसार अनेकों ऑगनवाडी कार्यकर्ता निरक्षर एवं अतिवृद्ध हैं। ऐसी ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं से उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

वर्तमान में जिले के 755 आंगनवाडी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के 31601 विद्यार्थी नामांकित है। मगर व्यवहार में देखा जाये तो समस्त निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा – Nursery, L.K.G, U.K.G में 3 से 5 वर्ष के बच्चों का नामांकन किया जाने से उक्त विभाग के उद्देश्यो की पूर्ति प्रभावित हो रही हैं और ऐसे बच्चे ऑगनवाडी केन्द्रों, निजी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं और राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु शिथिलन के कारण कहीं–कहीं तीनो जगह नामांकित हो सकते है। जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है।

जब बच्चा 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से नामांकन करने हेतु ग्रामवार व वार्डवार सर्वे किया जाकर योग्य बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।

4.7. सर्व शिक्षा अभियान :–

जिले में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी की पूर्ति की जा रही हैं। विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिये अलग–अलग शौचालय निर्माण, कक्षा–कक्ष की कमी वाले विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का निर्माण किया गया हैं तथा पाठ्य सामग्री भी योजना से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे विद्यालयों की आधाभूत संरचना आवश्यकता के अनुरूप हुई हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्न उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. ड्रॉपआउट रेट को कम करना।
2. दक्षता/समझ आधारित शिक्षण की व्यवस्था करना।
3. विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति करवाना।
4. विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण करना।
5. बालिका नामांकन में वृद्धि करना।
6. विद्यालय निरीक्षण एवं परिवीक्षण को प्रभावी बनाना।
7. आनन्ददायी शिक्षण की व्यवस्था करना।
8. छात्र–शिक्षक अनुपात 1 : 30 करने हेतु सरकार से अनुशंषा करना।
9. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु अभिभावकों, स्थानीय समुदाय एवं पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना।
10. एकल अध्यापकीय विद्यालयों में न्यूनतम 2 पदों की पूर्ति करना।
11. पंचवर्षीय योजना के कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करने के प्रयास करना।
12. विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना।
13. परियोजना की गतिविधियों को शत प्रतिशत सफल बनाने के प्रयास करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं लक्ष्यार्जन हेतु निम्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हैं :–

1. मरम्मत एवं रखरखाव।
2. टी.एल.ई. (टीचिंग लर्निंग इक्विपमेन्ट)
3. विद्यालय सुविधा राशि।
4. शिक्षण अधिगम सामग्री।
5. शिक्षण प्रशिक्षण।
6. सामुदायिक प्रतिनिधि का प्रशिक्षण।
7. निःशक्त बालकों के लिये प्रावधान।
8. शोध मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं अभिप्रेरण।
9. नवाचार कार्यक्रम।
10. कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन लर्निंग प्रोग्राम (कल्प)।
11. निर्माण कार्य (विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, रेम्प, शौचालय–मुत्रालय एवं अन्य आधारभूत संरचनाएं)।

12. पेयजल सुविधा हेतु हेण्डपम्प खुदाई, टंकी एवं नल सुविधाऐ।
13. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन।
14. सामुदायिक सहभागिता।
15. आपकी बेटी योजना ''मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन''।

सर्व शिक्षा अभियान एवं इससे पूर्व संचालित डी.पी.ई.पी. योजना के माध्यम से विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी की पूर्ति की गई है तथा वर्तमान में प्रायः सभी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कक्षा–कक्ष, शौचालय एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध हैं।

4.8. राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम (मिड–डे–मील) :–

प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्यान्ह् भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम पोष्टिक भोजन दिया जा रहा हैं।

इस कार्यक्रम के तहत प्रति सप्ताह का एक मीनू तैयार किया गया हैं–

1. सोमवार – रोटी सब्जी
2. मंगलवार – दाल चावल
3. बुधवार – खिचडी
4. गुरूवार – दाल रोटी
5. शुक्रवार – दाल बाटी
6. शनिवार – रोटी सब्जी

इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक विद्यार्थी को मौसमी फल भी वितरित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप विद्यालयों में नामांकन तथा विद्यार्थियों का नियमित रूप से ठहराव सुनिश्चित हुआ हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन अनुरूप ठहराव सुनिश्चित करना हैं।

4.9. जनजाति क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति :–

पिण्डवाडा/आबूरोड की 6–14 वर्ष आयुवर्ग की स्थिति

क्षेत्र	कुल जनसंख्या	6 से 14 आयुवर्ग की जनसंख्या
जनजाति क्षेत्र	205568	42675

स्त्रोत – जनगणना 2001

जनजाति क्षेत्रीय विद्यालयों का वर्षवार नामांकन

वर्ष	कक्षा I – V			कक्षा VI - VIII			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
2005	10593	6260	**16853**	3525	2956	**6481**	14118	9216	**23334**
2006	14612	7504	**22116**	5704	3812	**9516**	20316	11316	**31632**
2007	17279	10423	**27702**	7533	5889	**13422**	24812	16312	**41124**
2008	18038	12187	**30225**	8312	6623	**14935**	26350	18810	**45160**

स्त्रोत – डाईस 2008

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सत्र 2005 से 2008 के अंत तक कक्षा 1 से 5 के नामांकन में 44% एवं कक्षा 6 से 8 के नामांकन में 37% वृद्वि हुई है। यदि हम बालिका शिक्षा के संदर्भ में देखे तो यह वृद्वि प्राथमिक स्तर पर लगभग 34% एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 36% नजर आती है ।

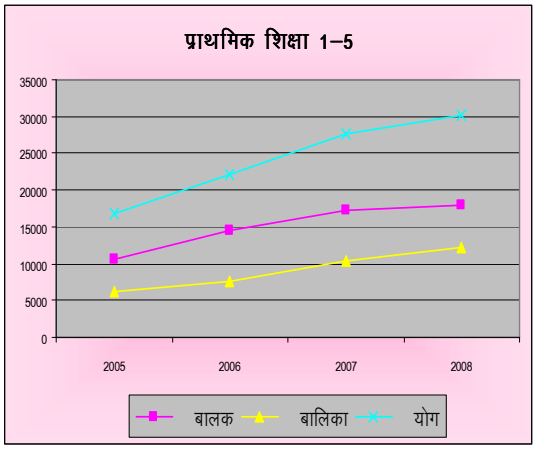

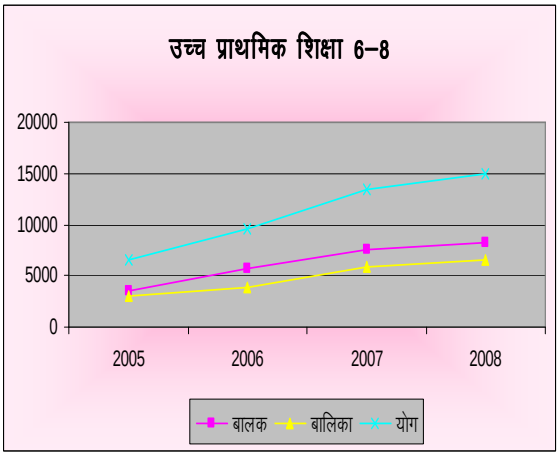

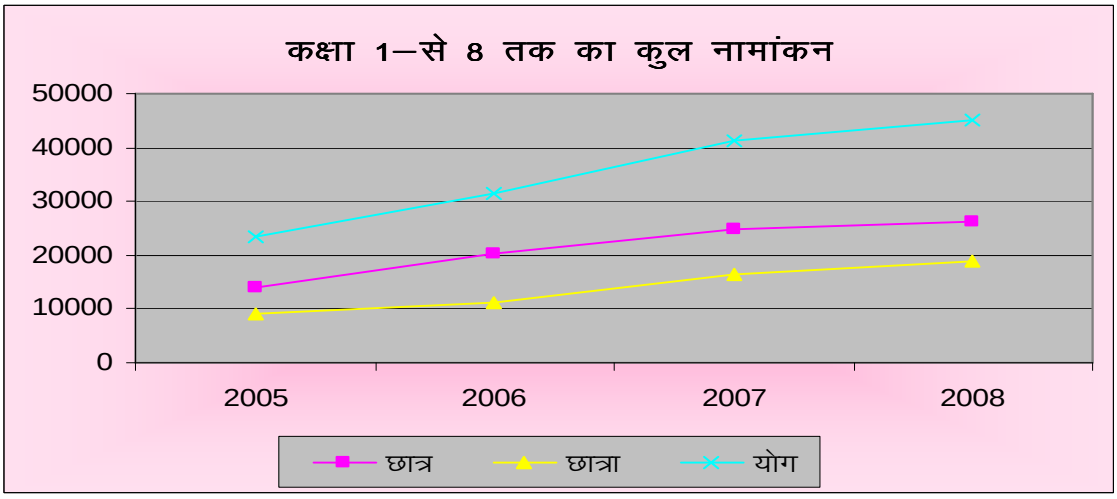

स्त्रोत :–डाईस 2008

परन्तु यहाँ गौर करने योग्य बात यह है कि वर्ष 2005 में प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण कर 6260 बालिकाएं निकली परन्तु 2006 में उच्च प्राथमिक स्तर पर मात्र 3812 छात्राएं ही नामांकित है। इसी प्रकार 2006 में 7504 के मुकाबले 2007 में मात्र 5889 ही नामांकित है। शेष 2006 में 20 प्रतिशत व 2007 में 17 प्रतिशत बालिकाएं उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा से ड्रॉप आउट होना चिन्ता का विषय है। जिसे रोकने हेतु उपर्युक्त वर्णित प्रयास आवश्यक है।

उक्त गंभीर स्थिति के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र में जनजाति विकास निगम, दूसरा दशक परियोजना, एवं वनवासी कल्याण परिषद् जैसी योजनाओं व स्वंयसेवी संस्थाओ के माध्यम से प्रत्येक योग्य विद्यार्थी को अनिवार्य शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियाँ संचालित हो रही है।

इन योजनाओं के माध्यम से जिले के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाऐं, गार्गी पुस्तकालय, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, मिड–डे–मिल, ट्रान्सपोर्ट वाउचर, साईकल एवं स्कूटी वितरण तथा स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा शिक्षण सामग्री सुविधा उपलब्ध करवाने जैसे

प्रयास अपेक्षित लक्ष्यार्जन में सहयोग दे रहे है। वनवासी कल्याण परिषद् जैसी स्वंयसेवी संस्थाएं इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे है ।

शाला पूर्व प्राथमिक शिक्षा का दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से निभाया जा रहा है। उक्त विभाग द्वारा ग्राम एवं वार्डवार संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाने के साथ–साथ शाला पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध करवाने का उद्देश्य निहित है। वर्तमान में जिले में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है :–

4.10. विभिन्न भाषा जाति व धर्मो के मध्य साक्षरता स्थिति :–

जिला सिरोही भाषायी एवं धार्मिक रूप से विविधता लिए हुए है। जिले का सिरोही एवं शिवगंज क्षेत्र राजस्थानी पुट लिए शुद्व मारवाडी, आबूरोड एवं पिण्डवाडा का आदिवासी वर्ग अपनी अलग एवं अनूठी बोली का उपयोग करता है। रेवदर क्षेत्र में गुजरात की संस्कृति का समावेश होने से उनकी बोली में गुजराती शब्दों का समावेश है, और वे वाक्यों कें अंतिम शब्द पर जोर देकर विचार व्यक्त करते है।

यहॉ के निवासी अधिकतर अलग–अलग पुट लिए बोलियों का उपयोग भले ही करते हो परन्तु उनके विचारों का आदान–प्रदान करने का मूल स्त्रोत हिन्दी भाषा वर्ग की **मारवाडी** बोली ही है। हॉ, शिक्षित वर्ग अधिकांश राजभाषा हिन्दी का ही उपयोग करते है।

वर्तमान में जिले में समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं हिन्दी भाषा के माध्यम से ही अन्य भाषाओं का यथा (अंग्रेजी, संस्कृत, एवं उर्दू) का अध्ययन करवाती है। विषयवस्तु को समझाने में शिक्षकों या समुदाय द्वारा स्थानीय विद्यार्थियों की मातृभाषा (क्षेत्रीय मारवाडी) का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है।

जिले में अलग–अलग जाति धर्म एवं पेशें को अपनाने वाले लोग होने के कारण उनका रहन–सहन भी अलग–अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतया जो कठिन क्षैत्र है वे है– रेबारी, गाडोलिया, लौहार, नाथ या जोगी एवं अन्य घुमन्तु सामाजिक वर्ग। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति ये लोग संवेदनशील नहीं है। पशुपालक वर्ग रेबारी वर्ष में 6 माह पलायन कर जाते है, तो गाड़ोलिया लौहारों का स्थाई निवास नहीं होता। अन्य घुमन्तु या गरीब लोग परिवारिक जीवनयापन हेतु रोजगार के लिए अपने बच्चों का सहारा भी ले रहे है।

यहॉ पर हम ऑकडो पर गौर करे तो जनसंख्या अनुरूप 2008 में बालकों का नामांकन 97% व बालिकाओं का नामांकन 82% था, परन्तु जब हम अप्रेल 2009 में परीक्षा में प्रविष्ठ संख्या के ऑकड़ों को देखे तो यह बालकों के रूप में 88% व बालिकाओं के रूप में 75% रहता है।

इसका मुख्य कारण नामांकन उपरान्त वर्ष पर्यन्त विद्यार्थियों का ठहराव नही होने के निम्न कारण नजर आते है :–

1. प्रवेशोत्सव के दौरान घुमन्तु व पशुपालक वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन तो हो जाता है, परन्तु 2–3 माह तक अध्ययन उपरान्त वे गॉव से पुनः पलायन कर जाते है।
2. कुछ विद्यार्थी नियमित उपस्थिति के अभाव में परीक्षा से भी वंचित हो जाते है।
3. जिले का पशुपालक वर्ग रेबारी जुलाई में घर लौट आते है। उनका नामांकन सर्वे अनुसार हो जाता है। मगर दीपावली के उपरान्त सपरिवार पलायन, नतीजा ड्राप आउट रेट बढ़ जाती है।

4. अभिभावकों की परम्परागत सोच के कारण भी विशेष कर बालिका नामांकन में बाधक बनता हैं। नामांकन के उपरान्त कुछ समय पश्चात् घरेलु कार्यवश बालिकाएं विद्यालय से ड्राप आउट हो जाती हैं।

उक्त कारणो से हमारा नामांकन अनुरूप ठहराव सुनिश्चित करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता हैं।

यदि हम निम्न प्रयास करे तो संभव है इनका पलायन रूक सकता हैं।

1. पशुपालक वर्ग के लिए सरकारी स्तर पर चारा डिपो आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
2. पलायनवादी जातियों में से कम से कम परिवार के एक व्यक्ति को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता हैं।
3. घुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृति के प्रावधान किये जा सकते हैं।
4. उक्त व्यवस्था में लाभान्वित होने हेतु विद्यार्थियों की शिक्षा को अनिवार्य करना होगा।
5. खेती हर मजदूरों के पलायन को रोकने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन।
6. जनजातिय क्षेत्रो में संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर सघन रूप से क्रियान्विति की जानी चाहिए।

4.11. मदरसा संस्थाएं :–

धार्मिक दृष्टि से देखे तो सिरोही जिले में हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, एवं ईसाई धर्मावलंबी निवास करते है। शिक्षा के क्षेत्र में समस्त वर्गो के लिए सामूहिक शिक्षण संस्थाऐ संचालित है। परन्तु विशेषकर उर्दू भाषा शिक्षण हेतु मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मदरसो की स्थापना की गई है।

वर्तमान में जिले में मुस्लिम सम्प्रदाय हेतु धार्मिक शिक्षा **उर्दू** शिक्षण हेतु ब्लॉकवार मदरसा संस्थाऐ संचालित हो रही है।

भाषायी, जातीय एवं धार्मिक गुटों के मध्य साक्षरता के संदर्भ में देखा जाये तो विशेष रूप से इस जिले में हिन्दू एवं मुस्लिम सम्प्रदाय की ही अधिकता है। मदरसों में अध्ययन के उपरान्त ऐसे विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश के योग्य माना है।

जहाँ पर ऐसे वर्ग की अधिकता है, वहाँ पर उनकी मांग एवं आवश्यकतानुसार मदरसा संस्थान् खोलने की व्यवस्था की जा रही है ।

मदरसा संस्था

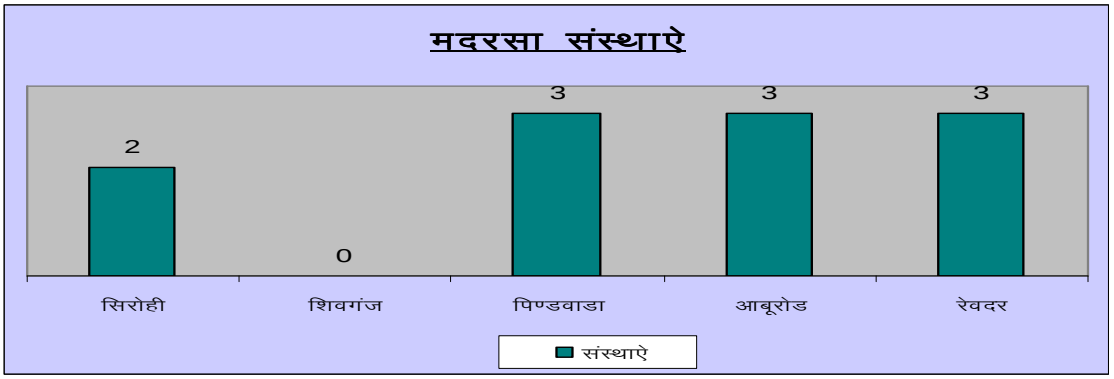

स्त्रोत – डाईस 2008

4.12. संस्कृत शिक्षा :–

संस्कृत भाषा का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से जिले के गावों एवं शहरो में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है।

परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानों का नियंत्रण संभाग स्तर पर नियोजित उपनिदेशक कार्यालय से होने एवं जिला स्तर पर प्रबंधन व्यवस्था नहीं होने के साथ–साथ सृजित पदों की रिक्तता के कारण ये विद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असहाय नजर आ रहे है।

वर्तमान में जिले में स्थित संस्कृत विद्यालय एवं उनमें सृजित पदों की तुलना में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति इस प्रकार है।

विवरण	सिरोही	शिवगंज	पिण्डवाडा	आबूरोड	रेवदर
संस्कृत विद्यालय	6	3	6	3	4
नामांकन	1018	712	1168	519	773
कार्यरत शिक्षक	10	7	18	12	10

स्त्रोत – संस्कृत शिक्षा विभाग, जोधपुर

जैसा कि जिले में विशेषकर आदिवासी समुदाय की अधिकता है। उनकी शिक्षा के प्रति सोच एवं जीवनयापन के तौर–तरीके भिन्न होने से शिक्षा के सार्वजनीकरण में इच्छित लक्ष्य की प्राप्ती नहीं हो पाती है।

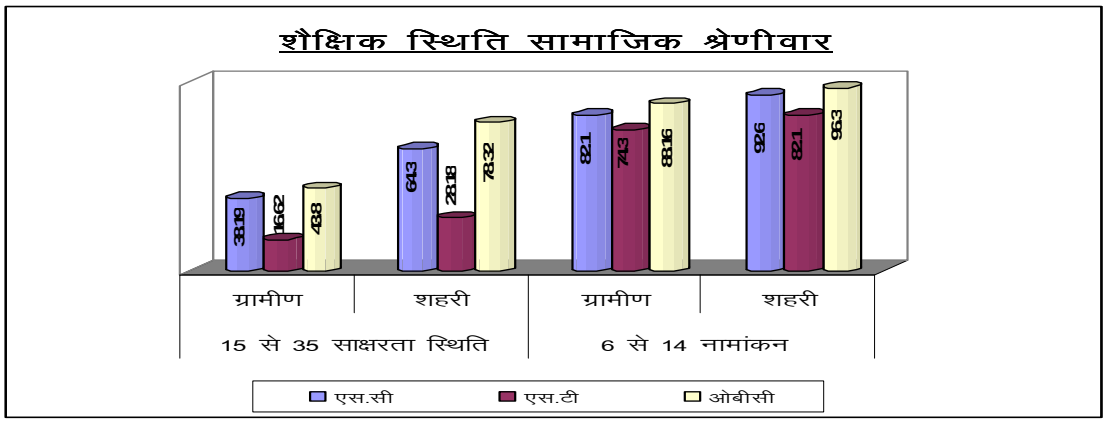

स्त्रोत – साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग

विशेषकर सिरोही जिला पिछड़ा होने एवं अलग–अलग भाषाओं का उपयोग होने से यहॉ के ग्रामीण विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति समझ पैदा नहीं हो पाती। विद्यार्थी जब नामांकित होकर विद्यालय आता है तो अन्य जिलो के बाहरी शिक्षकों की भाषा शैली भिन्न होने से ज्यादा समय तक यह समझ नही पाते हैं, कि शिक्षक की बातों का क्या जवाब दे।

इस हेतु निम्न प्रयास किये जा सकते है :–

1. पिण्डवाडा/आबूरोड जैसे अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय शिक्षकों या उनकी बोली में विषय वस्तु को समझाने की योग्यता रखने वाले शिक्षकों को ही प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्यत वरीयता से नियुक्त किया जाकर विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाया जा सकता है।
2. रात्रिकालीन शिक्षण कार्यक्रमों के लिए लडकियों के लिए विशेष रूप से उसी गॉव की निवास करने वाली शिक्षित महिला को मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाये तो इससे बालिका नामांकन में सहयोग मिलेगा।

3. खेतीहर मजदूरों व रेबारी समाज की बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष अगस्त से अक्टुबर में विशेष अभियान चलाया जाकर उन्हें शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने की स्थिति में ऐसे परिवारों में उनकी सुविधानुसार शिक्षण व्यवस्था करना आवश्यक हैं।

वर्तमान में शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं प्रत्येक योग्य विद्यार्थी को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने एवं शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को अनौपचारिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातकोत्तर स्तर सहित व्यावसायिक, प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। ओपन स्कूल एवं ब्रिज कोर्स द्वारा उन्हें उच्च अध्ययनार्थ प्रेरित किया जा रहा है।

जो विद्यार्थी 14 वर्ष के हो चुके है, परन्तु शारीरिक अक्षमता या पारिवारिक कारणों से संस्थागत शिक्षण सुविधा से वंचित है, उनके लिए शैक्षिक परियोजनाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था करवाकर अपेक्षित सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है।

इस प्रकार प्रत्येक ग्राम के वार्ड की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना से लेकर व्यावसायिक रूप से समृद्वता हेतु प्रशिक्षण संस्थाएं कार्यरत है।

जिले में वार्ड अनुसार राजीव गाँधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं की स्थापना कर उनमें शिक्षण कार्य हेतु वार्ड/गॉव/पंचायत क्षेत्र के शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति की गई थी। धीरे–धीरे उन विद्यालयों को प्राथमिक स्तर का दर्जा प्रदान कर आवश्यकतानुसार शिक्षको की नियुक्ति भी की गई एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रयासों के उपरान्त भी परम्परागत सोच बालिकाओं को सुरक्षा प्रवृति, कृषि कार्य मजदूरी रोजगार को प्राथमिकता के कारण बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने में इच्छित सफलता अर्जित नहीं हो रही है।

उक्त परिस्थितियों वाले विद्यालय में जहाँ नांमाकन अति. न्यून है, और शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उन्हें अनार्थिक घोषित किया जाकर राज्य सरकार से निकटतम विद्यालय में विलय करने के प्रस्ताव को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। ताकि उक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में नियुक्त किया जा सके।

अनार्थिक विद्यालय

क्र.सं.	ब्लॉक	अनार्थिक विद्यालय		
		संख्या	नामांकन	शिक्षक संख्या
1	सिरोही	7	116	8
2	शिवगंज	7	31	9
3	पिण्डवाडा	11	207	12
4	आबूरोड	4	73	4
5	रेवदर	19	107	13

स्त्रोत – प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही

4.13. स्टाफ की स्थिति और स्कूल सुविधाओं का प्रावधान :–

जिस प्रकार विगत वर्षो में विद्यालयों की संख्या बढी है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति हुई है उससे वर्तमान में 3 किलोमीटर व्यास क्षेत्र में उच्च प्राथमिक एवं 5 कि.मी. व्यास क्षेत्र में माध्यमिक स्तरीय शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं इसके साथ–साथ नाबार्ड एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि योजनाओं के तहत् प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक पर्याप्त कक्षा–कक्ष निर्माण, शौचालय, मुत्रालय, पानी, बिजली तथा अन्य समस्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपरान्त भी शिक्षक पदों का सृजन नहीं होने से अधिकतर विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में शिक्षा की कमी व रूढ़िवादिता के कारण जनजाति क्षेत्र व ग्रामीण वर्ग में विद्यार्थी धीरे–धीरे विद्यालयों से पलायन करने लग जाते है।

वर्तमान में विद्यालयवार स्वीकृत पदों के विरूद्व कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय

		सिरोही			शिवगंज			पिण्डवाडा			आबूरोड			रेवदर			**योग**		
		S	W	V	S	W	V	S	W	V	S	W	V	S	W	V	**S**	**W**	**V**
व.अ.(संस्था प्रधान)		64	34	30	51	26	25	65	40	25	44	33	11	71	24	47	**295**	**157**	**138**
अध्यापक	प्राशि	340	269	71	249	197	52	267	234	33	275	264	11	258	221	1389	**1185**	**204**	**204**
	पं. राज	308	229	79	205	164	41	439	282	157	293	216	77	485	253	1730	**1144**	**586**	**586**
शा.शिक्षक		35	31	4	36	32	4	53	34	19	33	25	8	42	16	26	**199**	**138**	**61**
शिक्षा सहयोगी		48	6	42	22	7	15	103	58	45	130	41	89	122	22	100	**425**	**134**	**291**
अति. शिक्षा		12	0	12	5	0	5	24	2	22	12	2	10	10	2	8	**63**	**6**	**57**
महिला पैराटीचर		31	8	23	24	2	22	34	4	30	25	11	14	37	6	31	**151**	**31**	**120**
पैरा शा.शि		3	1	2	4	2	2	4	1	3	4	2	2	15	2	13	**30**	**8**	**22**
योग		**841**	**578**	**263**	**596**	**430**	**166**	**989**	**655**	**334**	**816**	**594**	**222**	**1040**	**546**	**494**	**4282**	**2803**	**1479**

स्त्रोत – डाईस 2008

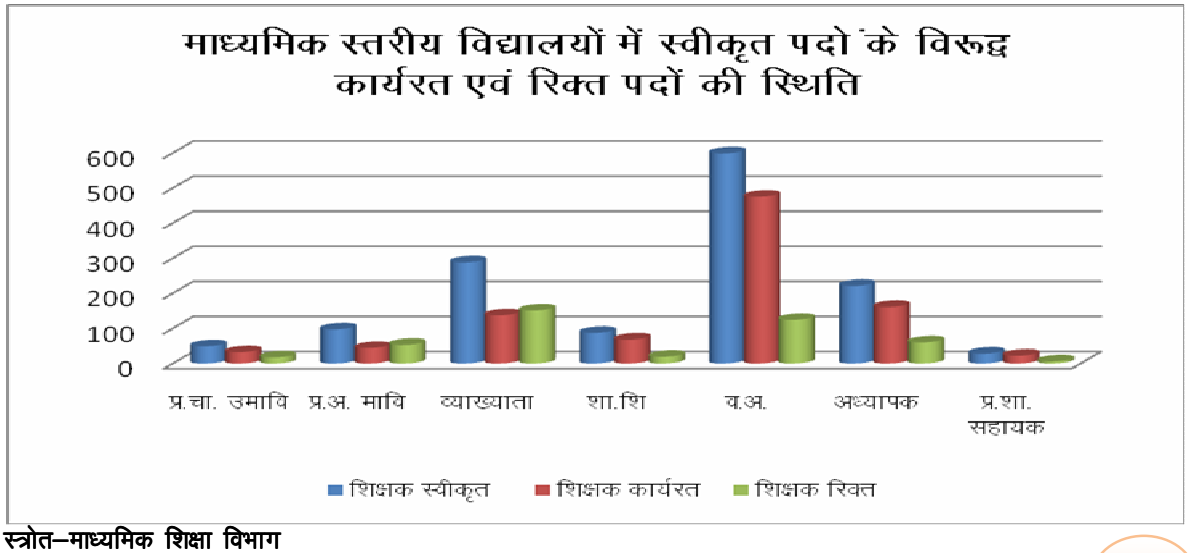

स्त्रोत–माध्यमिक शिक्षा विभाग

4.14. प्रारम्भिक शिक्षा :–

सामाजिक श्रेणीवार नामांकन

वर्ग	6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के कुल बालक			नामांकन		
	बालक	बालिका	**योग**	छात्र	छात्रा	**योग**
S.C.	20115	13544	33659	19902	13211	33113
S.T.	26820	19110	45930	26350	18810	45160
O.B.C.	48465	32314	80779	48398	31882	80280
Other	16352	10280	26632	16139	10046	26185
योग	**111752**	**75248**	**187000**	**110789**	**73949**	**184738**

स्त्रोत :– डाईस 2008

सामाजिक श्रेणीवार नामांकन

वर्ष	**अनुसूचित जाति**			**अनुसूचित जनजाति**			**Total**		
	छात्र	छात्रा	**योग**	छात्र	छात्रा	**योग**	छात्र	छात्रा	**योग**
2005	12312	6918	**19230**	14118	9216	**23334**	26430	16134	**42564**
2006	18156	7318	**15474**	20316	11316	**31632**	38472	18634	**57106**
2007	19280	9416	**18696**	24812	16312	**41124**	44092	25728	**69820**
2008	19902	13211	**33113**	26350	18810	**45160**	64537	41928	**106465**

स्त्रोत :– डाईस 2008

4.15. माध्यमिक शिक्षा :–

कक्षा						योग		
कक्षा 6 से 8			कक्षा 9 से 12					
बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
9294	3838	**13131**	13535	5007	**18542**	22829	8845	**31674**

स्त्रोत :– विभागीय सूचना

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2005 से 2008 के अंत तक अनुसूचित जाति वर्ग के नामांकन में आशातीत वृद्वि हुई है।

उक्त नामांकन के आंकडो पर गौर करें तो विशेषकर टी.ए.डी. क्षेत्र में संचालित जनजाति बच्चों के नामांकन उपरान्त ठहराव की समस्या अभी भी बरकरार है। जिस हेतु उपर्युक्त प्रयास करना आवश्यक है। यदि हम निम्न सारणी को देखें तो 2005 से 2008 तक विद्यार्थियों के ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई हैं।

शैक्षिक प्रणाली में नामांकन एवं ठहराव

सत्र्	नामांकन 30 सितम्बर			ठहराव प्रतिशत		
	छात्र	छात्रा	**योग**	छात्र	छात्रा	**योग**
2005	80801	53116	133917	80	68	**74**
2006	89156	59952	149108	84.16	70.02	**77.09**
2007	99653	65942	165595	84	71	**77**
2008	110789	73949	184738	88	75	**82**

स्त्रोत :–डाईस 2008

4.16. लिंगानुपात :–

क्र. सं.	ब्लॉक	नामांकन प्राथमिक स्तर				नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर			
		छात्र	छात्रा	योग	लिंगानुपात	छात्र	छात्रा	योग	लिंगानुपात
1	सिरोही	13509	10013	23522	14.86	7733	4139	11872	30.273
2	शिवगंज	10891	8580	19471	11.87	5050	2794	7844	28.761
3	पिण्डवाडा	18137	13554	31691	14.46	7614	4408	12022	26.668
4	आबूरोड	16088	11597	27685	16.22	6463	3912	10375	24.588
5	रेवदर	18166	12270	30436	19.37	7137	2682	9819	45.371
	योग	**76791**	**56014**	**132805**	15.64	**33997**	**17935**	**51932**	30.929

स्त्रोत :– डाईस 2008

4.17. विद्यार्थी शिक्षक अनुपात :–

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	ब्लॉक						विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
	राजकीय विद्यालय	सिरोही	शिवगंज	पिण्डवाडा	आबूरोड	रेवदर	योग	
1	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	650	487	595	514	501	2747	32.82
2	पंचायती राज विभाग	189	99	333	306	276	1203	33.29
3	समाज कल्याण विभाग	0	0	0	11	0	11	7.82
4	के.जी.बी.वी.	6	4	0	5	0	15	17.47
5	केन्द्रिय/नवोदय/रेल्वे	44	0	0	96	0	140	29.43
6	मदरसा	5	0	3	4	3	15	27.00
7	संस्कृत शिक्षा विभाग	14	7	18	6	10	55	34.00
8	शिक्षाकर्मी विद्यालय	0	12	24	36	19	91	41.03
	योग राजकीय विद्यालय	**908**	**609**	**973**	**978**	**809**	4277	32.89
	निजी विद्यालय							
1	अनुदानित विद्यालय	0	0	0	33	0	33	47.52
2	गैर अनुदानित विद्यालय	369	334	283	303	345	1634	24.84
3	गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय	27	30	0	0	45	102	17.84
4	बालश्रम विद्यालय	0	0	0	2	0	2	35.50
	योग निजी विद्यालय	**396**	**364**	**283**	**338**	**390**	1771	24.87
	योग	**1304**	**973**	**1256**	**1316**	**1199**	6048	30.55

स्त्रोत डाईस 2008

शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकतानुसार कार्यरत शिक्षकों की संख्या सृजित पदों के अनुरुप नहीं होने से विद्यार्थियों को अध्ययन में विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों की अधिकता के उपरान्त भी निजी विद्यालयों का नांमाकन उनकी संख्यात्मक रूप से कमी होने पर भी अधिक है।

वर्तमान में राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की स्थिति भी दयनीय है, जो इस शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित होने का मुख्य कारण है।

हालॉकि प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक स्तर पर 1.35 अनुपात आदर्श स्थिति में माना गया है, जबकि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों में 5 शिक्षकों का प्रावधान किए जाने के कारण कक्षागत ढॉचें के अनुरूप शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करने में परेशानी अनुभव की जाती है। वहीं माध्यमिक स्तर पर आदर्श विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 1.30 माना गया है। यहाँ पर भी अधिकतर रिक्त पदों के कारण एवं विषयाध्यापको की नियुक्ति न होने के कारण छात्रों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

इस हेतु नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों का सृजन आवश्यक होने के साथ–साथ विषयानुरूप शिक्षकों का पदस्थापन शैक्षिक गुणवत्ता हेतु प्रथम आवश्यकता नजर आ रही है।

4.18. स्थल जहां शिक्षण संस्थान उपलब्ध है :–

वर्तमान में प्रत्येक गांव एवं ढाणी में प्राथमिक विद्यालय एवं विद्यार्थी के निवास से 1 कि.मी. व्यास क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षण संस्थाओ की व्यवस्था स्वागत योग्य हैं।

विद्यार्थी के आवास स्थल पर आवश्यकतानुरूप माध्यमिक विद्यालयों का सृजन किया गया है और उनके निवास से 10 कि.मी. के व्यास क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षण संस्थाएं कार्यरत है।

आवश्यकतानुसार बालिका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, और उनके उच्च अध्ययन हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय और जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय भी स्थित है।

उक्त सुविधाओं के उपरान्त भी बालिका नामांकन की प्राथमिक स्तर पर जो स्थिति है। उच्च प्राथमिक स्तर तक संतोषजनक है परन्तु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर यह स्थिति शोचनीय नजर आती है।

ग्रामीण स्तर पर यह स्थिति अति गंभीर होने के कारण अभिभावकों को बालिकाओं के प्रति विशेषकर सुरक्षात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होना है ।

शहरी क्षेत्र में शिक्षण सुविधा होने के कारण अभिभावक बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति भी गंभीर है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के लोग पारम्परिक धारणाओं, अशिक्षा और गरीबी के कारण उच्च स्तरीय बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन नजर आते है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो उच्च अध्ययन करना चाहती है। परन्तु इच्छित स्तर के विद्यालयों की निवास स्थल से दूरी अधिक होने एवं आवागमन में असुविधा के मद्देनजर अभिभावक उन्हें दूर भेजने से कतराते है। नतीजन चाहकर भी उन्हें इच्छित शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती।

जिला स्तर पर बालिका महाविद्यालय के संदर्भ में भी इन तथ्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते है कि :–

1. बालिका महाविद्यालय शहर से हटकर एकांत स्थान पर है, जो सुरक्षात्मक दृष्टि से अकेली बालिका के लिए जाना उचित नहीं है।
2. गॉवो से शहर हेतु आने–जाने का कोई निश्चित साधन नही है।
3. घरेलु महिलाओं के योग्य विषयों जैसे :– गृह विज्ञान, संगीत, समाजशास्त्र की व्यवस्था आवश्यक है, जिससे बालिकाएं अध्ययन कर पारिवारिक रूप से सुदृढ हो सकें।

4. अधिकतर ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण शिक्षण की इच्छुक बालिकाओं के उच्च अध्ययन हेतु शुल्क व शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाने की व्यवस्था की जायें।
5. कॉलेज के निकटतम गॉवो से आने वाली छात्राओं के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की जा सकती है।
6. के.जी.बी.वी. (कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय) जैसे विद्यालयों को सुविधा सम्पन्न एवं उनमें प्रत्येक योग्य बालिका के प्रवेश हेतु प्रावधान किया जा सकता है।
7. सिरोही शहर स्थित बालिका छात्रावास भी एकान्त में होने से अभिभावक आशंकित रहते हैं, इस हेतु अभिभावको की मानसिक स्थिति को समझते हुए उचित सुरक्षा प्रबन्ध करवाये जाने आवश्यक हैं।

वर्षवार जनसंख्या अनुरूप अध्ययनरत बालिकाओं की स्थिति (6 से 14 वर्ष)

वर्ष	जनसंख्या प्रतिशत						
	प्रा.वि.	प्रतिशत	उ.प्रा.वि.	प्रतिशत	मा.वि.	उ.मा.वि.	उच्च शिक्षा
2005	40152	38 %	12964	37 %	20 %	8 %	6 %
2006	44814	40 %	15138	41 %	18 %	8.6 %	6.4 %
2007	50506	41 %	15436	42 %	19 %	9 %	7.2 %
2008	56015	42.17 %	17934	44 %	24 %	12 %	8 %

स्त्रोत – शिक्षा विभाग

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2005 से 2008 के अंतिम दौर तक आते–आते बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हमारे 50% प्रयास सकारात्मक रहे है। जिन्हे सतत् बनाए रखना आवश्यक है।

4.19. नामांकन एवं ठहराव :–

शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकरण के लक्ष्य निर्धारण पर समस्त योग्य बच्चों को शिक्षण संस्थाओं से जोड़ने की पहल करने के फलस्वरूप ग्राम एवं वार्ड स्तर पर सत्रांरभ से पूर्व सर्वे करवाया जाकर 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने योग्य बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है।

इसके साथ ही साथ विगत सत्रों में किन्ही कारणों से विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को पुनः विद्यालयों में प्रवेश का भी प्रयास किया जाता है और ऐसे अधिक उम्र के विद्यार्थियों जो कभी विद्यालय में किसी कारणवश प्रवेश नही ले सके, उन्हें भी जोड़ने के प्रयास किए जाते है। जो बालक 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत प्रवेश में असमर्थता जाहिर करते है उनको सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ब्रिज कोर्स द्वारा शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

नामांकन के उपरान्त मूल बिन्दु उनके ठहराव का रहता है, इस हेतु सरकारी प्रावधानों यथा दोपहर बाद भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के फलस्वरूप ठहराव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। परन्तु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि सिरोही जिले में पशुपालक वर्ग का 6 माही पलायन और धूमन्तु जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों में इस प्रवृति में मुख्य भूमिका निभाते है।

ऐसे परिवारों के बच्चे नामांकन उपरान्त अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते है और विद्यालयों में ड्रॉप आउट हो जाते है। अगले वर्ष पुनः जोड़ा जाता है परन्तु सितम्बर एवं अक्टुबर में वही समस्या खड़ी हो जाती है। वर्तमान में उक्त समस्या के फलस्वरूप वर्षवार ड्रॉप आउट की स्थिति इस प्रकार रहती है।

4.20. ड्रॉप आउट :–

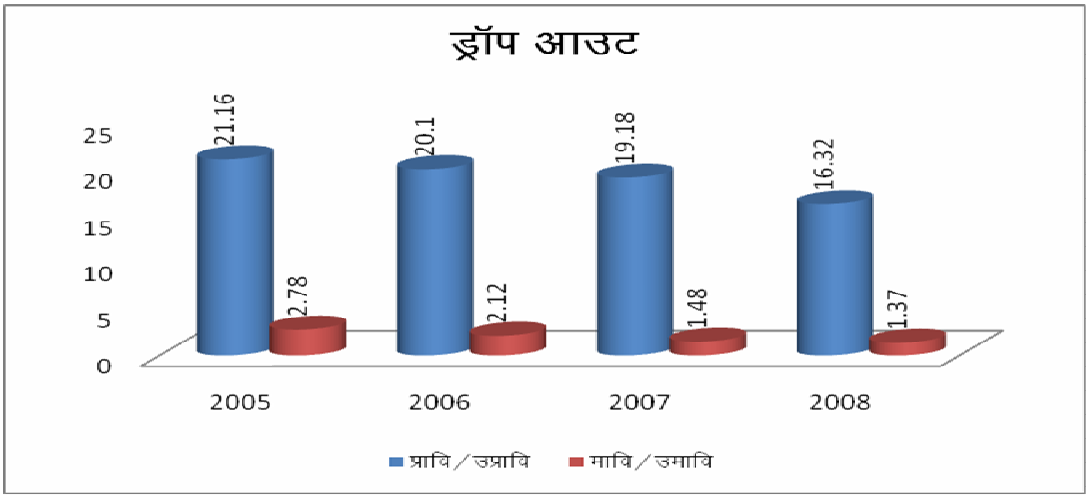

स्त्रोतः–डाईस 2008

हालॉकि शैक्षिक प्रयासों से इसमें सुधार आ रहा है परन्तु यह सुधार मात्र स्थानीय वर्ष पर्यन्त विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट होकर जुड़ने वालो से है। पलायन वादी विद्यार्थियों की समस्या अभी भी यथावत है।

प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर नामांकन में अन्तर आने का मुख्य कारण उच्च प्राथमिक स्तर के उपरान्त अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को रोजगार में लगा देते है। उनकी पारिवारिक परिस्थिति के मद्देनजर उच्च शिक्षा के प्रति रूझान कम रहता है।

वर्तमान में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सत्र् 2008–09 में नामांकन को स्थिति कक्षा 1 से 8 तक इस प्रकार हैं।

कक्षा						योग		
कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8					
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
76791	56015	132806	33998	17934	51932	110789	73949	184738

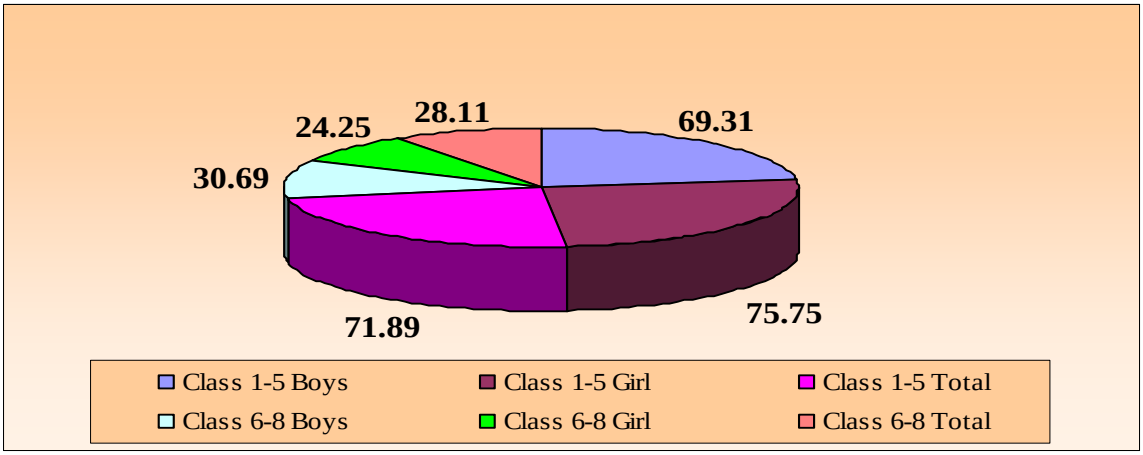

स्त्रोतः–डाईस 2008

यह संख्या बालकों के रूप में उक्त आयुवर्ग की कुल जनसंख्या का 97% है एवं बालिकाओं का नांमाकन 72% है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज भी जिले के लोगों की पुत्र व पुत्री की शिक्षा के प्रति मानसिकता का अन्तर नजर आ रहा है।

इस हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता नजर आ रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह स्थिति ओर भी ज्यादा विचारणीय है। कक्षा 8वीं के उपरान्त उगभग 50 प्रतिशत बालिकाएं व 20 प्रतिशत बालक माध्यमिक शिक्षा से नहीं जुड पाते। उनके परिवार की आर्थिक विपन्नता के चलते विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र वाले, उन्हें रोजगार के क्षेत्र में संलग्न कर देते है।

अतः बालिका शिक्षा के प्रति प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च अध्ययन स्तर पर सकारात्मक एवं सतत् प्रयास करने आवश्यक है।

1. ऐसे परिवार जो बालिका शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है और उन्हें पारिवारिक कार्यो में लगा देते है, ऐसी बालिकाओं द्वारा पूरी की जा रही जरूरतों की सरकार द्वारा पूर्ति करने का सहयोग दिया जा सकता है।
2. प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता हेतु सख्त कानून की आवश्यकता व बालश्रम कानून को प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना अत्यावश्यक है।
3. रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते समय 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के परिवार के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था की जानकारी का प्रमाण किया जा सकता है। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

यहा यह स्पष्ट है कि 2006 से 2009 तक उच्च प्राथमिक स्तर पार कर जो विद्यार्थी निकले उनमें से माध्यमिक स्तर पर लगभग 70% विद्यार्थी ही प्रवेश लेते है, शेष विद्यार्थी शिक्षा छोड़ कर रोजगार में लग जाते है।

रोजगार परक शिक्षा हेतु प्रयास :–

अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण बालक को अपने परिवेश में सृजित रोजगार के अवसरों की ही जानकारी होती है। उन्हें उच्च माध्यमिक या स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त भी रोजगार के अवसरों की जानकारी नहीं होने से वे अपेक्षित क्षेत्र चयन से वंचित रह जाते है। इस हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं :–

1. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में योग्यतानुरूप रोजगार के अवसरों की विद्यार्थियों को सत्र में जानकारी करवाना। इस हेतु जिला स्तर पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से इस दायित्व को निभाया जा सकता है।
2. सिरोही जैसे पिछड़े जिलों में अधिकतर शिक्षित लोगों की मुख्य आकांक्षा सरकारी नौकरी की ही रहती है। उनको निजी क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी नही होती, जिससे प्रतिभा सम्पन्न होने के उपरान्त भी वे इच्छित रोजगार से वंचित है। अतः प्रयास होना चाहिए कि रोजगार विभाग विभिन्न कंपनियों से सम्पर्क कर अधिकाधिक रोजगार शिविरों का आयोजन करें।
3. जिले में प्रबन्धन संस्थान, तकनीकी संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित है, परन्तु उनमें जिले के विद्यार्थियों की स्थिति लगभग नगण्य है। आवश्यकता है विद्यार्थियों को ऐसे संस्थानो के प्रति आकर्षित करने की ताकि वे इनमें जुड सके।

अधिकतर संस्थाएं मेंघावी विद्यार्थियों को आर्थिक सुविधाएं मुहैया करवाती है। जिनकी जानकारी एवं योग्य को उसका लाभ दिलवाने का हमारा सामुहिक प्रयास अनिवार्य है।

4.21. शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु उद्देश्य एवं लक्ष्य :–

प्रत्येक नागरिक को एक पहचान पत्र जारी किया जाये, एवं एक जिले से दूसरे जिले में प्रवसन (माईग्रेशन) की अनुमति हो। जिस स्थान पर प्रवास कर बालक/बालिका पहुँचे वहॉ उस पहचान पत्र के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा एवं परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करावें। इसके लिए पाठ्यक्रम का समानीकरण भी आवश्यक है।

आवासीय विद्यालय जो जनजाति क्षेत्र के लिए संचालित है, ऐसे विद्यालय प्रत्येक जाति, जो कि वर्तमान में हार्डकोर (जिस जाति में साक्षरता प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम हो) के लिए भी आवश्यक हो।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की कमी सर्वथा समाप्त होना चाहिए। ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्राथमिक शिक्षा से शाला पूर्व शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्र की बालिकाएँ विशेष रुप से पुरुष शिक्षक के समक्ष अपने आप को असहज महसुस करती है जिसके फलस्वरूप वे विद्यालय में आने से डरती हैं। अतः प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षिकाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाये।

ग्रामीण समुदाय की प्राथमिकताओं में इस तरह के बदलाव लाने के प्रयास किये जाये जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरुक बने (विशेष रुप से माताऐ) इसलिए महिलाओं की साक्षरता शत–प्रतिशत प्राप्त करना पहले अत्यावश्यक है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गॉव व शहर से बाहर के खेलकूद व अन्य गतिविधियों के शिविरों में छात्राओं का प्रतिनिधित्व इस जिले में नगण्य है। इसका कारण यह है कि शिक्षण कार्य करने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है और छात्राएँ पुरुष शिक्षक के साथ बाहर जाने में असहज महसूस करती है।

जच्चा बच्चा कार्ड बच्चों के टीकाकरण तक सीमित न रहकर उसे बढाकर प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा तक ले जाना आवश्यक हैं, ताकि बच्चों की प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट को नियंत्रित कर माइग्रेशन की स्थिति में अन्य विद्यालयों द्वारा स्वीकार किये जाने की जॉच की जा सके।

4.22. तकनीकी शिक्षा :–प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा से पूर्व विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शिविरों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं उपयुक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिससे छात्र अपने स्तर के अनुरुप उपयुक्त रोजगारोन्मुखी शिक्षा हेतु आवेदन कर सके।

प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी शिक्षा हेतु बहुत से छात्र प्रयासरत है परन्तु उनमें बहुत ही कम को प्रवेश प्राप्त होता है। अतः तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्वि आवश्यक है।

सामान्यतः सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर की उपलब्धता है उन संस्थानों को इन्टरनेट से जोड़कर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध हो सके।

4.23. दूसरा दशक (गैर सरकारी संस्थान) की आवासीय शिक्षण शिविर एक पहल :–

दूसरा दशक परियोजना पिण्डवाड़ा द्वारा शिक्षा से वंचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किशोर–किशोरियों हेतु प्रतिवर्ष आवासीय शिक्षण शिविर 4–4 माह की अवधि के लिये संचालित किये जाते है।

आवासीय शिविरों में जब किशोर–किशोरी ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके साथ छोटी–2 गतिविधियों के माध्यम से रिश्ता बनाकर समूह में शिक्षा कार्य प्रतिदिन नियोजनबद्व तरीके से किया जाता हैं। सीखने–सिखाने की सहज प्रक्रिया जागरण से लेकर स्वाध्याय तक चलती हैं। सभी किशोर–किशोरी आवासीय शिविरों में जीवन कौशल के मूल्यों को स्थापित कर परिपूर्ण मूल्यों के साथ समाज में वापिस जायें, यह कार्य दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा हैं। व सामान्य शिक्षा/ओपन मिडिल स्कूल के साथ जोडने हेतू कस्तुरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालयों /समाज कल्याण/जनजातिय विकास के आवासीय छात्रावासों से जोडा जा रहा हैं।

समाज की परख में जेण्डर समता, पंचायत व सामाजिक रीति रिवाजों धर्म व जाति को लेकर इन किशोर–किशोरी को पढ़ाया जाता है। जिसके कारण ये किशोर–किशोरी सामाजिक गैर बराबरी एवं व्यक्तियों के बीच के संबंधों को समझते है। पंचायत की मजबूती के लिये इनका क्या योगदान हो सकता है उसे समझते है। शिविर में ग्राम पंचायत बनाना एवं पंचायत राज के चुनाव कराना इत्यादि करके समझते है।

स्वास्थ्य में सामान्य स्वास्थ्य के अलावा पानी, पोषण, मातृत्व व प्रजनन स्वास्थ्य के अलावा HIV/AIDS को पढ़ाया जाता है। इन किशोर–किशोरी की आयु के इस दौर में सबका पढ़ना और समझना नितांत आवश्यक है। शिविरों के चलते इन किशोर–किशोरी के शैक्षणिक एवं सहयोग की प्रक्रियाओं के तहत उन सभी चीजों को ले जाकर भ्रमण कराया जाता है जिसे ये देखकर प्रश्न करके सीख सके।

1. **इखवेलो :–**

सतत् शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये क्षेत्र में 6 इखवेलो (पुस्तकालयों) की स्थापना की गई है जिनमें एक इखवेलो प्रभारी और 800 से 1000 तक किताबे व विज्ञान के मॉडल होते है। जहाँ इखवेलो घरट, वालोरिया, नागपुरा, माण्डवाडा खालसा, सिवेरा में संचालित किये जा रहे है। जहाँ पर दूसरा दशक के सहभागियों के अलावा स्कूली किशोर–किशोरी को पढ़ाई संबंधी मदद एवं ग्रामीणों की जानकारी का केन्द्र, महिलाओं की बैठकों का काम होता है। इखवेलो धीरे–2 समुदाय की मदद के केन्द्र के रुप में उभर रहे है।

2. **शिक्षा चेतना यात्रा :–** आवासीय शिविरों के किशोर–किशोरी के साथ कार्यक्षेत्र के ग्रामों में 4 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था कि ये किशोर–किशोरी जो चीजे सीख रहे है उन्हें समुदाय को बताई जावे। जिससे इन किशोर–किशोरी की क्षमतायें बढ़े और समुदाय को भी शिक्षित करे। समुदाय ने जब 250 किशोर–किशोरी को एक साथ ग्राम में अनुशासनात्मक तरीके से देखा तो ग्राम के लोगो ने इनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सराहा और सीख ली। ग्राम के लोगों ने इनका बड़े उत्साहपूर्वक तरीके से स्वागत किया इनके भोजन की व्यवस्था की।

इस पूरी यात्रा में प्रशासन के सभी अधिकारियों ने पिण्डवाड़ा से 50 कि.मी. दूर तक जाकर इस यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। शिक्षा चेतना यात्रा में शिक्षा, रोजगार गारन्टी, एच.आई.वी./एड्स को शामिल किया गया था।

सुझाव :–

दूसरा दशक परियोजना यह दर्शाता हैं कि ऐसे परिवार जिनमें महिलाऐं निरक्षर हैं, उनके बच्चों के लिये ऐसे आवासीय विद्यालय ज्यादा संख्या में होने चाहिये तथा यही मापदण्ड रोजगार के लिये निष्क्रमित होने वाले माता–पिता के बच्चों के लिये भी अपनाये जाने चाहिये तभी शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सकता हैं।

अध्याय-5

समेंकित महिला एवं बाल विकास सेवा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्यों में बच्चों की देखरेख का उत्तरदायित्व निर्वाह करने के उद्देश्य से समेंकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का प्रारम्भ महात्मा गांधी के 106 वे जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर, 1975 में की गई, जो बांसवाडा जिले के ग्राम गढी में किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिले की 237 पंचायत समितियों एवं एक लाख जनसंख्या वाले 20 शहरो में चल रहा है। सिरोही जिले में 755 आंगनवाडी केन्द्र एवं 19 मिनी केन्द्र चल रहें है।

5.1. बाल विकास सेवाओं के उद्देश्य :–

- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण में कमी लाना।
- बाल विकास को बढावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावशाली तालमेल कायम करना।
- स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य और पोषण आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

5.2 आंगनबाडी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाएं :–

- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जाँच
- पूरक पोषाहार
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रारम्भिक बाल्यावस्था (ईसीई)/शाला पूर्व शिक्षा
- संदर्भ सेवाएं

प्रत्येक केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं हेतु एक आगंनवाडी कार्यकर्ता, एक आगंनवाडी सहायिका एवं एक आशा सहयोगिनी का पद हैं इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो का निरीक्षण महिला पर्यवेक्षक एवं ए.एन.एम./एल.एच.वी. द्वारा किया जाता हैं जिसका प्रबोधन बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच :–

- नवजात शिशु एवं मॉ को जानलेवा बीमारी टिटनेस से बचाने के लिए तथा छोटे बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिये बी.सी.जी., डी.पी.टी. एवं पोलियो की तीन खुराक एवं मीजल्स के टीको द्वारा टी.बी., गलघोटु, काली खॉसी, टिटनेस (ताण) पोलियों व खसरा से बचाव के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र पर प्रत्येक लाभान्वित का रिकार्ड रख कर यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि सर्वे अनुसार सभी बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण सुनिश्चित हो। टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जॉच कार्य में ए.एन.एम., आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका व सामुदायिक गतिशीलता हेतू आशा सहयोगिनी के समन्वय से कियान्वयन किया जा रहा हैं। स्वास्थ्य जांच अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को पहली जॉच पहले से तीसरे, दूसरा जॉच चौथे से छठे एवं तीसरी जॉच सातवें से नवें माह के दौरान आवश्यक रूप से प्रत्येक आंगनवाडी पर आयेाजित मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर करवाई जाती हैं।
- मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर महिलाओं को स्वास्थ्य जॉच एवं बच्चों को टीकाकरण स्थल पर लाने व शिविर अन्तर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य जॉच में गोपनियता के लिये ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति, चुने हुये जनप्रतिनिधि एवं समुदाय आधारित संस्थाओं जैसे– महिला मण्डल, किशोरी समूह, स्वयं सहायता समूह, का सहयोग लिया जाता हैं। उक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं द्वारा टीकाकरण से होने वाले लाभ व टीका नहीं लगवाने से होने वाले नुकसान को गृह सम्पर्क, मोहल्ला बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक, महिला मण्डल की बैठक, मातृ समितियों की बैठक में प्रमुखता से बताया जाता हैं, साथ ही सभी को टीके लगाये जाने की जिम्मेंदारी सुनिश्चित की जाती हैं।

पूरक पोषाहार :–

उद्देश्य

- कम वजन के पैदा होने वाले नवजात शिशुओं की संख्या में कमी लाना।
- शिशु एवं छोटे बच्चों में कुपोषण से बचाव।
- जो बच्चे किसी कारणवश कुपोषित हो गये हैं, उनका पोषण द्वारा उपचार।

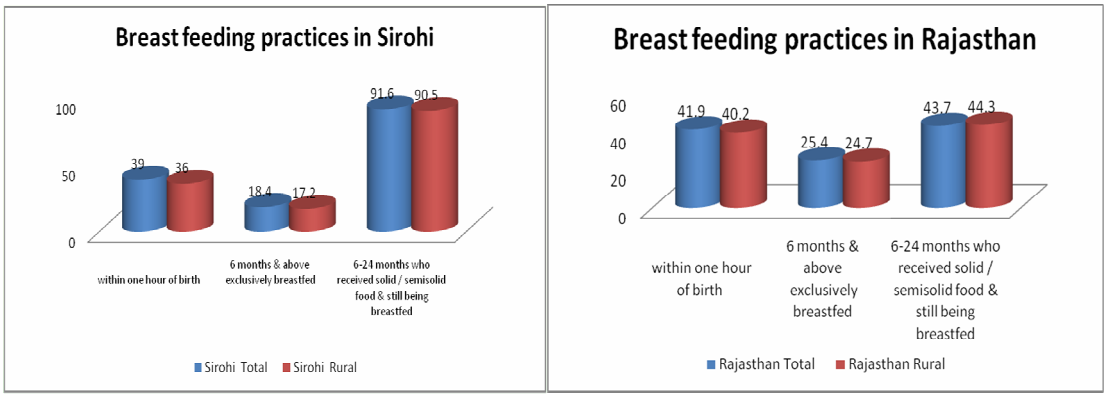

Source :-DLHS-III

प्रसव के पश्चात् प्रथम घण्टे में माता का दुग्ध पिलाने की प्रवृत्ति जिलें में राजस्थान से कम लेकिन लगभग समान हैं तथा छः माह एवं अधिक अवधि के लिये राजस्थान से तुलनात्मक दृष्टि से सिरोही जिला काफी पिछे हैं। वहीं छः माह से अधिक माता के दुग्ध के साथ अर्द्धठोस/तरल आहार दिये जाने के क्षेत्र में राजस्थान की तुलना में सिरोही जिला दुगने से अधिक स्थान रखता हैं।

0–3 वर्ष के कुपोषित बच्चों की स्थिति (प्रतिशत में)						
बाल विकास ब्लॉक	Grade-3		Grade-4		Double ration	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
आबूरोड	1.40	1.58	0.00	0.00	0.65	0.60
आबूरोड शहर	0.65	0.69	0.00	0.00	0.59	0.41
पिण्डवाडा	0.36	0.35	0.00	0.00	0.22	0.20
रेवदर	2.26	2.63	0.03	0.05	0.00	0.00
शिवगंज	4.01	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
सिरोही	1.72	2.24	0.00	0.00	0.26	0.57
जिला	**1.63**	**1.83**	**0.01**	**0.02**	**0.28**	**0.29**

स्त्रोत – विभागीय सूचना

सिरोही जिलें में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में छोटे बच्चों को माता का दुग्ध आहार देने की प्रवृत्ति होने के कारण आबूरोड एवं पिण्डवाडा ब्लॉक में ग्रेड–3 एवं ग्रेड–4 कुपोषित बच्चे नगण्य से हैं। वहीं शिवगंज ब्लॉक (शिक्षित क्षेत्र) में ग्रेड–3 का कुपोषण सर्वाधिक पाया गया हैं। रेवदर ब्लॉक में ग्रेड–4 का कुपोषण होते हुये भी दुगना राशन नहीं दिया गया हैं, यह चिन्ता का विषय हैं।

पूरक पोषाहार का वितरण एवं परामर्श :–

- प्रत्येक केन्द्र पर रविवार को छोड़कर एक माह में औसतन 25 दिन या वर्ष में 300 दिन पुरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता हैं।
- गर्भवती एवं धात्री माताओं का प्रतिदिन ऑगनवाडी केन्द्रों पर आना सम्भव नहीं होने से एवं तीन साल से छोटे बालकों का केन्द्र पर नियमित रूप से न आ पाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रति गुरूवार को 6 दिन का पूरक पोषाहार घर ले जाना दिया जाता हैं।
- घर के प्रतिदिन आहार में कमी नहीं कर पूरक पोषाहार को अतिरिक्त रूप में अपने मनपसंद खाद्यसामग्री तैयार कर आवश्यक रूप से लिये जाने हेतू परामर्श दिया जाता हैं।
- 3–6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालकों को रूचिकर पोष्टिक एवं स्वादिष्ट गर्म भोजन प्रत्येक केन्द्र पर आगॅनवाडी कार्यकर्ता, मातृ समिति/स्वंय सहायता समूह/अन्नपूर्णा सहकारी समिति द्वारा दलिया व खिचडी के व्यंजन बनाकर दो बार केन्द्रों पर दिया जाता हैं ।
- पूरक पोषाहार में 300 कैलोरी व 8 से 10 ग्राम प्रोटिन बच्चों को प्राप्त होता हैं अति कुपोषित बच्चों को 600 कैलोरी एवं 16 से 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा :–

प्रत्येक आगंनवाडी केन्द्र पर महीने में एक बार क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से **मातृ – शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस** का आयोजन किया जाता हैं। उस दिन टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, किशोरी बालिकाओं को आई.एफ.ए. का वितरण, 6 माह की उम्र पुर्ण करने वाले लाभान्वितों का अन्नप्राशन महोत्सव, सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव के लिये उचित टीकों का उपयोग तथा एक साल से अधिक आयु के उम्र के बच्चों

के पेट के कीडे मारने की गोलियाँ दी जाती हैं। आयोडिन की जांच, अति कुपोषित बच्चों की देखरेख व पूरक पोषाहार वितरण कार्य सम्पादित होते हैं। इसी दिवस को धात्री, गर्भवती, महिलाओं एवं किशोरियों के साथ विभिन्न स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर चर्चा की जाती हैं। इस दिवस के अतिरिक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता के द्वारा समय–समय पर गृह भ्रमण एवं सामूहिक बैठकों के द्वारा महिलाओं किशोरियों, पुरूषों आदि के साथ परामर्श एवं पोषण शिक्षा ग्राम स्तर पर प्रदान की जाती हैं।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था (ईसीई)/शाला पूर्व शिक्षा

जिले में 3 से 6 वर्ष के बच्चो को समेंकित बाल विकास कार्यक्रम द्वारा शाला पूर्व शिक्षा खेल–खेल में आनंददायी शिक्षा आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिका द्वारा दी जा रही हैं जिसका उद्देश्य बच्चो में शिक्षा के प्रति रूचि को बढाना एवं स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना हैं। शाला पूर्व शिक्षा चार्ट्स, चित्रों, स्थानीय कविता, गानें व कहानियॉ के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

संदर्भ सेवाएं

जिले में 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं के विकास का प्रबोधन करते समय पाये जाने वाले अतिकुपोषित बच्चो एव रक्त अल्पता वाली किशोरियों एव महिलाओं को चिकित्सा विभाग के माध्यम से संदर्भ संवाऐ प्रदान की जाती हैं।

सिरोही जिले में निम्नानुसार परियोजना संचालित हैं जिसके सम्मुख दर्शाये अनुसार आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा हैं।

क्र. स.	नाम परियोजना	जनसंख्या		स्वीकृत केन्द्र	स्वीकृत मिनी केन्द्र	पुरक पोषाहार लक्ष्य	स्कूल पूर्व शिक्षा का लक्ष्य
		पुरूष	महिला				
1	आबूरोड	062997	59303	109	10	10900	4760
2	आबूरोड शहरी	66482	60379	100	0	10000	4000
3	पिण्डवाडा	95172	91232	184	9	18400	6920
4	रेवदर	92908	80681	155	0	15500	6200
5	शिवगंज	50174	49274	83	0	8300	3320
6	सिरोही	81091	73251	124	0	12400	4960
कुल योगः–		**448824**	**414120**	**755**	**19**	**75500**	**30160**

5.3. किशोरियों में (15–19 वर्ष) अति रक्तअल्पता की स्थिति

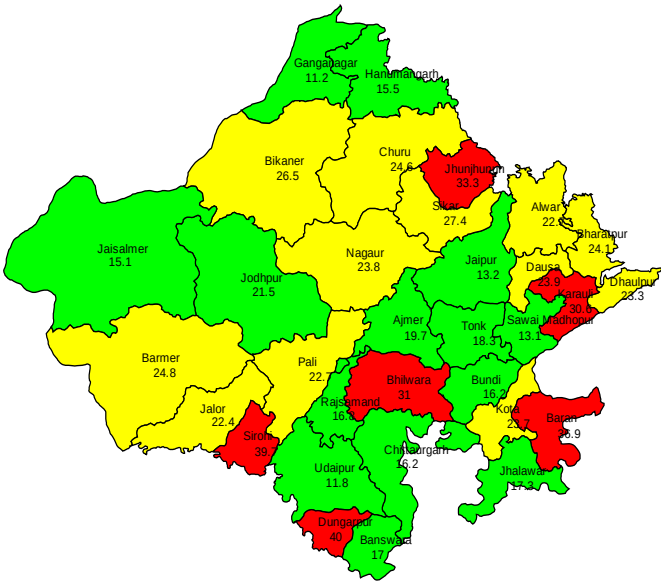

किशोरियों में अति रक्तअल्पता का स्तर राजस्थान में 21.7 प्रतिशत हैं। वहीं जिला सिरोही में यह 39.7 प्रतिशत हैं। तथा राज्य स्तर पर अन्तिम से दसरे स्थान पर हैं।

स्त्रोत – डी.एल.एच.एस.–II

जिला सिरोही में किशोरियों के खान–पान में विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं।

5.4 महिला विकास कार्यक्रम :–

सिरोही जिले में 151 पंचायतो में कुल 151 पद साथिनों के स्वीकृत हैं यह साथिन प्रत्येक पंचायत स्तर पर महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत है। जिसके अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम व पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं सामाजिक कुरीतियो के विरूद्व इनके द्वारा कार्य किया जाता है। वर्तमान में सिरोही जिले में 58 साथिनें कार्यरत है।

5.4.1 स्वयं सहायता समूह :–

जिले में परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृड़ करने एवं महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास फलस्वरूप वर्ष 2009–10 में निम्नानुसार चल रही परियोजनाओं को लक्ष्य आवंटित किया गया है।

क्रसं	नाम परियोजना	गठन संबंध		बैंक ऋण प्राप्त संबंध	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आबूरोड	88	16	116	–
2	आबूरोड शहरी	80	22	105	7
3	पिण्डवाडा	144	57	196	6
4	रेवदर	124	70	164	6
5	शिवगंज	98	52	131	5
6	सिरोही	66	28	88	–
कुल योगः–		**600**	**245**	**800**	**24**

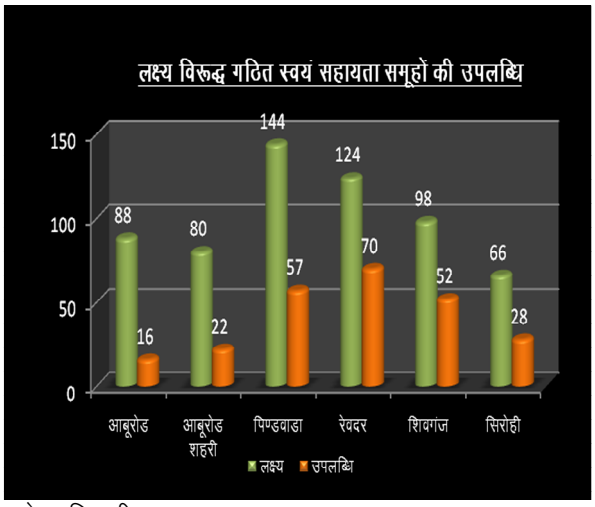

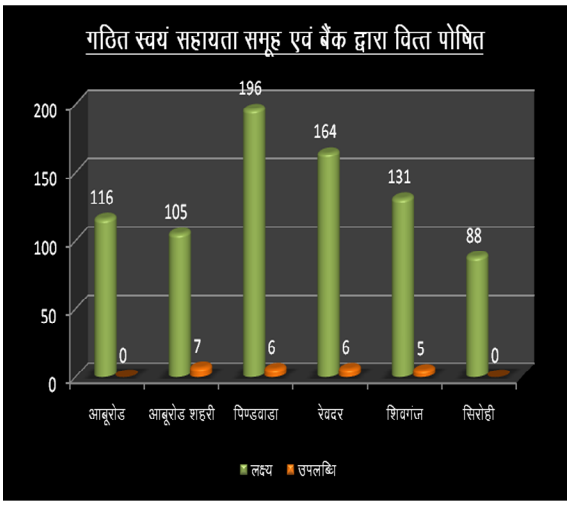

स्त्रोत–विभागीय सूचना

जिलें में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठन में उपलब्धि लक्ष्य का लगभग 40 प्रतिशत ही हैं लेकिन गठित स्वयं सहायता समूहों का वित्त पोषण बैंको के द्वारा लगभग शून्य हैं। यह दर्शाता हैं कि बैंक वित्त पोषण पर गंभीर नहीं हैं।

5.4.3. सामूहिक विवाह अनुदान योजना :–

समाज में अपव्यय को रोकने एवं सामाजिक सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से महिला विकास द्वारा सिरोही जिले में सामूहिक विवाह की योजना संचालित हैं। इसमें पंजीकृत संस्था के माध्यम से 10 से अधिक विवाह योग्य जोड़ों का विवाह कराने पर प्रति जोड़ा 6,000/– रू. की राशि का प्रावधान हैं। इसके फलस्वरूप जिले में निम्नानुसार अब तक वर्ष 2008–09 में 46 जोड़ों एवं 2009–10 में कुल 22 जोड़ों का विवाह करवाया जा चुका है।

5.4.4. अपनी बेटी योजना :–

जिले में अपनी बेटी योजना प्रत्येक ब्लॉक की एक–एक पंचायतों में संचालित है। इसमें 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को, जिन्हे शिक्षा से नही जोडा जा सका था, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। साथ ही व्यावसायिक कार्य का प्रशिक्षण दिया जाकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा दी जाती है, सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराया जाकर जागरूक बनाया जाता है।

5.5. सुझाव

1. प्रत्येक परियोजना में सभी रिक्त पदों की पूर्ति होनी चाहिये। क्षेत्रीय कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये।
2. परियोजना की मुख्य सीढ़ी ऑगनवाडी कार्यकर्ता हैं, जो कि बहुत पुराने समय से कार्यरत एवं अनपढ़/साक्षर है, को हटाने व उनके स्थान पर उच्च स्तर की पढ़ी लिखी तथा कम से कम पाचवीं पास महिला का चयन किया जाना चाहिये।
3. सभी पदों के चयन का अधिकार ग्राम सभा के स्थान पर बाल विकास परियोजना अधिकारी का होना चाहिये। चयन खुले स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार उपरान्त होना चाहिए।
4. प्रत्येक केन्द्र का भवन पक्का एवं बालको की पहुँच में होना चाहिये। भवन निर्माण स्थान का चयन में CDPO/पर्यवेक्षक की राय अनिवार्य किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।
5. जिले में कार्यरत उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास, समेंकित बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी सभी को उच्च स्तरीय पुनः प्रशिक्षण अति आवश्यक हैं।

अध्याय-6

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

6.1. परिचय

जिले की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जिलें का जनघनत्व जो वर्ष 1991 में 127 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था बढकर 2001 में 166 हो गया है। जनसंख्या स्थायित्व तथा सभी को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से विभाग विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:– जैसे योग्य योग्य दम्पत्तियों को इच्छानुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर संरक्षित करना। नियमित टीकाकरण एवं विशेष टीकाकरण अभियान (मातृ, शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस) चलाकर गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की टीके के अभाव में होने वाली बीमारियों से बचाव करना।

विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर महिला साक्षरता मात्र 37.37 प्रतिशत ही है तथा संस्थागत प्रसव के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्ण प्रचार करने के बावजूद सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर होने के फलस्वरूप ग्रामीण महिलाएं संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव कराने पर अधिक महत्व देती है। बच्चों के स्वस्थ एवं जीवित रहने की कम सम्भावना जैसी सोच के कारण अधिक बच्चों का जन्म तथा कम आयु में शादी व लडका पैदा करने की चाह के कारण जिलें की जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर अधिक हो रही है।

6.2. मुख्य संकेतक :–

6.2.1 जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

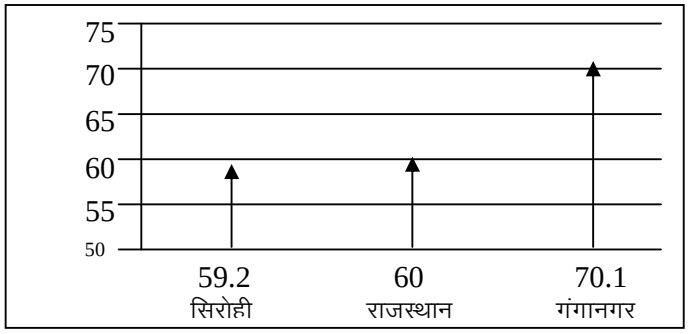

स्त्रोतः–डी.ई.एस, एच.डी.आई.–1991

सिरोही जिले का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 59.2 जो राज्य के औसत के समकक्ष है। हमें जीवन प्रत्याशा बेहतर बनाने हेतु जिलें में गुणवत्तापूण चिकित्सा सुविधा व सेवाऐं प्रत्येक स्तर पर मुहैया करवानी होगी ।

6.2.2 नवजात शिशु मृत्यु दर (दर प्रति हजार)

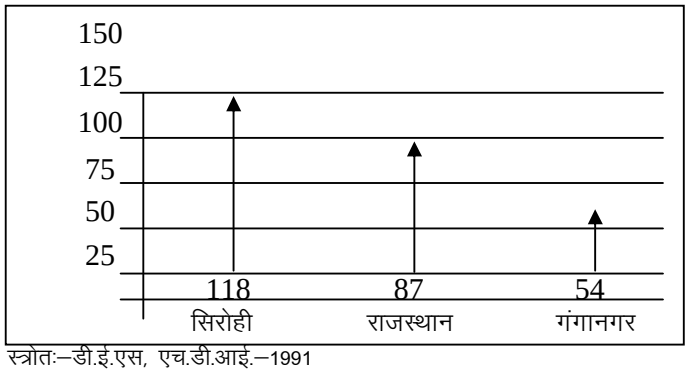

स्त्रोतः–डी.ई.एस, एच.डी.आई.–1991

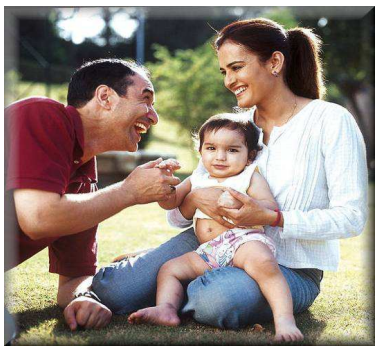

जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर जनगणना 2001 के अनुसार 77 प्रति हजार है लेकिन डी.ई.एस, एच.डी.आई.–1991 के आंकड़ो अनुसार 118 नवजात शिशुओं की मृत्यु प्रति हजार का आंकलन किया गया है जो कि राजस्थान एवं भारत के आंकड़ों से काफी ज्यादा है। हमें शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु रेवदर, आबूरोड़ तथा पिण्ड़वाड़ा पंचायत समितियों के भौगोलिक व दुर्गम क्षेत्रों में हमें प्रजन्न एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना होगा।

6.2.3. प्रक्रिया संकेतक

क्र.सं.	विवरण	संकेतक	
		सिरोही जिला	राजस्थान राज्य
1	जन्म दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	27.16	30.3
2	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	77	65
3	मातृ मृत्युदर (प्रति एक लाख जीवित जन्म)	640	388
4	मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)	6.5	7.6
5	दम्पत्ति संरक्षण दर	55.3	43.9
6	स्त्री पुरूष अनुपात	943	961

स्रोत :–डीएलएचएस सर्वे व विभागीय सर्वे

चिकित्सालय प्रति 10,000 व्यक्ति – 2.9	महिलाओं के विवाह की औसत आयु – 18 वर्ष
औषधालय प्रति 10,000 व्यक्ति – 0.7	विवाहित महिलाओं का प्रतिशत 10 से 14 वर्ष – 6.3 15 से 19 वर्ष – 37.9
चिकित्सक प्रति 10,000 व्यक्ति – 1.1	
शैय्याएं प्रति 10,000 व्यक्ति – 6	

स्रोत :–डीएलएचएस सर्वे व विभागीय सर्वे

6.2.4. सिरोही जिले का नक्शा (राजकीय चिकित्सा संस्थान दर्शाते हुए)

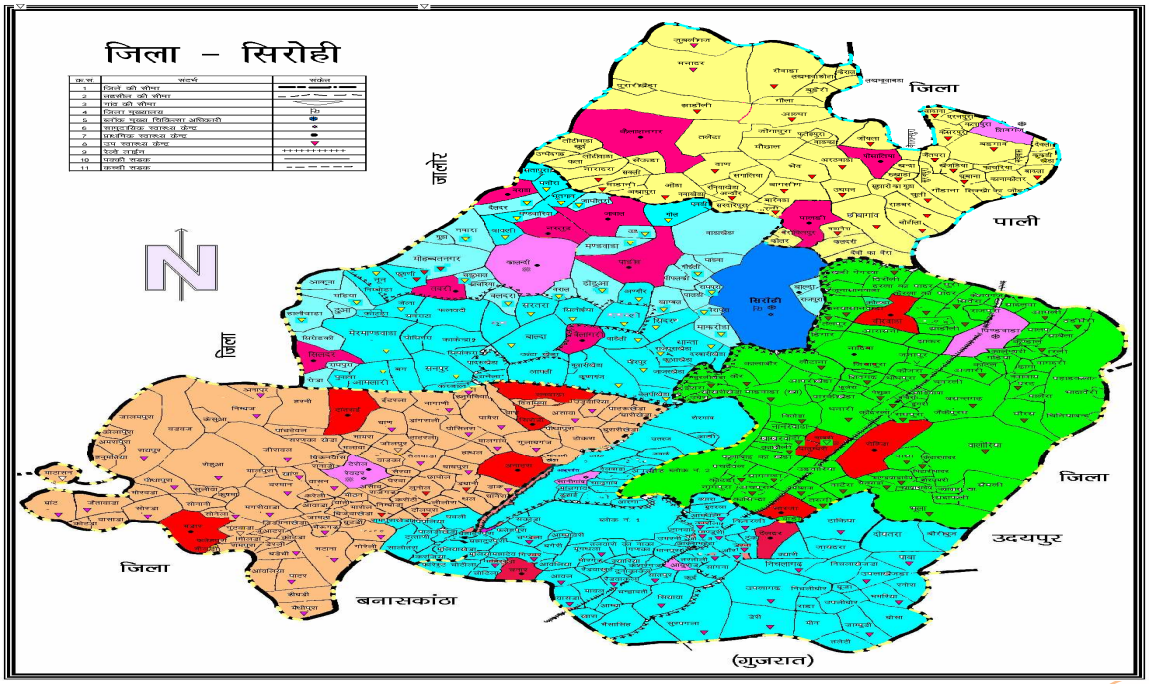

6.2.5. सिरोही जिलें के ब्लॉकवार राजकीय चिकित्सा संस्थान :–

क्र. सं.	ब्लॉक	जिला अस्पताल	टी.बी. अस्पताल	सा.स्वा. केन्द्र	प्रा.स्वा. केन्द्र	शहरी प. क.केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र	24X7 प्रा. स्वा.केन्द्र
1	सिरोही	1	1	1	7	–	40	1
2	शिवगंज	–	–	1	3	–	34	2
3	रेवदर	–	–	1	5	–	42	3
4	पिण्डवाडा	–	–	1	5	1	41	3
5	आबूरोड	–	–	2	2	–	30	1
	योग	**1**	**1**	**6**	**22**	**1**	**187**	**10**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

6.2.6. ब्लॉकवार राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध रोगी शैय्या :–

क्र. सं.	ब्लॉक	संस्थावार उपलब्ध रोगी शैय्या		
		जिला अस्पताल	सा.स्वा.केन्द्र	प्रा.स्वा.केन्द्र
1	सिरोही	150 (1)	30 (1)	6 (7)
2	शिवगंज	–	30 (1)	6 (3)
3	रेवदर	–	30 (1)	6 (5)
4	पिण्डवाडा	–	30 (1)	6 (5)
5	आबूरोड	–	30. 50 (2)	6 (2)
	योग	**150 (1)**	**200 (6)**	**132 (22)**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिलें में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर स्वीकृत शैय्याओं की संख्या वर्तमान में इनडोर मरीजों की संख्या की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में काफी कम है। विशेषकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड में जहाँ प्रति माह औसत 170 प्रसव होते है तथा इसके अतिरिक्त अन्य रोग के मरीज भी भर्ती होते है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रत्येक राजकीय चिकित्सा संस्थान में रोगी शैय्याओं की संख्या बढाई जानी चाहिए।

6.3. ब्लॉकवार मानव संसाधन :–

क्र. सं.	पदनाम	सिरोही			शिवगंज			रेवदर			पिण्डवाड़ा			आबूरोड़		
		S	W	V	S	W	V	S	W	V	S	W	V	S	W	V
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेंडी)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1
2	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	0	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1
4	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1
5	ब्लॉक मु.चि.अ.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
6	वरिष्ठ चिकि. अधिकारी	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0
7	चिकित्सा अधिकारी	9	7	2	4	3	1	7	6	1	7	7	0	7	5	2
8	चि.अ.(हड्डीरोग)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	चि.अ.(निश्चेतना)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10	स्वा.कार्य.(पु.)	4	4	0	4	4	0	4	4	0	6	6	0	5	1	4
11	वरि.स्वा.कार्यकर्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2
12	लेब.टेक्नीशियन	9	7	2	3	3	0	6	4	2	7	6	1	3	3	0
13	व.लेब.टेक्नीशियन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	स्हा.रेडियोग्राफर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	रेडियोग्राफर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1
16	नेत्र सहायक			0			0			0			0			0
17	क्लीनर			0			0			0			0			0
18	कुक			0			0			0			0			0
19	प्रोजेक्टनिस्ट			0			0			0			0			0
20	वाहन चालक	3	3	0	4	4	0	3	3	0	3	2	1	4	3	1
21	वार्ड बॉय			0			0			0			0			0
22	स्वीपर			0			0			0			0			0
23	च.श्रे.कर्मचारी			0			0			0			0			0
24	न.अधीक्षक द्वितीय			0			0			0			0			0
25	नर्सिंग ट्यूटर			0			0			0			0			0
26	नर्स श्रेणी–प्रथम	2	2	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	5	2	3
27	नर्स श्रेणी–द्वितीय	16		16	12		12	11		11	14		14	17		17
28	पी.एच.एन.			0			0			0			0			0
29	बी.एच.एस.	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
30	म.स्वा.कार्यकर्ता	47	43	4	38	35	3	48	35	13	46	40	6	35	32	3
31	टति.म.स्वा.का. (ट्.ए.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	22	8
32	म.स्वा.दर्शिका	9	8	1	6	5	1	7	7	0	6	5	1	4	4	0
33	मले.निरीक्षक	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
34	स्वा.निरीक्षक	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
35	बी.सी.जी.टेक्नीशियन			0			0			0			0			0
36	टी.बी.हैल्थ विजिटर			0			0			0			0			0
37	जिला जन स्वा.पर्य.			0			0			0			0			0
38	एन.एम.एस.			0			0			0			0			0
39	एन.एम.ए.			0			0			0			0			0
40	प.क.कार्यकर्ता			0			0			0			0			0
41	जिला खाद्य निरीक्षक			0			0			0			0			0
42	संगणक	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
43	संख्यिकी सहायक			0			0			0			0			0
44	स्वास्थ्य शिक्षक			0			0			0			0			0
45	उप जि.शि.एवं प्र.अधि.			0			0			0			0			0
46	नर्स दाई			0			0			0			0			0
47	जी.एन.एम.	18	18	0	17	17	0	27	27	0	29	29	0	8	8	0
	योग	**112**	**87**	**25**	**91**	**71**	**20**	**122**	**90**	**32**	**129**	**100**	**29**	**122**	**81**	**41**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिलें में मानव संसाधन जनसंख्या के अनुपात में सही है लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कमी है। अतः विभिन्न संवर्ग के नये पद तथा स्वास्थ्य केन्द्र सृजित करने की आवश्यकता है। विशेषकर जनजाति क्षेत्र पंचायत समिति, आबूरोड व पिण्डवाडा में जहाँ का क्षेत्र पहाड़ी एवं आबादी छितरी हुई है साथ ही आवास की समस्या होने से एक पुरूष जी.एन.एम. अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति आवश्यक है। जिले में कुल स्वीकृत 576 पदों के विरूद्ध वर्तमान में 147 पद रिक्त हैं जो कि स्वीकृत पदों का लगभग 25 प्रतिशत हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धित योजनाओं को पूर्ण रूपेण लागू करने में अत्यधिक रिक्त पदो के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

6.4. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य :–

सिरोही जिलें में शिशु मृत्यु का मुख्य कारण जन्म के समय बच्चें का वजन कम होना, एनीमिया, निमोनिया, निर्जलीकरण और दस्त है जो कि कम आयु में शादी, प्रसव पूर्व/प्रसव के समय/प्रसव पश्चात् देखभाल की महत्ता के प्रति नासमझ, गरीबी एवं अशिक्षा के कारण उत्पन्न होते है।

कार्यक्षेत्र निरीक्षण से यह तथ्य सामने आता है कि शिशु मृत्यु दर उन बच्चों में अधिक है जिनकी माताएं गर्भ से सम्बन्धित आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल या वैज्ञानिक सलाह प्राप्त नहीं करती है। बजाय उन माताओं के जो गर्भ से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सेवाएं समय–समय पर प्राप्त करती है। अतः गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके प्रसव पूर्व/प्रसव के समय/प्रसव पश्चात् देखाभाल के लिये प्रेरित करें तो शत–प्रतिशत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

6.4.1. जननी सुरक्षा योजना :–

जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से शिशु मृत्यु दर व मातृ मुत्यु दर को कम करने हेतु सम्बन्धित धात्री महिला को चिकित्सकीय परामर्श हेतु चिकित्सालयों में आने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। ऑगनवाडी केन्द्रों में सम्बन्धित महिलाओं का पंजीकरण कर आवश्यक पोषाहार की व्यवस्था भी की गई है। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वित होने से पूर्व जिलें में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत काफी कम था। जननी सुरक्षा योजना इसके शुरूआती दौर में विभिन्न कारणों से असरकारक साबित नहीं हुई थी लेकिन विभाग के प्रयासों से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत वर्तमान में लगभग 85 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

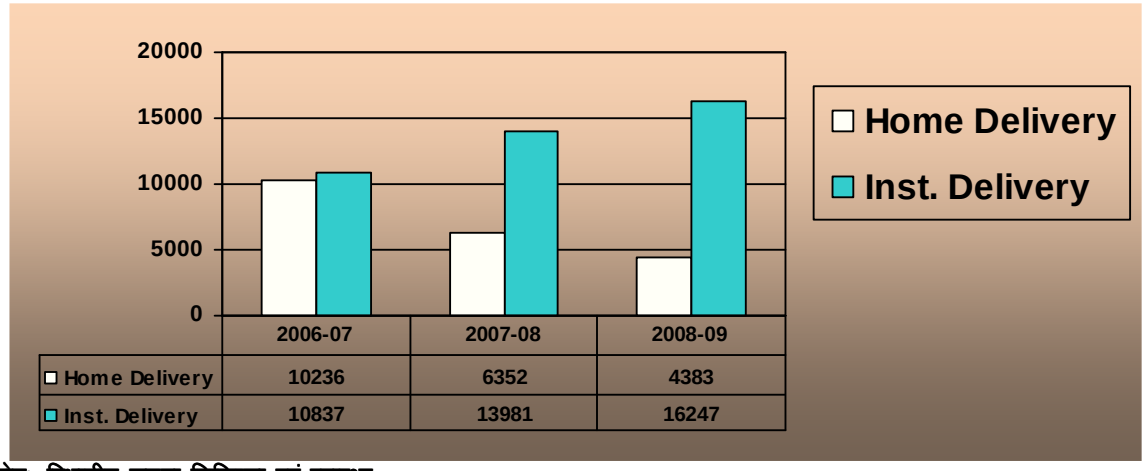

	2006-07	2007-08	2008-09
Home Delivery	10236	6352	4383
Inst. Delivery	10837	13981	16247

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

पिछले तीन वर्षो के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जननी सुरक्षा योजना लागू होने से एक तरफ संस्थागत प्रसव की संख्या में बढोतरी हुई, वहीं घर पर हुए प्रसवों में भारी कमी आई है।

6.4.2. ब्लॉकवार प्रसव का तुलनात्मक विवरण :–

वर्ष 2008–09

क्र.सं.	विवरण	सिरोही	शिवगंज	रेवदर	पिंडवाडा	आबूरोड	योग
1	कुल प्रसव	4117	2525	4447	5340	7494	**23923**
2	संस्थागत	3475	2249	3832	3963	5965	**19484**
3	प्रतिशत	84.41	89.06	86.17	71.21	79.60	**81.45**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आबूरोड व पिण्डवाडा जनजातीय क्षेत्र में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत काफी कम है।

संस्थागत प्रसव को शत–प्रतिशत लाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रकोष्ठ गठित किया जाना चाहियें, जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, जनमंगल जोड़ों से जिलें की प्रत्येक गर्भवती महिला के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करें। जिसमें गर्भवती महिला के संरक्षक/पति, निवास स्थान, आयु, गर्भवती होने की अनुमानित तिथि प्रसव की सम्भावित तिथि, नजदीकी प्रसव वाली महिला की जानकारी, बच्चों की संख्या, नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व पता तथा निवास से दूरी, सम्बन्धित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी का नाम, यातायात का साधन व अन्य आवश्यक सुविधाएं आदि उपलब्ध हो। साथ ही उक्त सूचना को समय–समय पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक स्वास्थ्य कार्मिक 24 घण्टे उपलब्ध रहें।

शिशु मृत्यु व मातृ मुत्यु के महत्वपूर्ण कारकों में कम आयु में शादी व गर्भधारण करना, दो बच्चों के जन्म के बीच में आवश्यकतानुसार अन्तराल नहीं रखना, गर्भवती माता या बच्चें द्वारा पोषक भोजन ग्रहण नहीं करना तथा प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात् की सेवा में कमी है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक कर इन कारकों को समाप्त किया जा सकता है। जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकतें है।

प्रत्येक योग्य दम्पत्ति को परिवार कल्याण के किसी न किसी साधन से संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष माह अप्रेल में योग्य दम्पत्ति सम्पर्क एवं सर्वे अभियान के माध्यम से दम्पत्ति को परिवार सीमित रखने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर उनकी मांग अनुसार परिवार कल्याण का साधन उपलब्ध करवाया जाता है ताकि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जावे और परिवार को सीमित तथा स्वस्थ रखा जावें।

6.5. विशेष योगदान :–

आशा सहयोगिनी

आशा सहयोगिनी →
- मां की देखभाल
- प्रसव के समय देखभाल
- नवजात शिशु की देखभाल
- पोषण
- रोगियों को अस्पताल ले जाना
- चिकित्सा सेवा
- संग्रह केन्द्र (डिपो होल्डर) के रूप में कार्य
- ग्रामीण स्वास्थ्य नियोजन

= मातृ मृत्यु अनुपात व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना

रेफरल सेवा

जिले में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस उपलब्ध है। जिलें में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों कार्यरत रोगी वाहन को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत सी.यू.जी. (मोबाईल सेवा) से जोड़ा जावें तो और बेहतर तरीके से सेवाऐं सुलभ करवाई जा सकती है।

6.6. ब्लॉकवार परिवार कल्याण के स्थायी व अस्थायी साधनों का विवरण :–

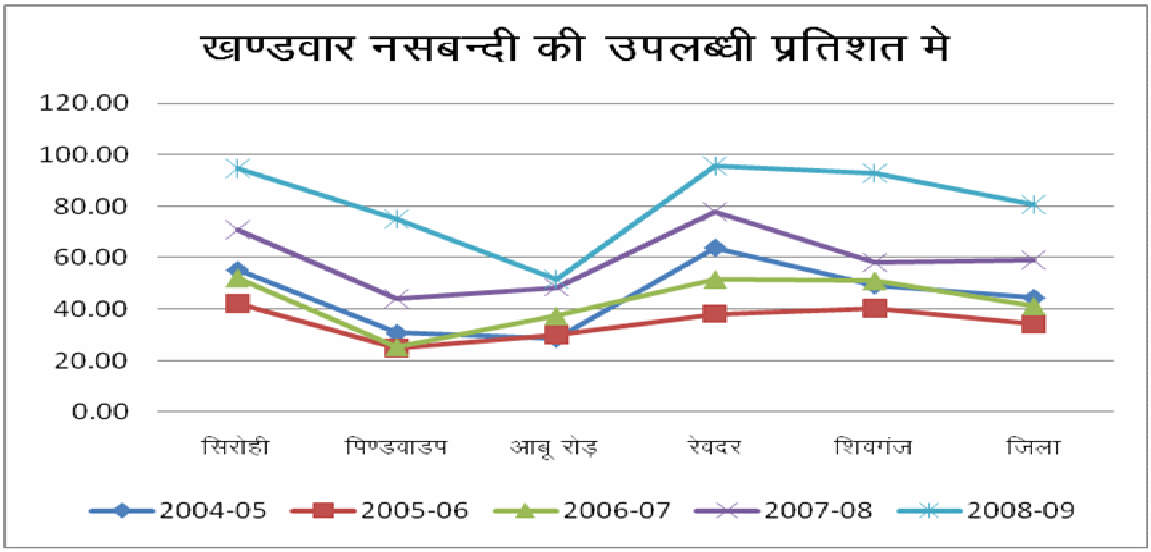

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिले में नसबन्दी के क्षेत्र में सबसे कम उपलब्धी वर्ष 2005–06 के दौरान 38 प्रतिशत रही है जो विभाग के निरन्तर प्रयासों के बाद बढ़ कर 80 प्रतिशत हो चुकी है।

नसबन्दी –पिछले तीन वर्षो के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि नसबंदी के प्रति लोगों का रूझान बढा है। जिलें में प्रतिवर्ष 3000 से 5000 के बीच नसबंदी सम्पादित की जाने के बावजूद जन्म दर में कोई गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि भौतिक सत्यापन से यह तथ्य सामने आया है कि ज्यादातर नसबंदी तीन या अधिक बच्चों पर हो रही है जिससे जनसंख्या नियन्त्रण का जो उद्देश्य है वह सफल नहीं हो पा रहा है।

सुझाव :–नसबंदी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना तथा ग्राम स्वास्थ्य योजना के तहत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि को जनसंख्या नियन्त्रण के क्षेत्र में उपयोग अनिवार्य करना चाहिए।

स्टेटिक सेन्टर – जिलें में जिला अस्पताल, सिरोही/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवगंज, रेवदर, आबूरोड व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालडी में स्टेटिक सेन्टर स्थापित है। जहॉ पर प्रतिदिन नसबन्दी एवं अन्तराल साधनों की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लेकिन एक मात्र जिला अस्पताल में स्टेटिक सेन्टर कार्यरत है। शेष संस्थान में सर्जन/स्त्रीरोग विशेषज्ञ, ऐनेस्थेटिक पदस्थापित नहीं होने से स्टेटिक सेन्टर कार्यरत नहीं है। जिससे परिवार कल्याण सेवाऐं आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हो पाती है। उक्त स्टेटिक सेन्टर तथा प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक स्टेटिक सेन्टर स्थापित कर सुदृढ किया जाये।

6.7. पी.सी.पी.एन.डी.टी. (प्रसव पूर्व लिंग जॉच) :–

जिलें में पुरूष : स्त्री अनुपात 1000 : 943 है जो कि काफी कम है। इसे बढाने हेतु सरकार द्वारा लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम क्रियान्वित किया गया है। इसके तहत जिलें में कार्यरत प्रत्येक राजकीय अथवा निजी चिकित्सा संस्थान जो कि सोनांग्राफी मशीन संचालित करती है का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत संस्थान के अतिरिक्त कोई भी चिकित्सा संस्थान सोनोग्राफी का प्रयोग नहीं कर सकती है। पंजीकृत संस्थान को प्रत्येक मरीज की सोनोग्राफी जॉच की पूर्ण सूचना पंजिका संधारित करने तथा निर्धारित प्रपत्र में सूचना विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलें में आज दिनांक तक लिंग परीक्षण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है फिर भी समस्त चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करना अतिआवश्यक है। जिले में कुल 20 चिकित्सा संस्थानों को पंजीकृत किया गया है।

6.8. टीकाकरण सत्र :– विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु निश्चित दिवस पर टीकाकरण सत्र आयोजित किये जाते है। जिसमें गर्भवती माताओं को टेटनेस टॉक्साईड तथा शिशुओं को बीसीजी, डीपीटी/ओपीवी, मीजल्स के टीके लगाये जाकर पॉच जानलेवा बीमारियों के प्रति सुरक्षित किया जाता है। साथ ही अंधता की रोकथाम हेतु बच्चों को विटामिन 'ए' डोज भी दिया जाता है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उपलब्ध गर्भवती माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है जो कि निम्न चित्र से स्पष्ट है:–

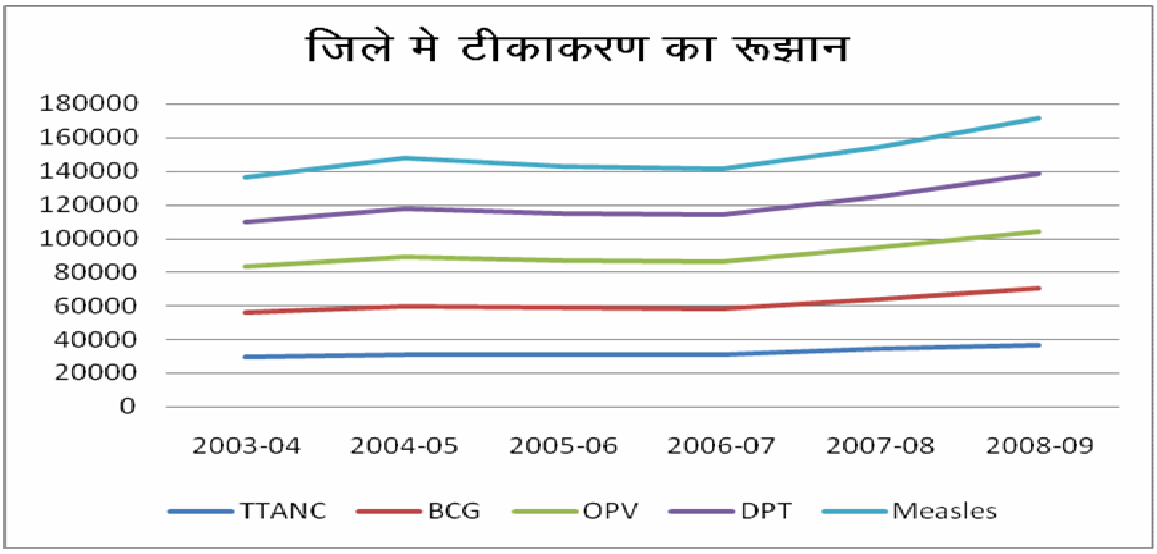

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिलें में टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 माह की आयु पर मीजल्स का टीका लगाये जाने के बाद भी किसी किसी बच्चें में खसरा रोग हुआ है अतः मीजल्स का बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए।

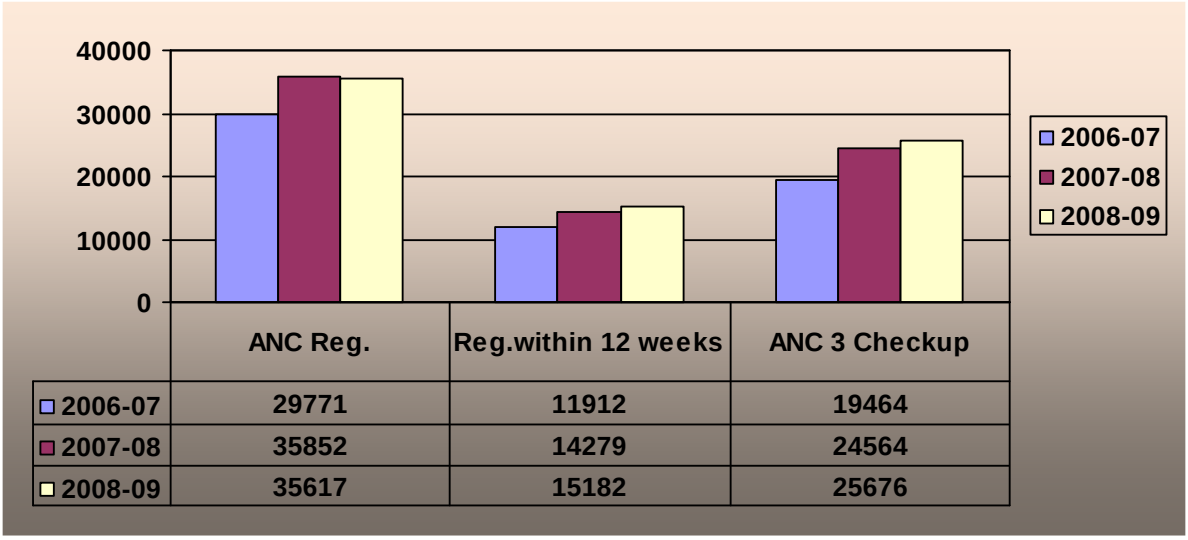

	ANC Reg.	Reg.within 12 weeks	ANC 3 Checkup
2006-07	29771	11912	19464
2007-08	35852	14279	24564
2008-09	35617	15182	25676

स्त्रोतः–विभागीय सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

वर्ष 2006 से 2009 तक गर्भवती माताओं का पंजीयन बढ़नें की प्रवृति स्पष्ट है लेकिन गर्भधारण से 12 सप्ताह के भीतर पंजीयन एवं प्रसवपूर्व तीन जाँच करवाने वाली महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि जनता में जागरूकता की कमी है। इसके प्रति जागरूकता बढाने के लिए जनमंगल जोड़ों, आशा सहयोगिनी, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाकर सुदृढ किया जाएगा। समय पर पंजीयन एवं पूर्ण जाँच से माताओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् की सेवाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

6.9. पीने का पानी और स्वास्थ्य :–

जिलें में वार्षिक वर्षा सामान्य होती है लेकिन वर्षा के पानी की रोकथाम के पुख्ता प्रबन्धन की कमी होने से वर्ष भर पानी की कमी को झेलना पड़ता है। उपलब्ध जलाशय/बावडी/कुंड से जिलें की जनता को वर्ष भर पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हो पाता है। साथ ही पानी संग्रहण के स्रोतो का उचित प्रबन्धन एवं रखरखाव भी नही होता है। मानवीय उपयोग हेतु पानी का बहुत बडा भाग कुओं से प्राप्त किया जाता है लेकिन इनमें से भी करीब 50 प्रतिशत कुएं साल के कुछ महीनें पूर्णतः सूख जाते है। जिलें के अधिकांश गांवों में पानी पाईप लाईन से सप्लाई नहीं होकर बडे–बडे टेंको में इकट्ठा कर सप्लाई किया जाता है। जहां से गांव की जनता द्वारा अपने रोजमर्रा के बहु उपयोग हेतु पानी प्राप्त किया जाता है। पानी के टैंको की नियमित साफ सफाई तथा जल शुद्धिकरण नहीं होने के कारण जल दूषित होने की सम्भावना के तहत कई प्रकार की जलजनित बीमारियाँ उत्पन्न होती है।

विशेषतया वर्षा ऋतु के समय विभिन्न आयू सममह के लोगों में रूग्णता एवं मृत्यु के लिए जलजनित बीमारियां जिसमें तीव्र दस्त रोग तथा आहार एवं भोजन संग्रहण का तरीका भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अधिकांश परिवार खाद्य सामग्री को ढककर नहीं रखते है तथा एक समय का बचा हुआ भोजन लम्बे समय तक रखकर दूसरे समय के भोजन के साथ प्रयोग करते है। इस तरह लम्बे समय तक पड़ा हुआ भोजन असुरक्षित होता है जो कि जीवाणुओं एवं संक्रमण को जन्म देता है।

न्यून स्वच्छता (उदाहरण : मानव एवं जानवरों के मल–मूत्र का उचित नष्टीकरण नहीं होना, मानव एवं जानवरों का एक साथ निवास करना) अस्वस्थ वातावरण की स्थिति पैदा करने में सहायक होता हैं, जिससे जलजनित बीमारियाँ, चर्म रोग और मलेरिया इत्यादि रोग पनपते है। ये सभी समस्याऐं लोगों में अवैज्ञानिक संस्कृति में विश्वास के साथ शिक्षा की कमी के कारण उत्पन्न होती है। चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोग की कमी कोढ़ में खाज का काम करती है।

अतः लोगों को स्वच्छता का पालन करने एवं जल के उचित उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी द्वारा शिक्षित किया जावें तो निश्चित तौर पर लोगों को स्वस्थ एवं दीर्धायु रखने में सफल हुआ जा सकता है।

6.10. बीमारियाँ :–

6.10.1. जलजनित बिमारियाँ :–

जिले की जल गुणवत्ता (5.14 एवं परिशिष्ठ 6–*vii*) जलजनित बामारियों के प्रसार में सहायक हैं। अतः जल गुणवत्ता की ओर विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक हैं।

कारण	:	**दूषित जल तथा विषाणु, बैक्टीरिया, परिभक्षी एवं अन्य रसायन से प्रदूषित पेय जल ।**
बिमारियों के नाम	1. 2. 3. 4. 5.	पीलिया हीपेटाईटिस व विषाणु जनित बिमारियाँ मोतीझरा व पैरा टाईफाईड गैसट्रो–इन्टेस्टाइनल डाइरिया, उल्टी, फ्लोरोसिस।
बचाव के उपाय	:	जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल की सुनिश्चिता, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक जल शुद्धिकरण यत्रों जैसे आर. ओ. का प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्र में पानी उबाल कर पीना, पानी का क्लोरिनेशन, जल शुद्धिकरण प्लाँट व डीफ्लोरिडेशन प्लाँट।
सुरक्षित पेयजल सभी को मुहैया करवाना खास करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में।		

दूषित जल, स्वच्छता की कमी एवं स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से ट्यूबरक्लोसीस, जेनेटिक डिसऑर्डर, एनिमिया, निमोनिया, कुपोषण इत्यादि बीमारियों से व्यस्क एवं बच्चे ग्रसित हो जाते है। महिलाओं में गायनेकलोजीकल एवं एनिमिया से सम्बन्धित बीमारियां पैदा हो जाती है। इसके निवारण हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में सुधार/बढोतरी आवश्यक है।

6.10.2. ब्लॉकवार विभिन्न बीमारियों के पिछले पांच साल के आंकडे :–

टी.बी. के मरीज (कुल एवं नये स्पूटम पॉजिटिव)

ब्लॉक	**वर्ष 2005**		**वर्ष 2006**		**वर्ष 2007**		**वर्ष 2008**		**वर्ष 2009 (जून तक)**	
	Total	**NSP**	**Total**	**NSP**	**Total**	**NSP**	**Total**	**NSP**	**Total**	**NSP**
सिरोही	283	109	305	156	345	126	312	116	187	79
आबूरोड	276	92	268	105	253	76	292	94	152	39
रेवदर	212	90	293	119	287	108	266	96	135	50
पिंडवाडा	379	143	370	143	385	145	408	165	224	89
शिवगंज	235	111	232	91	297	107	258	99	11	54
योग	**1385**	**545**	**1468**	**614**	**1567**	**562**	**1536**	**570**	**809**	**311**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सिरोही

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिलें में पिण्डवाडा एवं आबूरोड जनजातीय बाहुल्य वाले क्षेत्र में टी.बी. के मरीजों की संख्या अन्य क्षेत्र से अधिक है। जिलें में डॉट्स (डायरेक्ट ऑब्जरवेशन ट्रीटमेंट स्कीम) लागू होने के पश्चात् टी.बी.के मरीजों के ईलाज में गुणात्मक सुधार आया है। लेकिन मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्र में सम्भावित टी.बी.के मरीजों का आर्थिक, सामाजिक व अन्य कारणों से स्पूटम जॉच हेतु असमर्थ होना है। विभाग द्वारा गाँव–गाँव में स्पूटी जाँच के शिविर आयोजित किये जायेंगे जिसमें शिविर स्थल पर ही स्पूटम जाँच कर उपचार प्रारम्भ किया जायेगा।

मलेरिया बुखार से पीड़ित रोगियों के आंकड़े (रक्त पट्टिका संचयन व पॉजिटिव)

ब्लॉक	वर्ष 2005		वर्ष 2006		वर्ष 2007		वर्ष 2008		वर्ष 2009 (जुलाई तक)	
	Total	Posi	Total	Posi	Total	Posi	Total	Posi	Total	Posi
सिरोही	22298	271	28960	475	20929	425	21944	256	12963	60
आबूरोड	18197	110	23485	185	16560	160	22644	126	10487	5
रेवदर	13418	134	17346	108	11082	177	18488	89	9225	24
पिंडवाडा	35727	772	45866	856	26913	710	29846	401	13336	20
शिवगंज	18772	142	28234	227	18387	315	23145	187	13219	39
योग	**108412**	**1429**	**143891**	**1851**	**93871**	**1787**	**116067**	**1059**	**57521**	**148**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

मलेरिया रोगियों की संख्या पिण्डवाडा एवं उससे सटे जनजातीय क्षेत्र में अधिक है तथा अन्य क्षेत्र में भी मलेरिया रोगी पाये गये है। विभाग द्वारा की जा रही काफी कोशिश के बावजूद मलेरिया रोगियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। अतः विभाग को Anti Insecticide Impregnate Net किटनाशक दवाई में डूबोकर मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में वितरित करने से मलेरिया रोग पर काबू पाया जा सकता है।

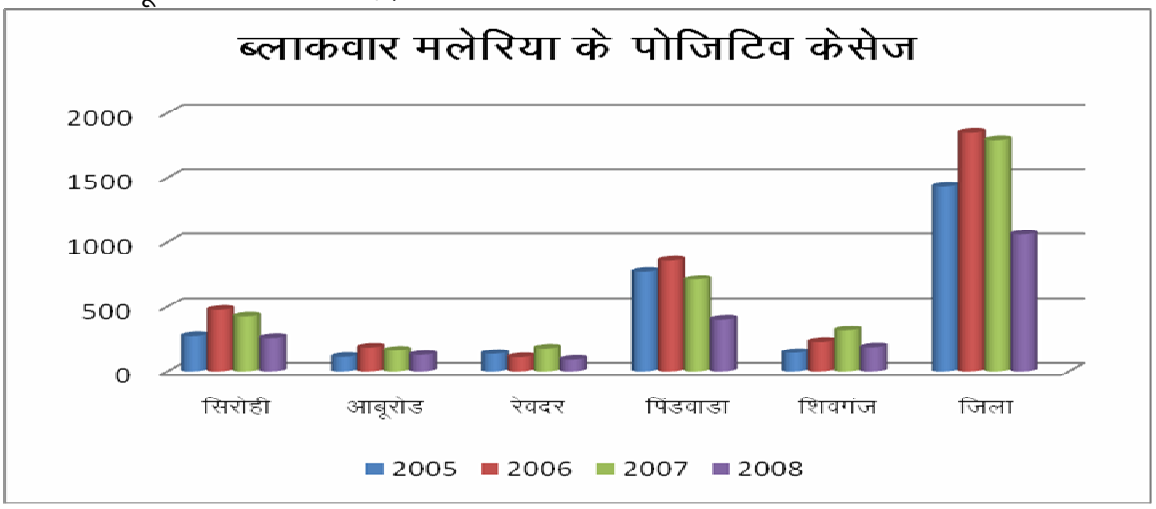

स्त्रोतः–विभागीय सूचना मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के आंकड़े (एम.बी. व पी.बी. कैसेज)

ब्लॉक	वर्ष 2005		वर्ष 2006		वर्ष 2007		वर्ष 2008		वर्ष 2009 (जुलाई तक)	
	पी.बी.	एम.बी.	पी.बी.	एम.बी.	पी.बी.	एम.बी.	पी.बी.	एम.बी.	पी.बी.	एम.बी.
सिरोही	0	4	0	1	1	1	0	1	2	0
आबूरोड	0	7	1	5	0	3	0	3	0	0
रेवदर	0	1	0	0	0	4	0	2	2	0
पिंडवाडा	0	2	0	5	0	1	1	4	2	0
शिवगंज	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
योग	**0**	**14**	**2**	**11**	**2**	**9**	**1**	**10**	**7**	**0**

स्त्रोतः–विभागीय सूचना कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

पूर्व में कुष्ठ रोग का उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण ही देवी प्रकोप या पापों का फल मानकर ग्रहशान्ति या झाड़फूंक द्वारा ठीक करने की की कोशिश की जाती थी। चालमोगरा के तेल द्वारा आयुर्वेद पद्धति तथा सन् 1940 के बाद डेप्सोन नाम की दवा का प्रयोग किया गया। यह दवा कारगर तो है लेकिन उपचार का समय लम्बा होने से नियमित नहीं रह पाता था। इस कमी को दूर करने के लिए अन्य तेज असर वाली दवाओं की खोज हुई। आज कुष्ठ रोगियों को बहुऔषधि उपचार द्वारा ठीक किया जाता है। जो अधिक असरकारक है, उपचार में कम समय लगता है, रोग पुनरागमन की दर भी कम हो गई तथा रोगियों को शीघ्र असंक्रामक बनाकर रोग का प्रसार रोका जा सकता है। इसी कारण कुष्ठ रोगियों की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है। जिलें में प्रतिमाह एक, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र में चर्म रोग सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकों को एक शिविर आयोजित किया जाए तो और उपयोगी सिद्ध होगा।

6.11 . निष्कर्ष :–

स्वास्थ्य सूचकांक की माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से, शिक्षा सूचकांक की माप साक्षरता दर व नामांकन दर से एवं आय को प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक के एक आयाम स्वास्थ्य की दृष्टि से गहराई से देखा जाए तो, यह निकल कर आता है कि :–

- जिलें की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लगभग राजस्थान राज्य के बराबर है लेकिन राज्य के अन्य विकसित जिलों की तुलना में कम है। राज्य में जिलें का स्थान 23वां है। मानव विकास सूचकांक 0.520 है।
- जिलें की नवजात शिशु मृत्यु दर राज्य की औसत से काफी अधिक है।
- औसत स्त्री पुरूष अनुपात राजस्थान राज्य की तुलना में अधिक है। राजस्थान का अनुपात 922 है वही सिरोही जिलें में यह 943 है परन्तु शहरी क्षेत्र में यह केवल 868 ही है।

6.12. सुझाव :–

जननी सुरक्षा योजना के लाभ का कुछ भाग प्रसूता को प्रसव पूर्व पंजीयन एवं तीन जाँच पूर्ण होने पर दिया जाए तो आम जनता में संस्थागत प्रसव के साथ–साथ नियमित जाँच के प्रति रूझान बढेगा जिससे आई.एम.आर. व एम.एम.आर. को कम करने में काफी हद

तक सफलता प्राप्त हो सकेगी। संस्थागत प्रसव को शत–प्रतिशत लाने हेतु जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया जाना चाहियें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, जनमंगल जोडों से जिलें की प्रत्येक गर्भवती महिला के सम्बन्ध में निम्न सूचना एकत्रित करें। जिसमें गर्भवती महिला के संरक्षक/पति, निवास स्थान, आयु, गर्भवती होने की अनुमानित तिथि प्रसव की सम्भावित तिथि, नजदीकी प्रसव वाली महिला की जानकारी, बच्चों की संख्या, नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व पता तथा निवास से दूरी, सम्बन्धित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी का नाम, यातायात का साधन व अन्य आवश्यक सुविधाएं आदि उपलब्ध हो। साथ ही उक्त सूचना को समय–समय पर आदिनांक करते हुए यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक स्वास्थ्य कार्मिक 24 घण्टे उपलब्ध रहें।

क्र.सं.	ब्लॉक	24X7 प्रा.स्वा.केन्द्र
1	सिरोही	सिलदर, वराडा, जावाल
2	शिवगंज	कैलाशनगर, पालडी, पोसालिया
3	रेवदर	अनादरा, मण्डार, सिरोडी, दांतराई
4	पिंडवाडा	रोहिडा, भारजा, सरूपगंज, नांदिया, वीरवाडा
5	आबूरोड	चनार, देलदर
	योग	**17**

राज्य सरकार द्वारा जिलें में 17 प्रा.स्वा.केन्द्रों को 24 X 7/BEmOC के अन्तर्गत सुदृढिकृत करने का निर्णय लिया गया है। जिन्हें पूर्णतः संचालित करने हेतु चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा जिलें में 5 सा.स्वा.केन्द्रों को एफ.आर.यू./CEmOC के अन्तर्गत सुदृढ़िकृत करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन किसी भी संस्थान पर सर्जन व स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्यरत नहीं होने से रेफरल सेवाएं सुलभ नहीं हो पा रही है। यदि संस्थान पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है जटिल प्रसवों की देखभाल एवं शल्य चिकित्सा उपलब्ध होने पर मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु को कम किया जा सकता है।

जिलें में 28 प्रा.स्वा.केन्द्र/सामु.स्वा.केन्द्र में से केवल 10 पर रोगी वाहन उपलब्ध है। शेष अन्य प्रा.स्वा.केन्द्र/सामु.स्वा.केन्द्र पर वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से रेफरल सुविधा बाधित होती है। रेफरल सुविधा की कमी मृत्यु दर को बढ़ानें में एक मुख्य कारक है। जिसमें सुधार आवश्यक है।

परिणामस्वरूप :–

1. सम्बन्धित संस्थान के क्षेत्राधीन जनता को 24 घण्टे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित मूल सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
2. शिशु मृत्यू दर/मातृ मृत्यू अनुपात को कम करने में मदद मिलेगी।

शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिलें को काफी कुछ करना शेष है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा मानव विकास में प्रगति, इन सारे क्षेत्रों में त्वरित और परिणामोन्मुखी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके पश्चात् ही सिरोही जिलें में मानव विकास सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

अध्याय-7

पर्यटन

सिरोही जिले का पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक परिचय :–

सिरोही जिले में स्थित माउण्ट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं तथा इसका सातवीं शताब्दी से ही ऐतिहासिक, धार्मिक एंव सांस्कृतिक महत्व रहा हैं।

7.1 पर्वतीय पर्यटन स्थल पर विगत दस वर्षो के पर्यटक :–

स्थल :– आबू पर्वत			
वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक	(कुल पर्यटक) योग
2000	1254770	14427	1269197
2001	1282940	13752	1296692
2002	1072879	8483	1070204
2003	1302980	9460	1312440
2004	1467618	11213	1478831
2005	1414672	14377	1429049
2006	1420387	14540	1434927
2007	1646524	14483	1661010
2008	1770804	18512	1789316

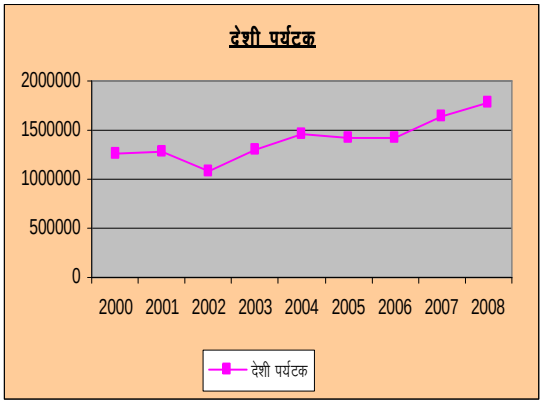

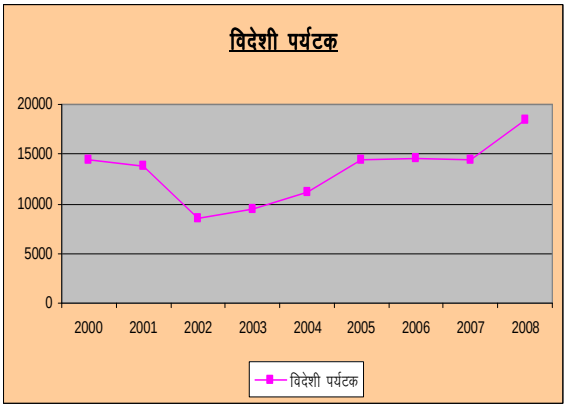

एक मात्र पर्यटन स्थल शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अग्रलिखित सभी स्थल धार्मिक महत्व के है एंव समाज विशेष के लोग है, यहाँ दर्शन हेतु आते है अर्थात पर्यटन उनका उद्देश्य न होकर धमार्थ या दर्शनार्थ होता है एंव वे समाज विशेष के अनुयायी होते है।

सिरोही जिले में भ्रमण हेतु आने वालें पर्यटकों/दर्शनार्थियों हेतु उनके ठहरने के लिए उपलब्ध आवास सुविधांए :–

क्र. सं.	तहसील का नाम	होटल/गेस्ट हाऊस/ पी.जी.हाऊस/धर्मशाला	कमरों की संख्या	बेड्स की संख्या
1	आबू पर्वत	174	2929	6780
2	आबूरोड़	10	150	350
3	रेवदर	4	150	120
4	पिण्डवाड़ा	3	40	80
5	शिवगंज	4	60	120
6	सिरोही	6	150	300
		201	**3379**	**7670**

सिरोही जिले का पर्यटन की दृष्टि से मुख्य आकर्षण आबूपर्वत है जहां लगभग 18 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते है। इस स्थल के लोगों की आजीविका पूर्णतः पर्यटन पर निर्भर है। आबूपर्वत में पर्यटकों हेतु सभी श्रेणी की आवास सुविधाऐ उपलब्ध है, जिसमें 4 सितारा होटल से लेकर हेरीटेज होटल्स एंव अर्वीकृत होटल्स से पी.जी. हाऊस तक है।

7.2. ऐतिहासिक एंव धार्मिक धरोहर :–

क्र.सं.	सारणेश्वर जी	सिरोही नगर में स्थित 11 वीं सदी का शिव मन्दिर।
1	आम्बेश्वर जी (कोलर, शिवगंज)	11 वीं सदी में निर्मित पहाड़ पर स्थित प्राचीन मन्दिर।
2	गौतम ऋषी महादेव जी (छीबा गांव, शिवगंज)	13 वीं सदी में निर्मित मन्दिर, मीणा समाज का प्रतिवर्ष मेला लगता है।
3	लीलाधारी (मण्डार, रेवदर)	प्राकृतिक पर्वतेश्वर।
4	अचलेश्वर (अचलगढ़, आबूपर्वत)	पौराणिक शिवलिंग, शिव के अंगूठे की पूजा होती है।
5	मार्कुण्डेश्वर जी (अजारी, पिण्डवाड़ा)	7 वीं सदी में निर्मित मार्कुण्डेश्वर शिव मन्दिर।
6	वास्थानजी (ईसरा, पिण्डवाड़ा)	प्राकृतिक गुफा मन्दिर।
7	रामेश्वर जी (मालेरा, पिण्डवाड़ा)	11 वीं सदी में निर्मित शिव मन्दिर।
8	जाम्बानी (वासा, पिण्डवाड़ा) जमदग्नि आश्रम	पौराणिक जाम्बाजी का मन्दिर।
9	काशी विश्वेश्वरजी (कासीन्द्रा, पिण्डवाड़ा)	8 वीं सदी का मन्दिर।
10	लक्ष्मीनारायण जी (अनादरा, रेवदर)	10वीं सदी का निर्मित विष्णु एवं लक्ष्मी जी का मन्दिर।
11	देवागंन जी (अनादरा, रेवदर)	11 वीं सदी में निर्मित विष्णु मन्दिर।

12	ऋषिकेष (दानवाव, आबूरोड़)	पौराणिक मन्दिर पर्वतीय सौन्दर्य से भरपूर
13	मधुसूदन जी (मूंगथला, आबूरोड़)	9 वीं सदी में निर्मित कृष्ण भगवान का मन्दिर
14	पाटनारायण (गिरवर, आबूरोड़)	1344 वि.स. निर्मित विष्णु भगवान का मन्दिर
15	शेषशायी (बंसन्तगढ़, पिण्डवाड़ा)	7 वीं सदी का निर्मित, बसन्तगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार यहीं शुरु होता है।
16	मीरपुर (पार्श्वनाथ मन्दिर, सिरोही)	इसे राजस्थान का प्राचीनतम ''मार्बल मोन्यूमेन्ट'' माना जाता है।
17	वरमाण (रेवदर)	8 वीं सदी में निर्मित जैन मन्दिर।
18	जीरावल (रेवदर)	चौथी सदी में निर्मित जैन मन्दिर का जैन जगत में विशेष महत्व है।
19	मण्डार (रेवदर)	प्राचीन जैन मन्दिर मडाहडगच्छ का स्थान एवं वादिदेवसूरी की जन्म भूमि ।
20	बामनवाडजी (पिण्डवाड़ा)	''जीवत स्वामी'' अर्थात भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ा स्थल, अति महत्वपूर्ण एंव प्राचीन
21	नांदिया (पिण्डवाड़ा)	भगवान महावीर को चण्ड कोषिक नाग ने यही पर पैर पर डसा था एंव भगवान ने उसे यही पर प्रबोध दिया था।
22	अजारी	11 वीं सदी में निर्मित मन्दिर, इस मन्दिर की मूर्ती शिल्प अद्वितीय है।
23	लोटाणा (महावीर स्वामी, पिण्डवाड़ा)	जीर्णोद्धार 13 वीं सदी ''जीवत स्वामी'' जैन तीर्थ है।
24	दियाणा (पिण्डवाड़ा)	जीर्णोद्धार 13 वीं सदी ''जीवत स्वामी'' जैन तीर्थ है।
25	मूंगथला (आबूरोड़)	''जीवत स्वामी मन्दिर'' इस में 13 वीं सदी का लेख है, जिसमें भगवान महावीर के इस प्रदेश में विचरण का उल्लेख है।
26	आबूपर्वत	माउण्ट आबू में दर्शनीय स्थलों की भरमार है एंव पर्यटकोंद्वारा निम्न स्थल भ्रमण किए जाते है।

- आबू पर्वत राजस्थान का एक मात्र ''हिल स्टेशन'' है।
- आबू पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है एवं अरावली पर्वत श्रृंखला को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है।
- यह प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल जैन व राजपूत समुदाय के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी माना जाता है।
- प्रचलित मान्यता के अनुसार आबू का नामकरण 'अर्बुद' से हुआ है, जो एक शक्तिशाली नाग था, जिसने भगवान शिव के बैल ''नन्दी'' को डूबने से बचाया था।
- एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार आबू पर्वत पर स्थित नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खुदाई की थी, जिससे इसका नाम 'नख' से अपभ्रंश होकर नक्की पड़ा।

- आबू पर्वत स्थित विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा मन्दिर, नक्की झील, अधर देवी का मन्दिर, गौमुख मन्दिर, सनसेट प्वाइन्ट, हनीमून प्वाइन्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा यहां का ठंडा व शान्त वातावरण प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है ।
    - देलवाड़ा मन्दिर
    - अचलगढ़ मन्दिर एंव दुर्ग
    - गुरुशिखर
    - गऊमुख
    - अधरदेवी मन्दिर
    - सनसेट पोइंट
    - हनीमून पोइंट
    - नक्की लेक
    - रघुनाथ मन्दिर
    - ओम शान्ति भवन
    - ज्ञान सरोवर
    - ट्रेवल टेंक (वन्य जीव अभ्यारण) एवं
    - जंगल ट्रेक्स

7.3 मुख्य मेंले–त्यौहार :–

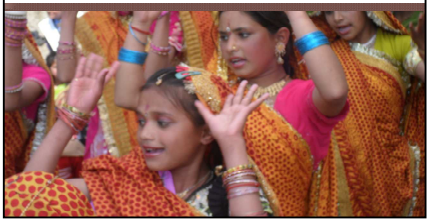

- सारणेश्वर जी का मेला (पालकी उत्सव)
- परशुराम जी का मेला
- मातर माता का मेला
- गणगौर का उत्सव
- वास्थान जी का मेला
- सियावा का आदिवासी मेला
- गौतमेश्वर जी का मेला (मीणा समाज का मेला)
- बुद्ध पूर्णिमा का मेला
- आबू पर्वत के प्रचार–प्रसार हेतु पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दो महोत्सव पर्यटकों हेतु आयोजित किए जाते है।
    1. ग्रीष्म महोत्सव
    2. शरद महोत्सव

दोनों ही उत्सव तीन दिवसीय होते हे जिसमें कि ग्रीष्म महोत्सव के दौरान गरासिया आदिवासी जाति के लोगों कि काफी भागिदारी होती है, चूंकि उक्त महोत्सव बुद्ध पूर्णिमा तिथि अनुसार मनाया जाता है।

ग्रीष्म एवं शरद महोत्सव के दौरान पर्यटकों हेतु काफी सारी इवेण्टस रखी जाती है जिसमें कि रस्सा–कस्सी, स्केटिंग रेस, बॉट रेस, पणिहारी मटका रेस, मेहन्दी एवं रंगोली माण्डना, ब्राइडल एटायर शॉ आदि प्रमुख है, रात्रि कालीन सांस्कृतिक संध्याऐ तीन दिवस तक आयोजित की जाती है।

7.3.1. परिवहन कि सुविधाऐ :–

सड़क परिवहन :– सिरोही जिले में सड़कों का अच्छा नेटवर्क है एवं छोटा से छोटा गांव भी सड़क से जुडा हुआ हैं जिले में कुल सड़क की लम्बाई लगभग 1440 किमी है। (आंकड़े 31 मार्च 2000 के अनुसार)

यात्रियों एंव पर्यटकों हेतु सड़क परिवहन के साधन :– जिला मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मुख्य स्थान जैसे शिवगंज, पिण्डवाड़ा, आबूरोड़, रेवदर व आबू पर्वत पर राज. रोड़वेज के बस डिपो स्थापित है एवं यहां से हर छोटे बड़े शहर के लिए बस सेवा उपलब्ध है, जिनका कि दर्शनार्थी/पर्यटक लाभ उठाते है। निजी ट्रेवल्स की बस सेवा व टैक्सी सर्विस भी आबूरोड़, आबू पर्वत, सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाड़ा, रेवदर सभी जगह पर उपलब्ध है।

रेल परिवहन की सुविधाएं :– यद्यपि जिला मुख्यालय रेल मार्ग पर स्थित नहीं हैं किन्तु सिरोही रोड़ एवं आबूरोड़ से देश के प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवाएँ उपलब्ध है। आबूरोड़ से लगभग 40 रेलगाडियां प्रतिदिन (साधारण एंव एक्सप्रेस) उपलब्ध है जो कि आबू पर्वत व अन्य स्थलों पर भ्रमण हेतु आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधा मुहैया करवाती हैं।

वायु सेवाएँ :– सिरोही व आबूरोड़ में हवाई पट्टियां बनी हुई है। नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर (180 किमी) एंव अहमदाबाद (260 किमी) है।

7.4 पर्यटन की सम्भावनाएँ :–

कर्नल मेल्सिन के शब्दों में ''सिरोही संतो शूरवीरों एंव धर्मधुरीणों की भूमि है'' वशिष्ठ जैसे ऋषि की तपोभूमि एवं राव सुरताण जैसे शूरवीरों की भूमि रही है। सिरोही जिले में पर्यटन कि विपुल सम्भावनाएँ है एवं यहां के पर्यटन को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. **धार्मिक पर्यटन** :– पौराणिक काल से ही यह जिला ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों तथा चिन्तकों का केन्द्र रहा है। वशिष्ठ का आश्रम, दत्तात्रेय का मन्दिर (गुरुशिखर), राजा हरिश्चन्द्र की गुफा, भृतहरि की गुफा, पाण्डवों की गुफा, भीम गुफा, एवं राजा गोपी चन्द की गुफांए इसका प्रमाण है। सम्पूर्ण जिले में मन्दिरों की भरमार है जिनमें जिले के प्रसिद्ध मन्दिर निम्न हैं:–

- **शिव मन्दिर** :– इस जिले में पाशुपात शैव धर्म का प्रभाव अधिक रहा है। प्रमुख शिव मन्दिरों में श्री सारणेश्वर जी, आम्बेश्वर जी, गोतमेश्वर जी, ईश्वरजी, शिव पंचायतन, लीलाधारी (मण्डार), सिद्धेश्वर जी (दत्ताणी), अचलेश्वर जी (अचलगढ़), सुरतानेश्वर जी (लोटाणा), गोपेश्वर जी (वरली), काशी विश्वेश्वर जी (कासिन्द्रा) प्रमुख है। सभी मन्दिरों में भारी संख्या में दर्शनार्थी आते है।
- **सूर्य मन्दिर** :– इस जिले में दशदुर और कोर्णाक शैली से प्रभावित सूर्य मन्दिरों का निमार्ण 7 वीं से 12 वीं सदी के मध्य हुआ। इसमें 7 वीं सदी का 'वरमाण सूर्य मन्दिर, बसन्त गढ़ का सूर्य मन्दिर, क्रोड़ीध्वज (अनादरा) का सूर्य मन्दिर प्रसिद्ध है।
- **विष्णु मन्दिर** :– विष्णु और उनके अवतारों में देवांगन जी (अनादरा) कानकट (वरमाण), ऋषिकेश (दानवाव), मधुसूदन जी (मूंगथला), पाटनारायण (गिरवर), शेषषायी (बसन्त गढ़) व लक्ष्मी नारायण (पिण्डवाड़ा) प्रमुख है।
- **जैन मन्दिर** :– जैन मन्दिरों में आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा का मन्दिर विश्वविख्यात है इनके अतिरिक्त मीरपुर, जीरावल, भैरुतारक, पावापुरी, बामणवाड़जी, नांदिया, लोटाणा, दियाणा व अचलगढ़ के पार्श्वनाथ मन्दिर भी प्रसिद्ध है एवं इनका दर्शनार्थियों द्वारा भ्रमण किया जाता है।

2. **ऐतिहासिक पर्यटन :–** इस जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों में **दत्ताणी** प्रमुख है। आबूरोड़ के समीप, दत्ताणी रण क्षेत्र, हल्दीघाटी रण क्षेत्र के समान ही ऐतिहासिक महत्व रखता है जहाँ कि राव सुरताण द्वारा अकबर की सेनाओं को शिकस्त दी गई थी।
    - चन्द्रावती :– 7 वीं सदी से 13 वीं सदी के मध्य यह मध्यकालीन नगर सांस्कृतिक एंव व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। परमार राजाओं कि राजधानी रही यह नगरी किन्तु तुर्की आक्रान्ताओं के आक्रमण से इसे नष्ट किया गया था।
    - जीरावल :– 2 हजार वर्ष पुराना जैन मन्दिर।
    - नांदिया :– पुराना नाम नन्दीवर्धन था, भगवान महावीर स्वामी को चण्डकोशीय सर्प ने यहीं डसा था।
    - सारणेश्वर जी :– सारणेश्वर मन्दिर का निमार्ण 15 वीं सदी में हुआ जो कि दुर्ग के आकार का है, मुगलों के आक्रमण के समय में इस मन्दिर का प्रयोग दुर्ग के रुप में किया गया ।
3. **प्राकृतिक पर्यटन :–** प्रकृति ने सिरोही जिले को मुक्त हस्त से प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान किया है जिसमें यहां कि अरावली पहाड़िया, नदी, झरने, तालाब व सौम्य वन इसे खूबसूरत बनाते है। राज्य का एकमात्र ''हिल–स्टेशन'' आबू पर्वत भी इसी जिले में स्थित है यहाँ कि जलवायु एंव खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ कि प्रतिवर्ष 17 से 18 लाख देशी–विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु आते है।
4. **साहसिक पर्यटन :–** सिरोही जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल आबू पर्वत पर साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएँ विद्यमान है एवं यहाँ वर्तमान में रॉक क्लाइमिंग, माउण्टेनियरिंग, जंगल केम्पिग, ट्रैकिग आदि कि गतिविधियाँ चलाई जा रही है। किन्तु स्काई वॉक, बलूनिंग आदि जैसी गतिविधियों को ओर शुरु किया जा सकता है।

7.5. (SWOT) :– स्ट्रेन्थ, वीकनेस अपोरचुनिटीज, एण्ड थ्रेट्स

(क्षमता, कमजोरिया अवसर, एवं चुनौतिया)

सिरोही जिले में सभी प्रकार के पर्यटन जैसे कि धार्मिक, ऐतिहासिक/पुरातात्विक, इको/प्राकृतिक एवं साहसिक/एडवेंचर पर्यटन की विपुल संभावनाएँ हैं।

(i) स्ट्रेन्थ्स (Strengths)

- पूरे जिले में धार्मिक, ऐतिहासिक/पुरातात्विक, इको/प्राकृतिक एवं साहसिक/एडवेंचर स्थलों की भरमार है हर 10 कि.मी. पर कोई ना कोई महत्व का पर्यटन स्थल है।
- वैष्णव मन्दिरों, जैन मन्दिरों एंव अन्य मन्दिरों का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है।
- अधिकतर जैन मन्दिर अच्छे सुव्यस्थित है एवं उनके ट्रष्टों द्वारा संचालित है।
- मुख्य–मुख्य धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों/दर्शनाथियों की अच्छी आवक है।
- अधिकतर जैन मन्दिरों में दर्शनार्थियों/यात्रियों हेतु ठहरने एवं भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था है।

- अधिकतर पर्यटन महत्व के स्थल सड़क से जुड़े हुए है एवं बस, टैक्सी परिवहन के साधन उपलब्ध है।
- जिले में हाल में विकसित किए गए पावापुरी व भैरुतारक धाम इसका उदाहरण है कि पौराणिक स्थलों के साथ–साथ और आज देशभर में प्रसिद्ध है।
- इस जिले में ऐतिहासिक स्थलों की भरमार है।
- चन्द्रावती, दत्ताणी रण क्षेत्र आदि स्थलों की बड़ी महत्ता है।
- इतिहास की पुस्तकों में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अर्थात आम जन इनके बारे में परिचित है। प्रकृति ने सिरोही जिले को मुक्त हस्त से प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान किया है। जिले में स्थित आबू पर्वत इसका उदाहरण है।
- आबू पर्वत पर प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख पर्यटक भम्रण हेतु आ रहे है।
- यहाँ आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों द्वारा यहाँ के प्राकृतिक पर्यटन का अर्थात यहाँ के ट्रैक्स, जंगल–वाँक, जंगल–केम्पिग आदि का आनन्द लिया जा रहा है।
- आबू पर्वत स्थित वन्य जीव अभ्यारण में पर्यटकों द्वारा जंगली जानवर जैसे – पेंथर, भालू, आदि की साइटीग की जा रही है।
- साहसिक पर्यटन हेतु आबू पर्वत पर अत्यधिक संम्भावनाएँ है।
- यहाँ स्थित गुजरात राज्य के प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा माउण्टेनियरिंग व रॉक क्लाईर्मिग का प्रशिक्षण वर्ष–पर्यन्त दिया जा रहा है।
- स्काउट व उक्त केन्द्र के द्वारा जंगल ट्रैकिंग, जंगल केम्पिंग आदि भी नियमित रुप से पर्यटको व विधार्थियों को करवाई जा रही है।

(ii) <u>कमियां (Weaknesas) :–</u>

- बहुत कम धार्मिक महत्व के स्थल संरक्षित स्मारक घोषित है। मात्र चन्द्रावती एवं वरमाण सूर्यमन्दिर नए स्थल भी इतने ही महत्वपूर्ण है।
- अधिकतर धार्मिक स्थल किसी ना किसी ट्रस्ट की सम्पति है।
- निजी तथा ट्रष्ट कि सम्पतियां होने से प्रचार–प्रसार भी नहीं हो पाता ।
- ट्रष्ट कि सहमति के बिना सरकार चाह कर भी कोई विकास कार्य नहीं करा सकती।
- देलवाड़ा मन्दिर आबू पर्वत इसका उदाहरण है, जहां कि ट्रष्ट के चलते विकास व अन्य कार्य सरकार नहीं करा पा रही है।
- जैन धर्म के स्थलों पर फिर भी सुविधाए है किन्तु वैष्णव मन्दिरों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
- समाज विशेष के लोगों कि ही इन स्थलों पर आवक रहती है किन्तु आम पर्यटक नहीं पहुँच पाता है।
- अधिकतर स्थल बड़े बुरे हाल में है।
- चन्द्रावती जैसे स्थलों को मात्र संरक्षित स्मारक घोषित कर सरकार ने इतिश्री कर ली है।
- दत्ताणी रण क्षेत्र का महत्व हल्दीधाटी के समान ही माना जाता है। किन्तु दत्ताणी रण क्षेत्र को इयरमार्क तक नहीं किया हुआ है।

- उत्तरज एवं शेरगांव महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों तक पंहुचने तक का रास्ता तक नहीं है।
- अधिकांशतः इस तरह की साइट्स निश्चित रुप से वन क्षेत्र या जल भरवर बॉडी (डेम) आदि में ही होगी, अतः वन विभाग या सम्बन्धित विभाग कि सहमति/स्वीकृति के बिना कोई भी निजी स्तर पर इको साइट्स विकसित नहीं कर सकता है। अर्थात विभागीय स्तर पर ही इस तरह कि साइट्स विकसित की जा सकती है।
- आबू पर्वत के अतिरिक्त जिले के अन्य स्थलों पर इन्फ्रास्ट्रकचर की कमी के कारण साहसिक पर्यटन कि गतिविधियाँ विकसित करने में कठिनाई है। यहाँ आने वाला गुजराती पर्यटक अधिकतर इस तरह कि साहसिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता हे। विदेशी पर्यटक ही एडवेंचर टयूरिज्म का ज्यादा शौकीन होता है।

(iii) अवसर (Opportunities) :–

- इस जिले में आबू पर्वत जैसा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहाँ प्रतिवर्ष 18 लाख पर्यटक भ्रमण हेतु आते है। यहाँ हर तीसरा व्यक्ति पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है एवं हजारों कि संख्या में लोगों को पर्यटन से रोजगार मिला हुआ है।
- इस जिले में स्थित अन्य स्थलों का प्रचार–प्रसार कर वहाँ के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।
- अधिकतर स्थल गुजरात से आने वाली सड़कों पर स्थित है। अतः थोड़े से प्रयासों से ही इन्हें आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सकता है।
- धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की आवक होगी तो निश्चय ही वहाँ रहने वाले वाशिन्दों को रोजगार मिलेगा एवं उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। होटल, रेस्टोरेण्ट, मिडवे इत्यादि खुलने के अवसर पैदा होंगे एवं लोगों को गाइडिंग आदि के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होगे।
- ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एंव उनके विकास हेतु विशेष प्रयास नहीं हुए है अन्यथा गुजरात राज्य से आने वाले पर्यटकों हेतु यह आकर्षण का केन्द्र हो सकते थे।
- इन स्थलों के विकास से स्थानीय लोगों को पर्यटन से सम्बन्धित रोजगार/व्यवसाय का अवसर मिलेगा जैसे होटल, रेस्टोरेण्ट व्यवसाय या गाइडिग का कार्य।
- आबू पर्वत जैसे पर्वतीय पर्यटन स्थल होने का बहुत बड़ा लाभ इस जिले को है।
- पहले से ही इस जिले में 17 से 18 लाख पर्यटक भ्रमण हेतु आ रहे है।
- चन्द्रावती को पुरातात्विक संग्रहालय के रुप में विकसित किया जा सकता है।
- जिले में स्थित डेमसाइट्स, जंगल आदि में इको पर्यटन विकसित करने कि विपुल सम्भावनाएँ है।
- जिले में पहले से ही पर्यटक भ्रमण हेतु आ रहे है अतः कुछ और साइट्स विकसित कर इन्हें वहाँ भी आकर्षित किया जा सकता है।
- इको पर्यटन साइट्स विकसित होने से आस–पास के लोगों को निश्चय ही रोजगार उपल्बध होगा जिसमें कि नेचर गाइडस के रुप में कार्य स्थानीय वाशिन्दों द्वारा किया जा सकेगा।

- नई–नई साहसिक गतिविधियों का भी यहाँ स्कोप है जिसमें कि स्काई वॉक, बलूनिंग, पेरासेलिंग आदि शुरु किए जा सकते है।
- पोलो एंव गोल्फ खेल की भी आबू पर्वत पर अपार संभावनाएँ है।
- इस तरह कि साहसिक गतिविधियों के कॉर्स से स्थानीय वाशिन्दों को नेचर गाइड का जॉब रॉक क्लाइमर का जॉब मिला हुआ है।

(vi) थ्रेट्स (Threats) :–

- किसी भी स्थल कि पवित्रता एवं उसका धार्मिक महत्व भी तभी तक बना रहता है, जब तक कि वहाँ सीमित संख्या में दर्शनार्थी भ्रमण हेतु आते हो, पर्यटकों की आवक के साथ–साथ वह स्थल धीरे–धीरे वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाता है। आम जरुरतों की चीजें पर्यटकों कि आवक के कारण मंहगी हो जाती है, जिससे कि स्थानीय निवासी प्रभावित होते है।
- पर्यटन के कारण गाँव/स्थल की संस्कृति अत्यधिक रुप से प्रभावित होती है।
- ऐतिहासिक स्थलों के विकास के साथ–साथ उस धरोहर कि सुरक्षा अति आवश्यक है अन्यथा चन्द्रावती का ही उदाहरण ले जहाँ से बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो चुकी है। पर्यटकों के आने के साथ ही स्थानीय वाशिन्दों के लिए आम जरुरत की चीजें भी महंगी हो जाती है, आबू पर्वत इसका उदाहरण है।
- इस तरह कि कोई भी साइट विकसित की जाती है तो निश्चिय ही वहाँ पर पर्यटकों की आवक के साथ गंदगी जरुर आती है।
- पर्यटकों की आवक के साथ ही जंगली जानवरों का प्राकृतिक निवास (नेचुरल हेबीटेट) प्रभावित होना शुरु हो जाता है।
- आबू पर्वत स्थित गऊमुख रोड़ शिविर स्थल (केम्पीग साइट) इसका उदाहरण है जहाँ कि पर्यटकों की आवक के साथ गंदगी शुरु हो गई है।
- प्राकृतिक सोन्दर्य के खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। जैसे ट्रैकिंग या जंगल केम्प के पश्चात् पर्यटकों के द्वारा फैलायी जाने वाली गंदगी प्राकृतिक सौन्दर्य को नष्ट करती है।

7.6. रोजगार के अवसर :–

7.6.1. होटल उद्योग :–

- पर्यटन विश्व में सबसे बड़े उद्योग के रुप में उभरा है एवं पर्यटन उद्योग में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध है।
- होटल उद्योग पर्यटन का मुख्य 'पिलर' है जो कि तेजी से बढ़ रहा है।
- जिले में छोटे–बड़े लगभग 200 होटल्स स्थित है।
- मुख्यतः आबू पर्वत यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। और लगभग 175 होटल्स, गेस्ट हाऊस/पी.जी हाऊस यहाँ स्थित है।
- जिले में हजारों कि संख्या में लोगों को होटल उघोग में रोजगार उपलब्ध है यदि औसतन 10 व्यक्ति भी प्रति होटल कार्यरत है तो लगभग 2000 लोग होटल उद्योग में कार्यरत है।
- होटल के साथ–साथ मिडवे एवं रेस्टोरेंट्स का भी इस जिले में अच्छा स्कोप है। रोड़ साइड रेस्टोरेंट्स एवं मिडवेज पर गांव के आस–पास के लोग वहाँ सैकड़ों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

7.6.2. गाइड का स्कोप :–

- पर्यटन उद्योग में जितना होटल का महत्व है उतना ही एक गाइड का महत्व है।
- आबूपर्वत में आने वाले लाखों पर्यटकों को जानकारी देने का काम यहाँ के स्थानीय लोग (गाइड) कर रहे है।
- सैकडों की संख्या में गाइडिंग का कार्य स्थानीय वाशिन्दों को यहाँ प्राप्त हो रहा है एवं यह कार्य कर वह अपना एवं परिवार का भरण–पोषण कर रहा है।
- जिले में स्थित अन्य स्थलों का विकास यदि किया जाता है एवं वहाँ पर्यटकों का आगमन शुरु हो जाता है तो वहां के स्थानीय वाशिन्दों को गाइड के रुप में कार्य करने का मौका मिलेगा अर्थात उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होगा।

7.6.3. हैण्डीक्राफ्ट्स :–

- कहीं भी घूमने आने वाले पर्यटक के लिए उस स्थल की शॉपिंग एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है। पर्यटक सदा उस स्थान की हस्तशिल्प या अन्य कोई शिल्प को खरीदने की प्राथमिकता प्रदान करता है।
- जिले में स्थित सियावा का 'मिटटी का शिल्प' (टेराकोटा) अद्वितीय है एवं यह पर्यटकों के मध्य काफी लोकप्रिय है।
- सियावा के इन शिल्पकारों को ओर अधिक बढ़ावा देने कि आवश्यकता है, तथा आबू पर्वत पर इन्हे एक 'शिल्प काउण्टर' के नाम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनकी कलाकृति सीधे ही पर्यटकों को उचित दामों पर उपलब्ध हो सके।
- इस जिले में 'मार्बल शिल्प' की भी बड़ी महत्ता है तथा स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न मार्बल फैक्ट्रियों में वस्तुऐं बनाई जाती है जो कि यहाँ से निर्यात किए जाते है। स्वरुपगंज एंव आबूरोड़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्रियाँ इसका प्रमाण है।
- मण्डार की जूतियाँ इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है इसे पर्यटको के मध्य लोकप्रिय करने कि आवश्यकता है।
- पिण्डवाड़ा का टाई एवं डाई के कार्य को भी लोकप्रिय करने कि आवश्यकता है, अभी वह मात्र आदिवासियों के कपड़ो तक ही सीमित है।
- हैण्डीक्राफ्ट्स व्यवसाय में सैंकडों की संख्या में यहाँ के परिवार कार्य कर रहे है और कही ना कही पर्यटन इसकी प्रसिद्धि हेतु सहयोग प्रदान करता हैं।

7.6.4. एनिमल सफारी पार्क :–

- आबूपर्वत स्थित वन्य जीव अभ्यारण का कुछ क्षेत्र एनिमल सफारी पार्क के रुप में विकसित किया जा सकता है।
- इस तरह का सफारी पार्क पर्यटकों को न केवल वन्य जीवों से रुबरु करवाएगा बल्कि अधिक से अधिक पर्यटकों को माउण्ट आबू की ओर आकर्षित करेगा।
- जिस तरह रणथम्बोर टाइगर सफारी पार्क के रुप में प्रसिद्ध है ठीक उसी तरह आबू पर्वत को 'स्लॉथ बियर सफारी पार्क' के रुप में विकसित किया जा सकता हैं।
- ट्रैवल टेंक से लेकर गुरुशिखर तक का एरिया इस हेतु इयरमार्क किया जा सकता है जिसमें की पेंथर व बियर के साथ–साथ यहाँ पाए जाने वाली 246 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियों को भी पर्यटक सफारी के दौरान देख सकेगा।
- सफारी पार्क में नए ट्रैक्स भी विकसित किए जा सकते है जिसमें कि यहाँ के वाशिन्दों को प्राकृतिक मार्गदर्शक (गाईड) एवं जीप या कार के ड्राईवर के रुप में रोजगार उपलब्ध होगा।

- वर्तमान में आबू पर्वत स्थित अभ्यारण में निम्न ट्रैक्स पर्यटकों के मध्य लोकप्रिय है :–

क्र.स.	ट्रेक्स के नाम	दूरी (कि.मी)
1	टाइगर पाथ (सेण्ट मेरी–आरणा–ऋषिकेश)	18 कि.मी
2	क्रेग्स पाथ (अधर देवी–लीमड़ी कोठी–गणेश मन्दिर)	2 कि.मी
3	बेलेज वाक (सनसेट पोइंट–टॉडरॉक–नक्की लेक)	2 कि.मी
4	हनीमून पोइंट–अनादरा–देवांगन	5 कि.मी
5	गऊमुख–चन्देला	8 कि.मी
6	आरणा–छीपाबेरी	5 कि.मी
7	देलवाड़ा–सालगांव वाच टॉवर–अचलगढ़	6 कि.मी
8	सनसेट पोइंट–पालनपुर पोइंट– कोदरा डेम	5 कि.मी
9	सनसेट पोइंट–सकोड़ा गांव	6 कि.मी
10	गुरु शिखर–उत्तरज–ओरिया	6 कि.मी
11	चन्देला–वशिष्ठ आश्रम (गऊमुख)	8 कि.मी
12	उत्तरज – वास्थानजी ट्रेल	16 कि.मी
13	ट्रेवर टैंक – मिनी नक्की लेक – सदकाजी	6 कि.मी

7.6.5. लाइट एवं साउण्ड शॉ :–

- लाइट एवं साउण्ड शॉ अभी तक कहीं भी इस जिले में पर्यटकों हेतु नहीं दिखाया जा रहा है।
- पर्यटकों के मध्य इस शॉ का आकर्षण पैदा करने हेतु इसे देलवाड़ा मन्दिरों में शुरु किया जा सकता है। चूंकि आबूपर्वत स्थित यह मार्बल मोन्यूमेण्ट 11वीं सदी का निर्मित, अद्वितीय मार्बल कारीगरी के लिए जाना जाता है। अतः यहाँ इसे शुरु किया जा सकता है।
- लाइट एवं साउण्ड शॉ चूंकि रात्रि के वक्त दिखाया जायेगा अतः इससे पर्यटकों का ठहराव भी एक रात्रि के लिए और बढ़ेगा जिससे की होटल व्यवसाइयों से लेकर टैक्सी ड्राइवर सभी लाभान्वित होंगे।
- जिले में स्थित पावापुरी एवं भैरुतारक धाम मन्दिरों में भी उक्त का आयोजन किया जा सकता है जिससे की पर्यटकों के मध्य इनका आकर्षण और बढ़ेगा।

पर्यटन एक असंगठित सेक्टर है जिसे की संगठित करने की आवश्यकता है। पर्यटन हमारी संस्कृति है और आने वाला हर एक पर्यटक हमारा मेहमान है। देशी–विदेशी पर्यटकों से बहुमूल्य देशी–विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है तथा अन्य आर्थिक सेक्टरों की तुलना में पर्यटन में निवेश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार सृजित होता है।

अध्याय - 8

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. सिरोही जिला भौगोलिक दृष्टि से एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं। कमी है तो सिर्फ विशेषज्ञों की। जिले की संस्कृति यह दर्शाती हैं कि यहाँ के निवासी यहाँ की भाषा को ही आत्मसात करना पसन्द करते हैं। अतः जिले के मूल निवासियों में से ही विशेषज्ञ तैयार किये जावे तो वे यहाँ के निवासियों के विकास में त्वरित भूमिका निभा सकते हैं।
2. सिरोही जिला 1991 में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से राज्य स्तर पर 25 वें स्थान से 2007 में 14 वें स्थान पर आ गया हैं। शिक्षा सूचकांक की दृष्टि से जिला 1991 से 2001 तथा 2001 से 2007 में राज्य स्तरीय स्थान में पिछड़ गया हैं तथा स्वास्थ्य सूचकांक में राज्य स्तरीय स्थान समान स्तर पर बना हुआ हैं। वहीं इसके विपरीत आजीविका सूचकांक (प्रति व्यक्ति आय) में 10 वें स्थान से चढकर छठें स्थान पर आ गया हैं। जिले में नरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या अत्यधिक कम होना, एस.जी.एस.वाई. में लाभान्वितों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना तथा बैंको में साख जमा अनुपात का जमा की तरफ झुकाव भी आजीविका सूचकांक में बढोतरी का संकेत देता हैं। अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता हैं।
3. जिले में उपलब्ध जल का वर्तमान में मात्र 46.82 प्रतिशत का ही उपयोग हो रहा हैं। जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित योजनाएं कार्यरूप में आ जाने के पश्चात् भी 37.36 प्रतिशत जल अनुपयोगी ही रहेगा। इस जल को पुनर्भरण के उपयोग में लाया जाये तो जिले के समस्त जल आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जावेगी तथा भूजल स्तर का गिरना रूक जावेगा एवं भूजल गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
4. जिले में कुल बुवाई क्षेत्र 151426 है0 में से सिंचित क्षेत्र 84183 है0 हैं। जिसका 90 प्रतिशत क्षेत्र खुले कुओं से (Open Wells) सिंचित होता हैं तथा स्प्रिंक्लर सिंचाई पद्वति पर 23500 है0 क्षेत्र हैं। इस स्थिति में बढोतरी करने के लिये तथा सिंचित क्षेत्र को आगे भी यथावत रखने के लिये भूजल पुनर्भरण अतिआवश्यक हैं।
5. जिले का उत्पादित दुग्ध गुजरात को अथवा जिला जालोर स्थित रानीवाडा डेयरी को जाता हैं। अतः परिवहन लागत अधिक होने के कारण स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता हैं। जिले में कोल्ड स्टोरेज भी नहीं हैं। इस कारण से फल, सब्जी अथवा दुग्ध उत्पाद को लम्बी अवधि तक रख पाना संभव नहीं हैं। अतः जिले को एक दुग्ध प्रंस्करण केन्द्र (डेयरी) तथा कोल्ड स्टोरेज अति आवश्यक हैं।
6. जिले में खनिज तथा वन सम्पदा अच्छी उपलब्ध है। जिले में स्टोन क्राफ्ट का अच्छा कार्य हो रहा हैं। अतः जिले के औद्योगिक परिदृश्य में स्टोन क्राफ्ट, टेराकोटा, हस्तशिल्प, खनिज एवं वन उत्पाद आधारित उद्योग स्थापित किये जाने की प्रबल संभावना हैं।
7. जिले में वर्तमान में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की न्यूनतम संभावनाएं हैं। इस कारण से मेरिट के आधार पर प्रवेश होने के कारण जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता हैं। अतः जिले की 15–20 आयु वर्ष की कुल जनसंख्या का लगभग पाँच प्रतिशत स्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये जिले में ही उपलब्ध होना चाहिये तभी इस जिले के लगभग 25 प्रतिशत युवाओं को आने वाले 5 वर्षों में कुशल श्रमिक में बदल पायेंगे।

8. जिले में ऐतिहासिक स्थानों जैसे चन्द्रावती व अन्य स्मारक को विकसित कर सैलानियों के लिये उपलब्ध करवाना आवश्यक हैं।
9. जिले में उपलब्ध जैन, सूर्य मन्दिरों व अन्य स्मारको को लिंक रोड से जोड़ना व सैलानियों को आकर्षित करने हेतु पैकेज बुकिंग पद्वति के लिये स्थानीय व्यवसायियों को प्रशिक्षित कर पैकेज पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिये।
10. जिले में साहसिक पर्यटन, एनिमल सफारी, हस्त शिल्प विक्रय केन्द्र एवं गाईड सेवाओं हेतु संस्थान विकसित किया जाना आवश्यक हैं।
11. शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध शिक्षक व विद्यालयों की संख्या नामांकन के अनुपात में परिपूर्ण सी प्रतीत होती हैं। यदि नामांकन एवं ठहराव बढता हैं तभी अतिरिक्त विद्यालय एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी। वर्तमान परिदृश्य को देखने से ऐसा लगता हैं कि ग्रामीण क्षेत्र विशेष कर दुर्गन क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षा से सम्बन्धित उपकरणों की कमी हैं। इसी का परिणाम हैं कि साक्षरता की दृष्टि से हम अभी भी 24 वें स्थान पर हैं तथा ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत 50 से भी कम हैं। समानीकरण अतिआवश्यक हैं। दुर्गम क्षेत्र में कम संख्या वाले विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुँचाने के लिये टेम्पो आधारित परिवहन सेवा राजकीय व्यय पर उपलब्ध करवाया जाना आर्थिक रूप से ठीक रहेगा।
12. नवजात शिशु मृत्यु दर एवं धात्री महिला मृत्यु दर की दृष्टि से जिला राज्य स्तर पर काफी पिछड़ा हुआ हैं। संस्थागत प्रसव जिले में अधिक हो रहा हैं लेकिन गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं में कमी का प्रमुख कारण विभाग के 25 प्रतिशत से अधिक पदों का रिक्त रहना तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी प्रमुख हैं। सामुदायिक सहभागिता की कमी हैं। इस कारण से उपलब्ध सेवाओं का लाभ आशार्थियों को समय पर नहीं मिल पा रहा हैं। जिले में एक मात्र ब्लड बैंक जो जिला चिकित्सालय में कार्यरत था, पेथोलॉजी के विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण बन्द कर दिया गया है। जिले में सामुदायिक सहभागिता बढाने हेतु जिले के समस्त पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों का आवश्यक चिकित्सा संबंधी सेवाओं का आमुखीकरण कर चिकित्सा संस्थाओं पर प्रदत्त सेवाओ की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती हैं। अस्वीकृत विशेषज्ञों के पद स्वीकृत कर तथा रिक्त पदों पर भर्ती कर कमियों को दूर किया जाना आवश्यक हैं।
13. जिस दिन सामुदायिक संगठन मजबूत हो जावेगा उस दिन समुदाय शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताऐं शिक्षा विभाग से स्वास्थ्य से सम्बन्धित आवश्यकताऐं स्वास्थ्य विभाग तथा आजीविका से सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिये सम्बन्धित विभागों से स्वयं ही छीन लेंगें। सामुदायिक संगठन मजबूत करने के लिये सबसे अच्छा माध्यम जनप्रतिनिधि हैं। अतः जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामुदायिक संगठन मजबूत करने का कार्य करावाया जाना चाहियें।

कार्य समूह शिक्षा :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक – अध्यक्ष।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक।
3. जिला परिषद् की शिक्षा समिति के अध्यक्ष।
4. दूसरा दशक के प्रतिनिधि।
5. श्री फाल्गुनी सारंगी, प्रतिनिधि अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, सिरोही।
6. श्रीमती गायत्री, बालिका शिक्षा प्रतिनिधि, अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, सिरोही।
7. सहायक जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, सिरोही।
8. जिला साक्षरता अधिकारी, सिरोही।
9. श्री डॉ. बी.एस. बारड, व्याख्याता, प्रतिनिधि राजकीय महाविद्यालय, सिरोही।
10. श्री एस.सी.भाटी, व्याख्याता, राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरोही।
11. श्री मुकद्दर अली शेख, सिरोडी।

कार्य समूह स्वास्थ्य :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही – अध्यक्ष।
2. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
3. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण/स्वास्थ्य, सिरोही।
4. जिला क्षय रोग अधिकारी, सिरोही।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही।
6. वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग, राजकीय चिकित्सालय, सिरोही।
7. वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु रोग, राजकीय चिकित्सालय, सिरोही।
8. जिला समन्वयक, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, सिरोही।
9. जिला परियोजना प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम., सिरोही।
10. बी.सी.एम.ओ., समस्त ब्लॉक।
11. श्री अशोक परमार, कार्यालय सी.एम.एच.ओ., सिरोही।
12. प्रतिनिधि, ग्लोबल हॉस्पीटल, आबूरोड।
13. प्रतिनिधि, एस.एच.ए.आर.डी.पी., संस्था रेवदर।
14. एन.जी.ओ. (स्वास्थ्य सेवाएँ) आवश्कता अनुसार।

कार्य समूह जल :–

1. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिरोही– अध्यक्ष
2. श्री लुम्बारामजी, प्रधान, पंचायत समिति, सिरोही।
3. श्रीमती हंजा मेघवाल, प्रधान, पंचायत समिति, शिवगंज।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सिरोही।
5. प्रभारी भू–जल वैज्ञानिक, भू–जल विभाग, सिरोही।
6. अधिशाषी अभियन्ता, भू–संसाधन, जिला परिषद्, सिरोही।
7. उप निदेशक, कृषि विभाग, सिरोही।
8. वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सिरोही।
9. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सिरोही।
10. अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद्, सिरोही।
11. कृषि अन्वेषक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि, सिरोही।

कार्य समूह आजीविका :–

1. संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही – अध्यक्ष।
2. परियोजना अधिकारी, एस.जी.एस.वाई., जिला परिषद्, सिरोही।
3. प्राचार्य, राजकीय पोलॉटेक्निक महाविद्यालय, सिरोही।
4. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोही/शिवगंज/आबूरोड।
5. श्री हेमचन्द, सियावा हस्तकला, स्वयं सहायता समूह, सियावा।
6. प्रबंधक निदेशक, को–ओपरेटिव बैंक, सिरोही।
7. श्री अमृत जी, मूर्ति कला उद्योग, बसंतगढ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, एन.आर.ई.जी.एस., जिला परिषद्, सिरोही।
9. उप निदेशक, कृषि विभाग/पशुपालन विभाग।
10. अग्रणी बैंक अधिकारी, एस.बी.बी.जे., सिरोही।
11. ए.जी.एम., नाबार्ड, सिरोही।
12. खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सिरोही।
13. जिला रोजगार अधिकारी, सिरोही।
14. जिला मत्स्य अधिकारी, सिरोही।
15. उद्यान निरीक्षक, सिरोही।
16. प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही।
17. प्रतिनिधि, मण्डल वन अधिकारी, सिरोही।

कार्य समूह महिला विकास :–

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास सिरोही – अध्यक्ष।
2. श्रीमती पदमा कुंवर, प्रधान, पंचायत समिति, रेवदर।
3. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरोही।
4. प्राचार्य, बी.एड. (महिला), सिरोही।
5. परियोजना अधिकारी, बाल विकास, समस्त।
6. वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग, राजकीय चिकित्सालय, सिरोही।
7. वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु रोग, राजकीय चिकित्सालय, सिरोही।
8. सुश्री कमला पंजवानी, अरावली विकास संस्था, आबूरोड।
9. प्रतिनिधि, ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आबूरोड।
10. प्रतिनिधि, एस.एच.ए.आर.डी. संस्था, रेवदर।
11. उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, सिरोही।
12. अध्यक्ष– महिला चेतना मंच, सिरोही।

कार्य समूह पर्यटन :–

1. सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, आबूपर्वत – अध्यक्ष।
2. अध्यक्ष, नगर परिषद्, आबूपर्वत।
3. जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही।
4. आयुक्त, नगर परिषद्, आबूपर्वत।
5. प्रतिनिधि, के.पी.संघवी, चेरीटेबल ट्रस्ट, पावापुरी।
6. अध्यक्ष, टेक्सी यूनियन, सिरोही/आबूपर्वत।
7. उप वन संरक्षक (वन्य जीव), आबूपर्वत।
8. प्रतिनिधि, पुरातत्व विभाग, जोधपुर।
9. श्री अनिल माथुर, विशेषज्ञ वन्य जीव, आबूपर्वत।
10. प्रतिनिधि, होटल एसोसिएशन, आबूपर्वत।

Land Utilisation (preceding 3 years average)

Taluk	Geographical area	Foresat area	Land Under Non-agril. Use	Cultivable ¡ste	Permanent Pasturesa	Land Under miscellaneous tree crop and groves a	Current Fallows	Other Fallows	Net sown area	Gross cropped area	Cropping intensity (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SIROHI	117520	19575	35677	4307	7178	22	7030	13736	37134	47625	128.25
SHEOGANJ	89528	19932	22041	1396	6278	10	5822	9977	30345	41608	137.12
REODAR	108886	16392	29051	1888	9904	0	9268	10719	41568	60365	145.22
PIND¡RA	113609	41177	34064	1545	8490	65	2309	3507	30942	41497	134.11
ABU ROAD	88404	58363	12495	1272	1531	16	1022	1099	14137	19713	139.44
TOTAL	**517947**	**155439**	**133328**	**10408**	**33381**	**113**	**25451**	**39038**	**154126**	**210808**	**136.78**

Land Utilisation (preceding 3 years average)

Taluk	Geographical area	Foresat area	Land Under Non-agril. Use	Cultivable ¡ste	Permanent Pasturesa	Land Under miscellaneous tree crop and groves a	Current Fallows	Other Fallows	Net sown area	Gross cropped area	Cropping intensity (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SIROHI	117520	19575	35677	4307	7178	22	7030	13736	37134	47625	128.25
SHEOGANJ	89528	19932	22041	1396	6278	10	5822	9977	30345	41608	137.12
REODAR	108886	16392	29051	1888	9904	0	9268	10719	41568	60365	145.22
PIND¡RA	113609	41177	34064	1545	8490	65	2309	3507	30942	41497	134.11
ABU ROAD	88404	58363	12495	1272	1531	16	1022	1099	14137	19713	139.44
TOTAL	**517947**	**155439**	**133328**	**10408**	**33381**	**113**	**25451**	**39038**	**154126**	**210808**	**136.78**

Land Utilisation (preceding 3 years average)

Taluk	Geographical area	Foresat area	Land Under Non-agril. Use	Cultivable ¡ste	Permanent Pasturesa	Land Under miscellaneous tree crop and groves a	Current Fallows	Other Fallows	Net sown area	Gross cropped area	Cropping intensity (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SIROHI	117520	19575	35677	4307	7178	22	7030	13736	37134	47625	128.25
SHEOGANJ	89528	19932	22041	1396	6278	10	5822	9977	30345	41608	137.12
REODAR	108886	16392	29051	1888	9904	0	9268	10719	41568	60365	145.22
PIND¡RA	113609	41177	34064	1545	8490	65	2309	3507	30942	41497	134.11
ABU ROAD	88404	58363	12495	1272	1531	16	1022	1099	14137	19713	139.44
TOTAL	**517947**	**155439**	**133328**	**10408**	**33381**	**113**	**25451**	**39038**	**154126**	**210808**	**136.78**

DISTT.	Marginal Farmers		Small Farmers		Semi-med. Farmers		Medium Farmers		Large farmers		Total	
	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area
SIROHI	3393	2069	3770	5598	3844	10876	2916	18048	1021	17119	14944	53710
SHEOGANJ	3043	1842	2999	4447	2766	7816	2595	16310	828	13427	12231	43842
REODAR	5239	3004	4346	6304	3994	11316	3029	18940	980	15505	17588	55069
PIND¡RA	10392	5240	5524	7855	3553	9939	1700	9877	213	3058	21382	35969
ABU ROAD	5027	2385	2732	3872	1646	4544	790	4573	93	2021	10288	17395
TOTAL	**27094**	**14540**	**19371**	**28076**	**15803**	**44491**	**11030**	**67748**	**3135**	**51130**	**76433**	**205985**

परिशिष्ठ 3 – ii

Agriculture

Part - I

Table : Land Utilisation (preceding 3 years average)						
Taluk	Geographical area	Foresat area	Land Under Non-agril. Use	Cultivable ¡ste	Permanent Pasturesa	Land Under miscellaneous tree crop and grovesa
1	2	3	4	5	6	7
SIROHI	117520	19575	35677	4307	7178	22
SHEOGANJ	89528	19932	22041	1396	6278	10
REODAR	108886	16392	29051	1888	9904	0
PINDWRA	113609	41177	34064	1545	8490	65
ABU ROAD	88404	58363	12495	1272	1531	16
TOTAL	**517947**	**155439**	**133328**	**10408**	**33381**	**113**

Part 2

Taluk	Current Fallows	Other Fallows	Net sown area	Gross cropped area	Cropping intensity (%)
1	8	9	10	11	12
SIROHI	7030	13736	37134	47625	128.25
SHEOGANJ	5822	9977	30345	41608	137.12
REODAR	9268	10719	41568	60365	145.22
PIND¡RA	2309	3507	30942	41497	134.11
ABU ROAD	1022	1099	14137	19713	139.44
TOTAL	**25451**	**39038**	**154126**	**210808**	**136.78**

परिशिष्ट 3 – iii

SOIL TESAT DATA ATTRITUDE FOR BLOCKWISE FERTILISER RECOMMENDATION OF SIROHI DISTRICT										
S.o.	Name Of Panchayat samiti	OC		P2O5		K2O		Zn	Fe	Cu
		Average %	Index	(Kg/Ha.) Average	Index	(Kg/Ha.) Average	Index	Average	Average	Average
1	SIROHI	0.32	1.19	31.4	1.93	298	2.32	0.26	1.06	0.56
2	SHEOGANJ	0.27	1.09	35.4	1.96	278	2.27	1.07	2.45	0.45
3	REODAR	0.31	1.16	37.5	2.06	254	2.21	0.28	0.7	0.22
4	PIND¡RA	0.27	1.1	47.5	2.21	289	2.31	0.67	3.26	0.82
5	ABU ROAD	0.28	1.11	44.3	2.1	255	2.23	0.78	3.94	0.72
	TOTAL	**0.29**	**1.15**	**39**	**2.07**	**280**	**2.28**	**0.62**	**2.32**	**0.54**

परिशिष्ट 3 – iv

S. No	Name of the Block	Tractors	Tube well	Sprayers	Drip	Mini Sprinkler	Harvesater Thresaher	Seed drils	Sprinklersets
		No.	No.	No.	Ha	Ha.	No.	No.	ha
1	Sirohi	388	40	550	20		125	125	800
2	Sheoganj	380	34	654	2		167	205	2000
3	Reodar	905	33	1012	16	50	260	250	20000
4	Aburoad	210	25	315	10		133	46	200
5	Pind¡ra	250	1	421	2		109	49	500
	Total	**2133**	**133**	**2952**	**50**	**50**	**794**	**675**	**23500**

परिशिष्ट 3 – v

Rain fall and trend without covering Mount Abu.

S. N.	Block	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aburoad	666.0	464.0	707.6	375.0	390.8	310.6	529.0	216.0	927.0	482.0	682.6	1284.0	731.0	677.0
2	Pind¡ra	536.2	679.0	872.0	438.0	291.0	475.0	510.0	288.0	676.0	429.0	1146.0	1821.0	1003.2	301.9
3	Reodar	487.0	376.0	710.0	495.0	198.0	341.0	691.0	236.0	807.0	518.0	573.0	1313.0	664.0	430.0
4	Sheoganj	654.3	732.0	604.6	314.6	227.2	437.0	603.0	236.0	531.4	258.0	285.2	965.0	452.8	206.8
5	Sirohi	466.0	447.0	734.0	336.6	260.8	318.0	521.8	192.2	706.0	290.0	818.3	1188.8	618.9	278.5
	Av. of District	**561.9**	**539.6**	**725.6**	**391.8**	**273.6**	**376.3**	**571.0**	**233.6**	**729.5**	**395.4**	**701.0**	**1 314.4**	**694.0**	**378.8**

परिशिष्ठ 3 – vi

जिले की सामान्यतः मिट्टी उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। जिले के पूर्व में पहाड़ी इलाका है।

जिले की भूमि का उपयोग एवं उनका क्षेत्रफल

क्र.सं.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	वन	152495	24.98
2	गैर कृषि उपयोग में भूमि	102558	16.71
3	बंजर एवं अकृषिक भूमि	42063	6.83
4	अन्य अकृषित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)	25498	4.15
5	कृषि योग्य खाली भूमि	38676	6.30
6	पड़त भूमि	85689	13.96
7	बोया गया कुल क्षेत्रफल	106805	27.17
	योग	**613784**	

परिशिष्ठ 3 – vii

मुख्य फसलों का क्षेत्र उत्पादन एवं औसत उतपादन

फसल	2006-07		2007-08		औसत उतपादन [kg. / ha.]
	क्षेत्र (Ha.)	उत्पादन (MT.)	क्षेत्र (Ha.)	उत्पादन (MT.)	
गेहुँ	46192	85980	39349	78509	1923
सरसों	38271	56940	23524	33254	1460
जीरा	2230	1034	5939	3381	540
मक्का	28270	16662	28689	29088	803
अरण्डी	14518	25035	30412	56050	1805
बाजरा	19332	11375	14179	11345	678
दलहन	11745	5230	13426	7569	508

परिशिष्ठ 3 – viii

Infrastructure indicator of Sirohi Distt. vis-a-vis state level

S.No.	Infrastructure component	Distt.	Rajasthan	Category
1	Irrigated are to net cropped area	38.79	32.40	A+
2	Percentage of area irrigated through ground ¡ter	87.94	70.40	A+
3	Percentage of area irrigated through surface ¡ter	12.06	26.80	D
4	Number of tube wells per 100 ha of cropped area	0.05	1	D

परिशिष्ठ 3 – ix

Where the district indicator is :-

100 % or more of the state indicator	A+
between 85% to 99.9 %	A
between 70% to 84.9 %	B
between 50% to 69.9 %	C
Lesas than 50%	D

LIST OF EXISTING TANK UNDER ¡TER RESAOURCESA DN, SIROHI & JAWAI CANAL DN., SUMERPUR

S. No.	Name of Bundh	Tehsil	F.T.L. Gauge in Ft. / m	Gross Capacity in Mcft	Live Capacit in Mcft	CCA in Ha.
1	2		3	4	5	6
1	Wesat Banas (Medium)	Pind¡ra	24.00 ft.	1380.00	1280.00	7952.00
2	Sukli Sel¡ra	Reodar	5.50 m.	1042.26	903.34	5000.16
3	Angore	Sirohi	22.50 ft.	495.21	466.80	3457.89
4	Dhanta	Sirohi	28.00 ft.	277.10	270.30	1048.14
5	Kameri	Sirohi	5.00 m.	167.44	147.63	739.00
6	Tokra	Reodar	31.00 ft.	192.15	183.65	1072.44
7	Butri	Reodar	22.00 ft.	156.50	152.00	645.57
8	Poidara	Sirohi	16.50 ft.	134.03	120.82	644.35
9	Nimbora	Sirohi	5.00 m.	95.15	68.44	499.59
10	Mansaro¡r	Sirohi	15.50 ft.	23.50	23.50	328.05
11	Varal	Sirohi	5.00 m.	59.23	55.10	296.00
12	Na¡ra	Sirohi	3.40 m	18.20	16.88	115.74
13	Barloot	Sirohi	3.50 m	53.91	49.03	505.26
14	Bageri	Abu Road	10.00 m.	145.87	136.23	777.75
15	Moongthala	Abu Road	5.00 m.	95.50	90.94	580.36
16	Gir¡r	Abu Road	16.00 ft.	84.91	79.92	355.18
17	Kuisangna	Abu Road	6.50 m.	70.63	63.57	393.25
18	Chinar	Abu Road	7.50 m.	53.66	51.57	368.14
19	Mahadev Nallah	Abu Road	9.00 m.	50.85	50.35	317.92
20	Vajna	Abu Road	5.80 m.	15.09	14.69	59.53
21	Ore Nallah	Abu Road	7.50 m.	9.63	9.28	71.56
22	Valoriya	Pind¡ra	10.00 m.	55.87	54.27	405.00
23	Gangajali	Pind¡ra	5.00 m.	64.99	61.63	350.00
24	Ud¡riya	Reodar	6.14 m.	114.38	104.93	566.19
25	Mandar Nallah 1st	Reodar	5.23 m.	101.74	78.42	536.22
26	Karodidhaj	Reodar	6.90 m	94.94	90.93	505.44
27	Panch Deval	Reodar	5.50 m.	55.52	51.10	450.00
28	Bhula	Pind¡ra	25.00'	190.00	185.74	748.58
29	Ker	Pind¡ra	11.50'	107.22	98.17	388.85
30	Mand¡ra	Pind¡ra	20.00'	87.07	76.43	411.74
31	Sarup Sagar	Pind¡ra	20.00'	95.55	92.21	363.16
32	Kadambri	Pind¡ra	21.00'	156.20	154.00	599.19
33	Moras	Pind¡ra	8.00 m	51.69	45.749	219.00
34	Fatkesah¡r	Pind¡ra	6.00 m.	16.13	15.705	105.50
35	Ora	Sheoganj	24.50'	800.00	786.78	4616.19
36	Sukri Inn.	Sheoganj	1.50 m	Innundation Scheme		
37	Godana	Sheoganj	14.75 m	66.12	61.12	299.60
38	Godana Dhurbana	Sheoganj	3.20 m	7.746	7.02	38.00
39	Kailash Nagar	Sheoganj	4.50 m	67.00	65.33	374.00
	Total			**6691.31**	**6263.57**	**36204.54**

LIST OF EXISTING TANKS TRANSFERRED TO PANCHAYAT
BY ¡TER RESAOURCESA DN, SIROHI & JAWAI CANAL DN., SUMERPUR

S. No.	Name of Bundh	Tehsil	F.T.L. Gauge in Ft. / m	Gross Capacity in Mcft	Live Capacit in Mcft	CCA in Ha.
1	2		3	4	5	6
1	Phachariya	Sirohi	4.00 m	62.26	50.16	278.95
2	Chad¡l	Sirohi	8.50 ft	27.80	21.85	136.03
3	Ta¡ri	Sirohi	13.50 ft	10.00	9.50	51.01
4	Amlari	Sirohi	9.00 ft	15.27	13.80	59.92
5	Poona¡	Sirohi	2.30 m	14.84	12.02	70.04
6	Velangri	Sirohi	2.75 m	31.22	29.68	125.91
7	Ja¡l	Sirohi	2.75 m	15.02	14.40	87.45
8	Kurniya	Sirohi	2.30 m	9.92	9.58	46.96
9	Ranelao	Abu Road	2.50 m	8.29	7.97	47.77
10	Kala Data	Abu Road	6.60 m	7.94	7.59	33.20
11	Chandelao	Abu Road	28.00 ft	56.00	55.50	283.81
12	Mando¡ri	Abu Road	28.00 ft	36.00	36.00	146.15
13	Sagarli khera	Reodar	4.75 m	35.00	32.50	195.95
14	Thal	Reodar	15.00 ft	21.50	19.40	78.95
15	Jeera¡l	Reodar	4.50 m	68.85	60.02	290.69
16	Badechi	Reodar	4.50 m	24.31	22.27	129.55
17	Palri Khera	Reodar	3.70 m	35.66	32.29	218.22
18	Dolpura	Reodar	3.00 m	36.21	32.90	212.96
19	Bado Ka Padar	Reodar	5.00 m	13.93	12.74	73.68
20	Krishna Sagar	Sheoganj	9.50 m	13.437	13.437	40.00
21	Kana kolar	Sheoganj	13.50 ft	36.52	36.52	132.00
22	Palri Karan Sagar	Sheoganj	20.00 ft.	19.00	19.00	143.00
23	Dhrubana	Sheoganj	16.25 ft.	26.76	25.03	148.00
24	Badgaon	Sheoganj	2.00 m	49.43	49.43	60.00
25	Khara	Pind¡ra	6.00 m.	24.85	24.81	167.00
26	Jublee	Pind¡ra	20.00 ft.	57.37	57.37	145.00
27	Luneri	Pind¡ra	15.00 ft.	86.14	79.34	214.00
	Total			**843.53**	**785.11**	**3616.21**

नये प्रस्तावित कार्यो की अनुमानित भराव क्षमता

जिला सिरोही

क्र.सं.	नाम परियोजना	पंचायत समिति	अनुमानित भराव क्षमता (मि.घ.फु. में)
(अ)	**पश्चिम बनास बेसिन :–**		
1.	सालगांव बांध (पेयजल)	आबूरोड	155.56
2.	बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना	आबूरोड	573.18
3.	भैसासिंह सिंचाई परियोजना	आबूरोड	216.00
4.	भाटनी सिंचाई परियोजना	आबूरोड	23.51
5.	तलवारों का नाका सिंचाई परियोजना	आबूरोड	95.55
6.	वासा सिंचाई परियोजना	पिण्डवाडा	161.12
7.	प्रस्तावित एनीकट (टी.ए.डी. मद में)	आबूरोड	1217.11
	'अ' का योग		**2442.03**
(ब)	**सीपू (सूकली) बेसिन :–**		
1.	हडमतिया सिंचाई परियोजना	रेवदर	34.89
2.	एनीकटों द्वारा	रेवदर	259.88
	'ब' का योग		**294.77**
(स)	**लूनी बेसिन :–**		
1.	खेजडिया सिंचाई परियेाजना	शिवगंज	16.00
2.	मौचाल परियोजना	शिवगंज	8.50
3.	आल्पा परियेाजना	शिवगंज	74.00
4.	गोल सिंचाई परियोजना	शिवगंज	77.00
5.	देवा बांध परियोजना	शिवगंज	270.00
6.	धवल बांध परियेाजना	शिवगंज	56.00
7.	एनीकटों द्वारा	सिरोही / शिवगंज	90.00
	'स' का योग		**591.50**
	अ+ब+स का योग		**3328.30**

Basinwise Water Storage by Irrigation Dams in Sirohi Distt.

S. No.	Name of Project	Gross Capacity (in Mcft)
1	2	3
(A)	**Wesat Banas Basin**	
1	Wesat Banas	1380.00
2	Ranelao	8.29
3	Chandelao	56.00
4	Chinar	53.66
5	Girwar	84.91
6	Kui Sagna	70.63
7	Mahadev Nallah	50.85
8	Mando¡ri	36.00
9	Moongthala	95.50
10	Vajna	15.09
11	Kala Danta	7.94
12	Ore Nallah	9.63
13	Bageri	145.87
14	Valoriya	55.87
15	Wesat Banas Feeder	233.90
16	Gangajali	64.99
	Total	**2369.13**
	Jawai Dn., Sumerpur	
1	Saroop Sagar	95.55
2	Kadambari	156.20
3	Bhula	190.00
4	Mand¡ra	87.07
5	Ker	107.22
6	Khara	24.85
7	Jublee	57.37
8	Luneri	86.14
9	Moras	45.74
10	Phatkesahwar	16.13
	Total	**866.27**
	Total of 'A'	**3235.40**

(B)	**Sukli Basin**	
1	Tokra	192.15
2	Udwariya	114.38
3	Bado Ka Padar	19.93
4	Badechi	24.31
5	Jeerawal	68.85
6	Karodidhaj	94.94
7	Sagarli Khera	35.00
8	Thal	21.50
9	Butri	156.50
10	Mandar Nallah Ist	101.74
11	Mandar Nallah Vth	275.90
12	Dolpura	36.21
13	Panch Deval	55.52
14	Palri Khera	35.66
15	Sukli Sel¡ra	1042.46
	Total of ' B'	**2275.05**
(C)	**Luni Basin**	
(I)	**Khari River Sub Basin**	
1	Angore	495.12
2	Dhanta	277.10
3	Kameri	167.44
4	Phachariya	62.26
5	Chadwal	27.80
6	Tawari	10.00
7	Akhelao Mansarowar	53.50
8	Varal	59.23
9	Velangri	31.22
10	Jawal	15.02
11	Nawara	18.20
12	Barloot	53.90
	Total	**1270.79**
(II)	**Bandi River Sub Basin**	
11	Nimbora	33.47
12	Poidra	134.03
13	Amlari	15.27
14	Poonawa	14.84
15	Kurnia	9.92
	Total	**207.53**

	Jawai Dn., Sumerpur	
(III)	**Khari River Sub Basin**	
1	Ora	800.00
2	Kailash Nagar	65.33
3	Karan Sagar Palri	19.00
4	Kameri Feeder	150.00
	Total	**1034.33**
(IV)	**Sukri River Sub Basin**	
1	Sukri innundation	372.97
2	Krishna Sagar	98.00
3	Kana Kolar	36.60
4	Dhrubana	26.80
5	Godana	66.12
6	Badgaon	49.63
7	Godana Dhrubana	7.54
	Total	**657.66**
	Total of 'C'	**3170.31**
	Total of A+B+C	**8680.76**

परिशिष्ट 3 – ixv

Block wise status of Average Rain fall of Last 10 years(Mount Abu)

Tehsil	**Average rainfall of previous 10 years (millimeter)**	**Total Rainfall year 2006 (mm)**	**Total Rainfall year 2007 (mm)**	**Total Rainfall year 2008 (mm)**
Mount Abu	1286	2521	-	-
Aburoad	558	1286	735	617
Pind¡ra	634	1849	1012	304
Reodar	551	1322	684	426
Sheoganj	460	965	490	225
Sirohi	520	1233	636	292
Average Rainfall	**668**	**1530**	**711**	**373**

परिशिष्ठ 3 – xv

सिरोही जिले में वर्तमान में उपर्युक्त पशुधन को चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, बधियाकरण, टीकाकरण एवं पशु पालन सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यरत है ।

जिले में वर्तमान में पशुपालन विभाग के कार्यरत संस्थान :–

तहसील/पंचायत समिति का नाम	चिकित्सालय	उपकेन्द्र	योग
सिरोही	10	10	20
शिवगंज	5	05	10
रेवदर	7	08	15
आबूरोड	6	08	14
पिण्डवाडा	6	10	16
योगः–	**34**	**41**	**75**

परिशिष्ठ 3 – xvi

Crops	Varietiesa
Maize	Agati -76, Navjot, Kiran j -660, Hybrid Ganga, Daccan-103,
Bajra	HHB-67,HHB-60, ICMH-356, RCB-2,RHB-121
Castor	GCH-4, GCH-5,. GCH-6, RHC -1,
Gwar	RGC-936, RGC-1002,RGC-1003, RGC-1017, RGM-112
Moong	K-851,S-8,RMS-62,Ganga-1r, RMG-344,SML-668
Groundnut	M-13, RS-1, RSV-87, TG-37A
Till	RT-46, RT-125,RT-127,TC-25,T-13,
Wheat	Raj -1482, Raj-4037, Raj-3077, Raj-3765, GW-322,RAJ-4083
Barley	RD2035, RD2508, RD2052, RD-57,RD-103, RD – 31, RD -2624
Mustard	T-59, RH -30, PR -15, BIO -902, GM- 2, Uarvashi, Laxmi, CS -52
Gram	Daod yellow, C- 235, H-208, RSG-945, RSG-2,GNG-469,RSG-44 , RSG -888,

BLOCKWISE DATA FOR SOIL AND WATER QUALITY OF SIROHI DISTRICT

S.no.	Name Of Panchayat samiti	Soil Type	Soil Reaction	Soluble salts	¡ter Quality	
					PH	EC
1	SIROHI	Sandy Loam	68% Normal, 32% Alkaline	97% Noraml, 3% Saline	37% Alkaline	33% Normal
2	SHEOGANJ	Sandy Loam , Loamy Sand	69% Normal, 31% Alkaline	88% Noraml, 12% Saline	29% Alkaline	53% Normal
3	REODAR	Sandy Loam , Loamy Sand	88% Normal, 12% Alkaline	97% Noraml, 3% Saline	53% Alkaline	9% Normal
4	PIND¡RA	Sandy Loam, Clay loam	78% Normal, 22% Alkaline	91% Noraml, 9% Saline	57.9% Alkaline	49% Normal
5	ABU ROAD	Sandy Loam, Clay loam	94% Normal, 6% Alkaline	98.5% Noraml, 1.5% Saline	20% Alkaline	6% Normal
	TOTAL	**Sandy Loam**	**77% Normal, 23% Alkaline**	**94.5% Noraml, 5.5% Saline**	**42% Alkaline**	**23% Normal**

Banking Network & Performance of District Sirohi (राशि हजारों में)

क्र.सं.	वित्तीय संस्थान का नाम	संख्या	जमा राशि		ऋण राशि		ऋण/जमा अनुपात	
			मार्च, 08	मार्च, 09	मार्च, 08	मार्च, 09	मार्च, 08	मार्च, 09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	15	3577174	4350966	1317463	1372379	37	32
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	7	1919575	2473619	538280	580257	28	23
3	सिण्डीकैट बैंक	1	51689	0	49221	0	95	0
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	2	582275	718721	178898	204742	31	28
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1	72338	87043	20836	21454	29	25
6	पंजाब नेशनल बैंक	3	913876	1101229	163559	182064	18	17
7	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	1	294498	348106	38814	85219	13	24
8	अलाहबाद बैंक	1	20638	25724	34761	32530	168	126
9	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1	62426	81874	54675	58567	88	72
10	बैंक ऑफ राजस्थान	3	723902	783966	93972	86556	13	11
11	एमजीबी ग्रामीण बैंक	28	1740874	2147492	839959	933141	48	43
12	सिरोही सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक	9	928842	1088526	895017	887790	96	82
13	सहकारी भूमि विकास बैंक	5	0	0	338630	224629	0	0
14	राजस्थान वित्त निगम	2	0	0	759710	570164	0	0

Education :-

Literacy level of the Districts of Rajasthan

क्र.सं.	जिले का नाम	साक्षरता स्थिति		
		पुरूष	स्त्री	योग
1	2	3	4	5
1	सिरोही	70.58	37.37	54.39
2	गंगानगर	75.53	52.44	64.74
3	हनुमानगढ़	75.18	49.56	63.05
4	बीकानेर	70.05	42.03	56.91
5	चूरू	79.69	53.35	66.81
6	झुन्झनू	86.09	59.51	73.04
7	अलवर	78.09	43.28	61.74
8	भरतपुर	80.54	43.56	63.57
9	धौलपुर	75.09	41.84	60.13
10	करौली	79.54	44.39	63.38
11	सवाईमाधोपुर	75.74	35.17	56.67
12	दौसा	79.35	42.32	61.84
13	जयपुर	82.80	55.52	69.90
14	सीकर	84.34	56.11	70.47
15	नागौर	74.10	39.67	57.28
16	जोधपुर	72.96	38.64	56.67
17	जैसलमेर	66.26	32.05	50.97
18	बाड़मेर	72.76	43.45	58.99
19	जालोर	64.72	27.80	46.49
20	पाली	72.20	36.48	54.39
21	अजमेंर	79.37	48.86	64.65
22	टोंक	70.52	32.15	51.97
23	बूंदी	71.68	37.89	55.57
24	भीलवाडा	67.39	33.48	50.74
25	राजसंमद	73.99	37.59	55.65
26	उदयपुर	73.62	43.26	58.62
27	डँगरपुर	66.04	31.77	48.57
28	बांसवाडा	60.45	28.43	44.63
29	चित्तौड़गढ	71.30	36.39	54.09
30	कोटा	85.23	60.43	73.53
31	बारा	75.78	41.55	59.50
32	झालावाड़	73.31	40.02	57.32
33	प्रतापगढ़	–	–	–

परिशिष्ठ 4 – ii

प्राथमिक/माध्यमिक व तृतीयक शिक्षण संस्थाएं

जिले में शिक्षा का संस्थागत ढॉचा :–

विद्यालय	सिरोही	शिवगंज	पिण्डवाडा	आबूरोड	रेवदर	योग
प्रा.शि पंचायती राज	76	39	147	151	164	**577**
उप्रावि	108	84	108	83	113	**496**
मदरसा	2	0	3	3	3	**11**
संस्कृत विद्यालय	6	3	6	3	4	**22**
शि.क. विद्यालय	0	7	12	24	14	**57**
केजीबीवी	1	1	1	1	1	**5**
अनुदानित विद्यालय	0	0	0	4	0	**4**
राउमावि	13	6	12	7	10	**48**
रामावि	24	19	26	16	17	**102**
नवोदय विद्यालय	1	0	0	0	0	**1**
केन्द्रीय विद्यालय	0	0	0	1	0	**1**
अंधजन पुनर्वास केन्द्र	0	0	0	1	0	**1**

डाईस 2008

उच्च अध्ययन एवं रोजगार परक शिक्षक संस्थाए :–

	सिरोही	शिवगंज	पिण्डवाडा	आबूरोड	रेवदर	**योग**
महाविद्यालय	2	1	1	1	0	**5**
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1	0	0	0	0	**1**
प्रशिक्षण संस्थान टी.टी. कॉलेज	1	1	1	3	0	**6**

तकनीकी संस्थाएं :–

	सिरोही	शिवगंज	पिण्डवाडा	आबूरोड	रेवदर	**योग**
Polytechnic	1	0	0	0	0	**1**
I.T.I s	3	1	1	2	0	**7**

परिशिष्ठ 4 – iii

माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्व कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

	शिक्षक		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्र.चा. उमावि	49	32	17
प्र.अ. मावि	97	44	53
व्याख्याता	288	137	151
शा.शि	87	68	19
व.अ.	599	475	124
अध्यापक	221	161	60
प्र.शा. सहायक	28	22	6

माध्यमिक शिक्षा विभाग

जनसंख्या अनुरूप 6 से 14 आयुवर्ग बालक एवं उनका नामांकन :–

कक्षा / आयुवर्ग	जनसंख्या			नामांकन		
	बालक	बालिका	**योग**	छात्र	छात्रा	**योग**
1 से 5 कक्षा में 6 से 11 वर्ष	77245	56312	**133557**	76791	56015	**132806**
6 से 8 कक्षा में 11 से 14 वर्ष	34507	18936	**53443**	33998	17934	**51932**
योग 6 से 14	**111752**	**75248**	**187000**	**110789**	**73949**	**184738**

DISE 2008

कक्षावार नांमाकन 2008

Year	I	II	III	IV	V	**Total 1-5**	VI	VII	VIII	**Total 6-8**	**G. Total 1-8**
2005	31828	29436	18410	12916	13828	**106418**	10166	9919	7414	**27499**	**133917**
2006	32963	31314	18630	12924	16412	**112243**	12615	12615	10436	**36865**	**149108**
2007	34696	32819	19230	17324	19312	**123481**	15918	15918	10010	**42114**	**165595**
2008	36801	32116	30913	22819	10159	**132806**	18819	18819	13927	**51932**	**184738**

DISE 2008

ब्लॉकवार नांमाकन 2008

6 से 14 वर्ष

ब्लॉक	6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के कुल बालक			नामांकन		
	बालक	बलिका	**योग**	छात्र	छात्रा	**योग**
सिरोही	21412	14349	**35761**	21242	14152	**35394**
शिवगंज	15964	11406	**27370**	15941	11374	**27315**
पिण्डवाडा	26138	18444	**44582**	25751	17962	**43713**
आबूरोड	22707	15639	**38346**	22552	15509	**38061**
रेवदर	25531	15410	**40941**	25303	14952	**40255**
योग	**111752**	**75248**	**187000**	**110789**	**73949**	**184738**

DISE 2008

ड्रॉप आउट

वर्ष	प्रावि / उप्रावि	मावि / उमावि
2005	21.16	2.78
2006	20.10	2.12
2007	19.18	1.48
2008	16.32	1.37

Health

वर्ष 2009-2010 जिले के चिकित्सा संस्थानों के संस्थागत प्रसव की प्रगति

जिला – सिरोही माह जुलाई, 2009

क्र. सं	ब्लॉक का नाम		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	कुल प्रसव	
				इस माह	अब तक
1	सिरोही	1	कालन्द्री	197	55
		2	बरलूट	27	10
		3	जावाल	64	38
		4	पाडीव	26	7
		5	सिलदर	251	40
		6	तंवरी	76	25
		7	वराडा	92	35
		8	वेलांगरी	103	37
		9	General Hospital, Sirohi	2079	612
	Total			**2915**	**859**
2	शिवगंज	1	कैलाश नगर	419	116
		2	पालरी एम	175	64
		3	पोसालिया	247	69
		4	शिवगंज (U)	442	115
	Total			**1283**	**364**
3	रेवदर	1	अनादरा	660	186
		2	दांतराई	343	201
		3	मनादर	566	178
		4	रेवदर	599	246
		5	सनवाडा	46	16
		6	सिरोडी	457	133
	Total			**2671**	**960**
4	पिण्डवाडा	1	भारजा	205	74
		2	नांदिया	42	21
		3	रोहिरा	728	163
		4	स्वरूपगंज	117	66
		5	वीरवाडा	110	52
		6	पिण्डवाडा (U)	1351	404
	Total			**2553**	**780**
5	Aburoad	1	चनार	85	48
		2	देलदर	18	18
		3	आबूरोड (U)	3878	715
		4	माउन्ट आबू (U)	176	51
	Total			**4157**	**832**
	Total			**13579**	**3795**
	Private Hospital			3293	1315
	Sub-Centre			2612	593
	Grand Total			**19484**	**5703**

परिशिष्ठ 6 – ii

जिलें विभिन्न प्रा.स्वा.केन्द्रों/सामु.स्वा.केन्द्र पर एम्बुलेंस की स्थिति

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	संस्थान का नाम जहां एम्बुलेंस उपलब्ध है
1	सिरोही	प्रा.स्वा.केन्द्र ,जावाल
2	शिवगंज	प्रा.स्वा.केन्द्र केलाशनगर
3		प्रा.स्वा.केन्द्र पोसालिया
4		सामु.स्वा.केन्द्र, शिवगंज
5	रेवदर	प्रा.स्वा.केन्द्र, अनादरा
6		सा.स्वा.केन्द्र, रेवदर
7	पिण्डवाडा	सामु.स्वा.केन्द्र, पिण्डवाडा
8		प्रा.स्वा.केन्द्र, नांदिया
9	आबूरोड	सा.स्वा.केन्द्र, आबूरोड
10		सा.स्वा.केन्द्र, आबूपर्वत

परिशिष्ठ 6 – iii

खण्डवार नसबन्दी के लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति

Name of Block	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	Target	Achie.	Target	Achie.	Target	Achie.	Target	Achie.	Target	Achie.
Sirohi	1429	790	1759	745	1289	674	1228	870	1304	1239
Pind¡ra	1823	560	2243	558	1991	506	1566	690	1663	1249
Aburoad	1638	467	2015	606	1638	614	1406	682	1493	772
Reodar	1557	997	1913	731	1425	737	1336	1041	1423	1365
Sheoganj	1104	545	1357	550	942	482	948	552	1007	937
Total	**7551**	**3359**	**9287**	**3190**	**7285**	**3013**	**6484**	**3835**	**6890**	**5562**

परिशिष्ठ 6 – iv

खण्डवार आई.यू.डी. की लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति

Name of Block	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie
Sirohi	1510	1359	1812	1513	1969	2040	2089	1927	882	2003
Pindwara	1927	2157	2309	2426	2512	2604	2664	2983	1126	2756
Aburoad	1731	2036	4386	4577	2255	2298	2392	2689	1011	2263
Reodar	1643	1706	1973	2067	2142	2289	2274	2835	963	2673
Sheoganj	1166	1247	1401	1521	1521	1737	1612	1923	682	1766
Total	**7977**	**8505**	**11881**	**12104**	**10399**	**10968**	**11031**	**12357**	**4664**	**11461**

परिशिष्ठ 6 – v

खण्डवार ओरल पिल्स यूजर्स की लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति

Name of Block	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie
Sirohi	5673	5077	6000	5471	6000	5526	3445	3921	1494	3617
Pindwara	7241	7681	7653	8306	7653	8840	4396	5083	1906	4637
Aburoad	6503	6718	6874	7665	6874	8162	3948	4590	1712	4147
Reodar	6178	6665	6528	7735	6528	9492	3750	5445	1632	4491
Sheoganj	4382	4510	4634	4679	4634	4860	2661	3386	1154	2857
Total	**29977**	**30651**	**31689**	**33856**	**31689**	**36880**	**18200**	**22425**	**7898**	**19749**

परिशिष्ठ 6 – vi

खण्डवार निरोध यूजर्स की लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति

Name of Block	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie	Target	Achie
Sirohi	5278	4910	5699	5293	5699	5527	6316	7384	1629	3386
Pindwara	6732	7279	7271	8028	7271	8316	8056	9740	2078	4221
Aburoad	6048	6748	6530	7738	6530	8010	7237	8986	1865	3931
Reodar	5745	6350	6202	7310	6202	8671	6869	10577	1778	4005
Sheoganj	4077	4309	4402	4547	4402	4719	4876	6260	1258	2597
Total	**27880**	**29596**	**30104**	**32916**	**30104**	**35243**	**33354**	**42947**	**8608**	**18140**

परिशिष्ठ 6 – vii

जिलें में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत सोनोग्राफी सेन्टर

क्र.सं.	संस्था का नाम	पता	संस्था प्रधान
1	अरिहन्त मेटरनिटी एण्ड सोनोग्राफी सेन्टर	सिरोही	डॉ.लीला मेहता
2	गुजरात हॉस्पीटल	सिरोही	डॉ.पी.एल.देसाई
3	अमरज्योति एक्स–रे एण्ड सोनाग्राफी लेब	सिरोही	डॉ.रणवीर सिंह
4	यादव बाल चिकित्सालय	सिरोही	डॉ.जयराज यादव
5	सामान्य चिकित्सालय	सिरोही	एम.आर.एस सिरोही
6	ओ.पी.मेवाडा नर्सिंग होम	शिवगंज	डॉ.ओ.पी.मेवाडा
7	डॉ. शषी मेटरनीटी हेल्थ केयर सेन्टर	शिवगंज	डॉ. अरविन्द जैन
8	महावीर सर्जीकल एण्ड मेटरनीटी होम	आबूरोड	डॉ.एम.पी.बंसल
9	संजीवनी लाईफ केयर हॉस्पीटल	आबूरोड	डॉ.तोसर एस कॉट्रेक्टर
10	हार्दिक हॉस्पीटल	आबूरोड	डॉ.एच.एम.केला
11	ग्लोबल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	आबूरोड	डॉ.प्रताप मिड्ढा
12	महावीर हॉस्पीटल	मण्डार	डॉ.नागर भाई
13	कर्णावती हॉस्पीटल	पिण्डवाडा	डॉ.ए.जैन
14	महावीर हॉस्पीटल	पिण्डवाडा	महावीर हॉस्पी.चेरिटेबल ट्रस्ट

15	ग्लोबल हॉस्पीटल ट्रोमा सेन्टर	आबूरोड	डॉ.प्रताप मिड्ढा
16	ग्लोबल हॉस्पीटल ट्रोमा सेन्टर	आबूरोड	डॉ.प्रताप मिड्ढा
17	संजीवनी ट्रस्ट हॉस्पीटल	सिरोही	डॉ.संजीव जैन
18	अंकिता नर्सिंग होम एण्ड मेडिकल रि.से.	सिरोही	डॉ.अनिल चौधरी
19	चन्द्रावल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	आबूरोड	डॉ.एस.डी.एस.मेंहता
20	राधामोहन मेहरोत्रा ग्लोबल हॉस्पीटल	आबूरोड	––

Year	TTANC	BCG	OPV	DPT	Measlesa
2003-04	29324	26877	26987	26987	26052
2004-05	30858	29147	29125	29125	29124
2005-06	31051	27813	27950	27950	27830
2006-07	30756	27524	27966	27966	27165
2007-08	34452	29999	30267	30267	29439
2008-09	36711	33861	33887	33887	32959